खण्ड-157, अंक-3
बुधवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(21 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 157 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४४)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
आनन्दस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्ताफ हुसैन श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
जिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहमसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रास्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र , श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों की छपाई

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग "पब्लिक सर्विस कमीशन" के जितने विज्ञापन निकलते हैं, क्या वह सब केवल अंग्रेजी समाचार पत्रों में ही छापे जाते हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं। उन सभी पदों के लिये जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या उसी के समवक्ष होती है, कमीशन के विज्ञापन अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। फारसी व उर्दू के अध्यापकों तथा अन्य ऐसे ही पदों के लिये विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित किये जाते हैं। जिन पदों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से उच्चतर होती है, उनके विज्ञापन कमीशन द्वारा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में ही प्रकाशित किये जाते हैं, क्योंकि विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी व ग्रेजुयेट ज्यादातर अंग्रेजी के समाचार पत्र ही पढ़ते हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, ग्रेजुएट लोग भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गांव में चले जाते हैं और वहां हिन्दी के पत्रों में ही विज्ञापन पढ़ने का मौका मिलता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत सम्भव है कि ऐसा होता हो और मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल में यहां लखनऊ में हिन्दी के समाचार पत्रों के सम्पादकों और संचालकों की एक मीटिंग हुई थी। उसकी कार्यवाहियों को मैंने देखा और देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि हिन्दी के समाचार पत्रों को चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हो, जितने विज्ञापन मिलना चाहिये उतने नहीं मिल रहे हैं और मैं स्वयं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं कि इसका प्रबन्ध किया जाय कि उनको समुचित ढंग से विज्ञापन दिये जायं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह बात सही है कि यह विज्ञापन दिल्ली के समाचार-पत्रों में कम भेजे जाते हैं, जब कि इस प्रदेश की चार डिवीजंस की जनता मुख्यत: दिल्ली के पत्र पढ़ती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिल्ली के समाचार पत्रों को कितने विज्ञापन जाते हैं इस समय तो मुझे कोई ज्ञान है नहीं।

तारांकित प्रश्न

राज्य में फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना के लिये सिफारिश

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या एमोनियम सल्फेट फैक्ट्री को इस प्रान्त में स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी नहीं। फर्टिलाइजर फैक्टरीज की स्थापना का प्रश्न भारतीय सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में प्रादेशिक सरकार ने उपयुक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं।

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यदि हां, तो कब तक और कहां यह फैक्टरी बनेंगी ?

श्री बनारसीदास--अभी तै नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में उसका आशय बतायेंगे, जो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ?

श्री बनारसीदास--सन् १९५४ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक सब कमेटी बनायी थी इस प्रश्न पर गौर करने के लिये कि देश में कहां कहां पर फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरीज स्थापित की जायं और उन्होंने प्रश्नावली प्रदेशीय सरकार के पास भी भेजी थी जिसमें यह पूछा था कि रा-मेटिरियल, जैसे जिप्सम वगैरह के अलावा यानी कोयला, बिजली, पानी, इसके अतिरिक्त बेकार पानी को निकालने के लिये वहां मार्ग और यातायात की उपयुक्त सुविधायें तो हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपनी सिफारिशें, केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं और उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि इस प्रदेश में फ़र्टिलाइज़र के लिये मांग भी बहुत काफी है, यहां पर एक फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी स्थापित की जाय ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार ने जो प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है उसमें यह बताया है कि यहां पर जो प्लांट लगाया जायगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--कैपेसिटी के विषय में तो सरकार ने कोई सिफ़ारिश नहीं की है । हां, दो स्थान जहां वह आसानी से लगायी जा सकती है और जहां वे सुविधायें हैं जिनका वर्णन अभी सचिव महोदय ने किया है वे उसमें अवश्य दिये गये थे और वे दो स्थान एक तो मिर्जापुर का था और दूसरा हाथरस का यहां से लिख कर भेजा गया था ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री ज़ी बताने की कृपा करेंगे कि इस फ़ैक्टरी की स्थापना में कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो नहीं कहा जा सकता है कि अब जो फ़र्टिलाइज़र लगेगा उसमें क्या व्यय होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी सिन्दरी में लगायी है और उसमें १७ करोड़ से अधिक व्यय हुआ है ।

बुलन्दशहर में लाश घर को आबादी से बाहर हटाना

*३--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर शहर के अन्दर आबादी में मुर्दा लाशों को चीरने का स्थान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे आबादी से बाहर ले जाने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, लाशघर को अन्य उपयुक्त स्थान पर हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर में लाशघर को हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है और कब तक रहेगा ?

श्री बनारसीदास--जिस वक्त में मौजूदा साल का बजट बनाया जा रहा था उस वक्त तक यह प्रस्ताव नहीं आया था लेकिन यह सुझाव चल रहा था और इस वक्त जो बजट पेश होगा उसमें लाशघर को हटाने की मांग की गई है और आशा की जाती है कि नये बजट में इसकी व्यवस्था की जायगी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरा स्थान इसके लिये कोई नियुक्त हो चुका है अब तक ?

श्री बनारसीदास---अभी तक कोई स्थान नहीं नियुक्त किया गया है। जिला अधिकारियों को इस सम्बन्ध में लिखा गया है और उनकी सिफारिश आने के बाद निर्णय किया जायगा।

***४---श्री रामचन्द्र विकल**---[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो ३० सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

एन० ई० एस० ब्लाक कृषि विद्यालय बुलन्दशहर में हुए विशेष कार्य

***५---श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एन० इ० एस० (N. E. S.) ब्लाक कृषि विद्यालय बुलन्दशहर में क्या क्या विशेष कार्य हुआ है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---इस ब्लाक में जुलाई ३१, १९५५ तक होने वाले मुख्य कार्यों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४०-२४१ पर)

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोआप-रेटिव सोसाइटियां जो खोली गई हैं वे चालू हैं या अभी बन्द हैं ?

श्री फूलसिंह---अब यह तो इस वक्त मेरे पास इत्तला नहीं है लेकिन गालिबन चालू ही होंगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टयूबवेल्स की तादाद उन्होंने दी है वे भी चालू अवस्था में हैं या अभी नहीं ?

श्री फूलसिंह---इस शंका का कोई कारण मालूम नहीं होता।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ११५५ क्षेत्र, जिनमें सिंचाई का इन्तजाम किया गया है, उनका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री फूलसिंह---इसकी इत्तला अभी मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगें कि मनोरंजन केन्द्रों पर क्या कार्य होता है ?

श्री फूलसिंह---मनोरंजन के बहुत से काम वहां होते हैं।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल खोला गया है उसकी संख्या एक है, वह किस प्रकार का स्कूल है ?

श्री फूलसिंह---यह तो मैं इस समय नहीं बतला सकता। यदि माननीय सदस्य चाहेगें तो मैं इत्तिला मंगा कर बतला सकता हूं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा

***६---श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार कर लिया गया है ? और हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के मुख्य-मुख्य तथ्यों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा तैयार कर ली गई है। नियोजन आयोग के परामर्श से इसमें संशोधन किया जा रहा है। संशोधित योजना यदि सदस्य महोदय देखना चाहेंगें तो सदन में प्रस्तुत की जायगी।

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों व विकास ब्लाक क्षेत्रों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाये जाने के हेतु केवल त्रिवर्षीय योजना ही मांगी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—ग्राम पंचायतों व विकास क्षेत्रों से प्रारम्भिक प्लान बनाने के लिए तीन वर्ष की योजना केवल प्रयोगात्मक रूप से मांगी गई थी ताकि ग्राम निवासियों के वास्तविक आवश्यकताओं तथा साधनों का अनुमान लगाने में सुविधा हो। अब यह निश्चय किया गया है कि अन्तिम जिला प्लानों के लिए ग्राम सभाएं पंच वर्षीय योजना बनाएं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा का तखमीना क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम इस संबंध में कुछ कहने के लिये स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि प्लानिंग कमीशन की तरफ से हमारे ऊपर कुछ बंधन थे लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस संबन्ध की जो भी खासखास बातें हैं वह बहुत जल्दी हम सदन के सामने रख सकेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश को सहायता कम मिलने की वजह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना सीमित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उस उत्तर से नहीं निकलता जो मुख्य मंत्री जी ने दिया है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदन को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी वह अंतिम होगी या उसका ड्राफ्ट होगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अंतिम जिला प्लान बनाये जायंगे उनको प्लानिंग कमेटी बनायेगी या सरकार बनायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अंतिम प्लान तो यही बनेंगे। जहां तक नियोजन समितियों का संबंध है वह अपनी सिफारिशें भेजेंगी और वह फाइनल यहीं होंगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का पर्याय यह है कि ग्राम सभाओं और प्लानिंग समितियों से प्लान बनाये जाने के बाद क्या दुबारा उनसे परामर्श लिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो नियोजन समितियों ने योजनायें बनाई हैं वह इस आधार पर बनाई हैं कि आवश्यकतायें फिजीकल टारजेट क्या-क्या हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने जब प्रदेशों को लिखा था उसमें इस बात पर जोर दिया था कि फाइनेंशियल प्रश्न पर गौर नहीं करना चाहिये बल्कि आवश्यकता क्या है और क्या क्या होना चाहिये, उनकी बुनियाद पर बनाई जाय इसलिये योजना नियोजन समिति ने बनाई है वह पुरानी घोषणा की बुनियाद पर बनी है । जब केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित कर देगी कि योजनायें किस धन की मात्रा में रहेंगी तब उसके अनुपात में नियोजन समितियों को कहा जायगा कि वह इस नई सूचना के आधार पर उन्हें परिवर्तित करने की चेष्टा करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि द्वितीय पंववर्षीय योजना की जो रूपरेखा प्रान्त के लिये बनायी गयी है उसमें केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कितने रुपये की कटौती करनी पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर के बाद यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या ग्राम सभा के अनुरूप ही विकास ब्लाक क्षेत्रों से भी तीन वर्षीय योजना के स्थान पर पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये कहा जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक ब्लाक से अलग बनाने की बात की मांग नहीं की जायगी बल्कि जो ग्रामसभायें बनायेंगी और ऊपर भेजेंगी उसकी रूपरेखा को फाइनल करने के लिये योजना बनायी जायगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति की रिपोर्ट

*८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार कर रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त प्रगति रिपोर्ट सदन में वाद-विवाद के हेतु प्रस्तुत करेगी ?

श्री फूलसिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना की १९५४-५५ की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तैयार होने पर इसे सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

एटा जिले के गृह उद्योगों तथा बुनकरों के सहायतार्थ कार्य

*९--**श्री बाबूराम गुप्त** (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में मुख्यतः कौन-कौन गृह-उद्योग चल रहे हैं और उनकी उन्नति के लिये गत दो वर्षों में सरकार से किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

श्री बनारसीदास--इस जिले में निम्नलिखित मुख्य गृह उद्योग चल रहे हैं :

१--कर्घा उद्योग
२--चर्म उद्योग
३--लोहे का उद्योग
४--पीतल व कांसे के बर्तन बनाने का उद्योग व घुंघरू बनाना
५--कलमी शोरा उद्योग
६--रस्सी और बांध बनाने का उद्योग
७--कांच की चूड़ी व कच्ची गंगाजली बनाने का उद्योग
८--टोकरी बनाने का उद्योग
९--लकड़ी का काम

इन उद्योगों को गत दो वर्षों में निम्नलिखित सहायता दी गई--

१--ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ८,००० रुपये की सहायता दी गई ।

२--चर्म शोधन केन्द्र बरानी (एटा) को ३०,००० रुपये की आर्थिक सहायता गढ्ढे व शेड बनाने के लिये दी गई ।

३--कर्घा योजना के अन्तर्गत ६,३३५ रुपये का अनुदान सेल्स डिपो खोलने रंगाई घर खोलने और उन्नत यंत्रों को खरीदने के लिये दी गई। १७,२११/७/६ रुपया का ऋण वर्किंग कैपिटल के लिये दिया गया ।

*१०--**श्री बाबूराम गुप्त**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में बुनकरों के हित में उनकी सहायतार्थ गत दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य किये गये हैं और आगामी वर्ष में वह उनके लिये क्या-क्या करने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास—इस जिले के बुनकरों के हित में उनकी सहायतार्थ गत दो वर्षों में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं—

१—१२ प्रारम्भिक समितियां बनाई गई हैं जिनमें से एक प्रोडक्शन सोसाइटी है।

२—सेल डिपो खोलने के लिये ४,००० रुपये का अनुदान दिया गया।

३—रंगाई घर खोलने के लिये २,००० रुपये का अनुदान दिया गया।

४—उन्नतयंत्र खरीदने के लिये ३३५ रुपये का अनुदान दिया गया।

५—वर्किंग कैपिटल के लिये १७,२११ रु० ७ आ० ६ पा० का ऋण दिया गया।

इस वर्ष यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड कानपुर की ओर से एक सेल डिपो खोले जाने का निश्चय किया गया है जिसकी दूकान की व्यवस्था के लिये अब तक १,००० रुपया खर्च किया जा चुका है।

आगामी वर्ष में उपरोक्त प्रोडक्शन सोसायटी को और अधिक ऋण जिसकी उसको आवश्यकता होगी दिया जायगा।

श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ८ हजार रुपये की सहायता जिसका उत्तर में दिया जाना बतलाया गया है वह किस उद्योग के विकास के लिये और किस-किस को दी गयी हैं?

श्री अध्यक्ष—'किस-किस को' आप पूछना चाहते हैं?

श्री बाबूराम गुप्त—जी हां, किस-किस सज्जन को दी गयी?

श्री अध्यक्ष—किस-किस सदस्य को दी गयी इसकी मैं इजाजत नहीं देता वैसे साधारण तौर से उद्योग के लिये आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री बनारसीदास—पीतल के उद्योग के लिये एक हजार ऋण और ५०० रुपये का अनुदान, लकड़ी के उद्योग के लिये २ हजार ऋण, इसके अतिरिक्त वहां हड्डी की खाद बनाने के लिये और चर्म शोधन करने के लिये ३।। हजार रुपये और १ हजार रुपये का अनुदान दिया गया है।

श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार यह विचार रखती है कि दूसरे स्थानों पर जहां इसकी मांग है चर्म शोधन केन्द्र खोलें जांय?

श्री बनारसीदास—उत्तर में बतला दिया गया है कि इन स्थानों पर वहां टैनरी खोलने के लिये रुपया दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार का विचार ऐसा है कि एटा जिले में और ऐसे जिले जहां पर टैनर्स की संख्या काफी है वहां पर चर्म शोधन का कार्य अगर वे करेंगे और इस तरह का उनका प्रस्ताव आयेगा तो सरकार उनकी सहायता करेगी।

श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार उन नगरों में जहां बुनकरों की काफी तादाद है और जहां खादी की मांग है खादी प्रोडक्शन सेन्टर खोलने का विचार रखती है?

श्री बनारसीदास—जी हां, हैन्डलूम उद्योग को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया सरकार ने डिपो खोलने के लिये ४,००० रुपया स्वीकार किया है और कुछ ऋण भी दिया है बुनकर अपनी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज बना सकते हैं और उसके लिये उनको ऋण और अनुदान दिया जाता है और इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार निश्चित रिबेट भी दिया जाता है और मैं समझता हूं कि ऐसे स्थानों पर इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं।

श्री इस्तफाहुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि एटा जिले में कुटीर उद्योग के धन्धे तरक्की नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो क्या वह बिजली की कमी के कारण से है ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि अगर बिजली सब जगह उपलब्ध हो जाय तो सब जगह उद्योग धन्धों की उन्नति हो जाय लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त वह तरक्की नहीं कर रहे हैं। हाल के सालों में वहां कुछ तरक्की जरूर हुई है।

श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि करघा उद्योग की उन्नति के लिए जो रुपया आदि दिया गया है वह किस सोसाइटी को दिया गया है और उस सोसाइटी के कितने मेम्बर हैं ?

श्री बनारसीदास—अब तक कुल ७००० बुनकर हैं और उनकी १२ सोसाइटीज संगठित हो चुकी हैं और एक सेल डिपो के लिये सरकार ने रुपया स्वीकार किया है ।

नैनीताल जिले में विनायक–चांफी मोटर सड़क का निर्माण कार्य

*११—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले में विनायक-चांफी मोटर रोड अभी तक नहीं बन पाई है ? अगर हाँ, तो उक्त सड़क कब तक बना दी जायेगी ?

श्री फूलसिंह—जी हां, शेष कार्य बरसात के बाद आरम्भ होगा और आशा की जाती है कि जल्द से जल्द सड़क बना दी जायगी ।

डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट, उद्योग तथा असिस्टेण्ट डायरेक्टर, उद्योग, अल्मोड़ा के कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

*१२—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिवीजनल सुपरिण्टेंडेंट उद्योग तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर, उद्योग, अल्मोड़ा के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी किस किस वेतन के हैं ?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४२ पर)

*१३—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन कार्यालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है ?

श्री बनारसीदास—इन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति संचालक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों की सूची दी हुई है उनमें से कितनों की नियुक्ति सेलेक्शन द्वारा और कितनों की परीक्षा द्वारा होती है ?

श्री बनारसीदास—एक असिस्टेन्ट डाइरेक्टर और २ डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है और सरकार द्वारा वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से होती है और नीचे की नियुक्तियां संचालक द्वारा की गई हैं।

बिल्थरा रोड, जिला बलिया में चमड़ा पकाने का सहायता प्राप्त केन्द्र

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्थरा रोड, जिला बलिया में कोई चमड़ा तैयार करके जूता बनाने का सरकारी सहायता प्राप्त कारखाना है ?

श्री बनारसीदास—इस स्थान पर सरकारी सहायता प्राप्त एक चमड़ा पकाने (Tanning) का केन्द्र खोला जा रहा है।

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कारखाने के चलाने के लिये कौन-कौन काम हो चुके हैं तथा सरकार का कितना रुपया अभी तक व्यय हुआ है ?

श्री बनारसीदास—उपरोक्त केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में वहां चर्मकारों की एक सहकारी समिति बनाई गयी है जिसको १५,००० रु० का अनुदान तथा ५,००० रु० का ऋण स्वीकार किया गया है। केन्द्र के लिये भूमि का प्रबन्ध हो गया है और इमारत बनाने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। अभी समिति ने कुछ खर्चा नहीं किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह केन्द्र खोलने का काम कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री बनारसीदास—यह तो अभी उत्तर दिया जा चुका है कि इसी साल मदद दी गई है और वहां पर एक इन्सट्रक्टर की नियुक्ति हुई है और वहां पर प्लान्ट आदि लगाने और स्थापना का काम हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह १५ हजार का अनुदान और ५ हजार रुपये का जो ऋण दिया गया है वह सहकारी समितियों को कब दिया गया ?

श्री बनारसीदास—इसी आर्थिक वर्ष के अन्दर।

श्री जोरावर वर्मा—इस कारखाने में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री बनारसीदास—इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता क्योंकि कारखाना अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इस टैनरी की योजना सहयोगी आधार पर होती है। वहां पर जो टेनर्स होते हैं वे कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्य हो जाते हैं और जितने भी अधिक से अधिक सदस्य बन जायं, लेकिन यह नियम है कि २० से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं तो २० से कम तो टैनर्स हो नहीं सकते। बाकी जितने भी शामिल होना चाहें वह हो सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस केन्द्र पर सरकार का कितना मासिक खर्च होता है ?

श्री बनारसीदास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि यह कोआपरेटिव केन्द्र होते हैं। सरकार ने १५ हजार रुपये का अनुदान और ५ हजार ऋण के रूप में दिये हैं। इसके अतिरिक्त ऋण भी दिया जा सकता है और यदि आवश्यकता होगी अनुदान देने की, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

मौदहा, जिला हमीरपुर में ट्यूबवेल की बोरिंग

*१६—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि मौदहा (हमीरपुर) में एक ट्यूबवेल की बोरिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, ट्यूबवेल की बोरिंग हो चुकी है। मेसोनरी का काम बरसात के बाद होगा और काम समाप्त होने पर पता लगेगा कि ट्यूबवेल सफल है या नहीं।

*१७—श्री तेजप्रताप सिंह—उक्त ट्यूबवेल की बोरिंग में यदि सफलता हुई है तो क्या सरकार उस क्षेत्र में और भी नये ट्यूबवेल बनायेगी ?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार के पास जिलाधीश और प्लानिंग आफिसर की कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें इस ट्यूबवेल के सफल होने की बात कही गई है ?

श्री फूलसिंह—अभी यह बात तो अनुमानित है। जब तक पम्पिंग सेट लगा कर उसका ट्रायल नहीं हो जाता तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सफल हुआ या नहीं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार को पता है कि उसकी बोरिंग होने के बाद उसमें कितना स्ट्रेटा निकला है ?

श्री फूलसिंह—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

अलीगढ़ जिले में कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन की शाखाओं का खोला जाना

*१८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन की शाखायें वह अलीगढ़ जिले में भी खुलवाने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—इस राज्य में इस नाम की कोई संस्था नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंडस्ट्रियल कोआपरेशन एसोसियेशन की संस्थायें हैं, और यदि हैं तो अलीगढ़ में उनकी शाखायें खुलवायेंगे ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है कि यू० पी० के अन्दर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और यह जितनी भी हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं उनमें यह सबसे बड़ी संस्था है। और संस्थायें इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित होती है। अलीगढ़ में बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं, वह भी इससे सम्बन्धित हैं।

बनारस जिले के हुदहुदीपुर ग्राम में कुओं के निर्माणार्थ सहायता

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बनारस के ग्राम हुदहुदीपुर में सिंचाई के हेतु जिन तालाबों एवं पक्के कुओं के लिये १९५३–५४ व १९५४–५५ में सहायता दी गयी उनमें से कितने का निर्माण हुआ है ?

श्री फूलसिंह—इन वर्षों में सिंचाई के हेतु उक्त ग्राम में केवल ५ कुओं के लिये ही सहायता दी गई जिनका निर्माण पहले ही हो चुका था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ५ कुओं के निर्माण के लिये जो सहायता दी गई थी, वह कितनी-कितनी है ?

श्री फूलसिंह—१ कुयें के लिये ५ सौ, बाकी के लिये चार-चार सौ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उस गांव में तालाब की खुदाई के लिये ४०० रुपये दिये गये थे, लेकिन उस गांव में खर्च नहीं किये गये ?

श्री फूल सिंह—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी जांच हो जायगी।

हिन्दी अजन्ता टाइपराइटरों को क्रय करने का मुआहिदा

*२०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि सरकार ने Provincial Marketing Federation से कोई ऐसा मुआहिदा किया है और उसके आधार पर सरकारी आदेश जारी किया है कि भविष्य में हिन्दी में केवल अजन्ता टाइपराइटर ही खरीदे जायं ?

श्री बनारसीदास—सरकार ने केवल १२०० अजन्ता (Standard) टाइपराइटरों के लिये PMF से एक contract किया है। इनमें लगभग ४०० टाइपराइटर खरीदे भी जा चुके हैं और ८०० खरीदने को हैं। Portable हिन्दी टाइपराइटरों के लिये ऐसी कोई रोक नहीं है।

*२१—श्री भगवान सहाय—क्या यह सही है कि अधिकतर दफ्तरों का यह मत है कि यह टाइपराइटर अन्य टाइपराइटरों से कमजोर और खराब हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*२२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश वापस लेने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस मुआहिदे की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—उसकी मुख्य शर्तें यह थीं अजन्ता से हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जायं कम से कम १२०० और अजन्ता के जो टाइपराइटर हैं उनका की-बोर्ड रेमिंग्टन जैसा बना दिया जाय और हिन्दी लिपि में जो सुधार हुआ है उसको उसमें सम्मिलित कर दिया जाय और इसके अलावा जो कीज की तादाद है वह रेमिंग्टन के समान कर दिये जायं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाजार में जो टाइपराइटर्स हैं उनके मुकाबले में अजन्ता की कीमत कम है या ज्यादा हैं। अगर कम हैं, तो कितनी ?

श्री बनारसीदास—यह अलग-अलग मेक पर निर्भर करता है। लेकिन अजन्ता टाइपराइटर की कीमतें रेमिंग्टन और दूसरे टाइपराइटर के मुकाबले में जो निश्चित की गई हैं कुछ कम हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन ने अजन्ता टाइपराइटर कब और कितने खरीदे थे ?

श्री अध्यक्ष—'कितने' तो उत्तर में दिया हुआ है लेकिन कब का जवाब दे दीजिये।

श्री बनारसीदास—यह मैं नहीं कह सकता कि कब खरीदे थे लेकिन १ जुलाई, सन् ५४ को उनके पास ८२९ कुल टाइपराइटर्स बाकी थे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे जब आफिस की रिपोर्ट है कि टाइपराइटर्स अच्छे नहीं हैं तो उस वक्त तक जब तक कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सरकार का कोई निर्णय न हो जाय तब तक सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करने का विचार रखती है कि ये टाइपराइटर्स न खरीदे जायं ?

श्री बनारसीदास—सरकार की तरफ से और टाइपराइटर्स खरीदे गये हैं इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हिन्दी टाइपराइटर्स की जरूरत बहुत है क्योंकि अब तक कुल ४०० ही टाइपराइटर्स अजन्ता के खरीदे गये। लेकिन गवर्नमेंट का जो कांट्रेक्ट है उस पर गवर्नमेंट ने लीगल ओपिनियन ली। और लीगल ओपीनियन यह थी कि इस कांट्रेक्ट को पूरा करना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ फेडरेशन को यह लिखा गया कि वे की गई शर्तों को पूरा करें और इसके अन्दर वे सुधार करें।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अजन्ता टाइपराइटर का कारखाना कहां है और कब से चालू है ?

श्री बनारसीदास—यह कारखाना तो बाहर का है लेकिन वैसे यहां पर वे अपनी मशीनों को रिबिल्ड करते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब अजन्ता टाइपराइटर का सारा सामान रेमिंग्गटन जैसा बनाया जा रहा है तो सरकार किन कारणों से रेमिंग्टन खरीदने के लिये नहीं कह रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारा सामान बनने का प्रश्न नहीं उठता। यह बतलाया गया कि की बोर्ड जो है वह रेमिंग्टन की तरह सब्सटीट्यूट कर दिया जाय। सारे का तो प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अजन्ता टाइपराइटर किस आधार पर और किस अथारिटी की सिफारिश पर खरीदे जाने के लिये कांट्रेक्ट किया गया ?

श्री बनारसीदास—आज से कई साल पहले इसका कांट्रेक्ट किया गया था। फेडरेशन चूंकि एक कोआपरेटिव संस्था है और उस समय हिन्दी टाइपराइटर्स की जरूरत थी और सरकार चाहती थी कि हिन्दी टाइपराइटर्स खरीदे जायं और फेडरेशन ने भी अपना आफर दिया और मार्केट में क़ीमत वगैरह देखने के बाद उनका आफर कम लगा इसलिये उनके साथ में कांट्रेक्ट कर लिया गया और साथ ही सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर ली कि सर्विस का जहां तक सवाल है वह रेमिंग्टन जैसी हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कंट्रैक्ट हुआ था उस स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइपराइटर सप्लाई नहीं किये गये तो कंट्रैक्ट सरकार ने कैंसिल क्यों नहीं किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इसका उत्तर दे दिया गया कि कंट्रैक्ट के तोड़ने का विषय उठा था और लीगल ओपीनियन उसमें ली गयी थी। लेकिन लीगल ओपीनियन यह हुई कि ऐसा हम नहीं कर सकेंगे। इसलिये उनका कंट्रेक्ट तोड़ा नहीं गया। बहरहाल मसला अभी विचाराधीन है।

*२३-२४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४३-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में गृह-उद्योगों को सहायता

*२५—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में किस-किस गृह-उद्योग पर सरकार किस रूप में और कितनी-कितनी सहायता कर रही है ?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४३ पर)

प्रदेश में ग्लास वर्क्स तथा उनसे उत्पादित सामान

*२६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने ग्लास वर्क्स हैं और प्रत्येक में वार्षिक कितने प्रकार का सामान उत्पादित होता है ?

श्री बनारसीदास—प्रदेश में ११६ ग्लास वर्क्स हैं जिनमें निम्न प्रकार का सामान बनता है—

८८ कारखानों में चूड़ियां;
११ कारखानों में शीशी, बोतल आदि;
१ कारखाने में शीशे की चादर;
२ कारखानों में बिजली के बल्ब;
९ कारखानों में शीशे के ग्लास, चिमनी आदि;
†५ कारखानों में अन्य वस्तुयें।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह नौ कारखानें जो शीशे के ग्लास और चिमनी तैयार करने के और जो एक कारखाना शीशे की चादर तैयार करने का है, वह कहां-कहां है ?

श्री बनारसीदास—यह कारखानें इलाहाबाद में हैं, शिकोहाबाद और दूसरे स्थानों पर हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें कुछ ऐसे भी कारखाने हैं जिन्हें सरकार सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बनारसीदास—सरकार की तरफ से वैसे कोई सहायता करने का इस प्रकार का विधान तो नहीं है। लेकिन जैसे फाइनेंस कार्पोरेशन या दूसरी संस्थायें हैं, जो काटेज बेसिस पर चलती हैं, वे सरकार से नियमानुसार सहायता पाने की अधिकारी हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उत्पादित सामान की बिक्री के लिये बाजार पैदा करने में कुछ सहायता करती है ?

श्री बनारसीदास—सरकार की तरफ से बने हुये सामान के लिये मार्केट तैयार करने के लिये कोई योजना तो है नहीं।

प्लानिंग विभाग, जिला हमीरपुर में क्लर्क, चपरासी, ग्राम-सेवक तथा सेविकाएं और उनमें हरिजन

*२७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्लानिंग विभाग, जिला हमीरपुर में कुल कितने क्लर्क, चपरासी और ग्राम सेवक, सेविकायें (V. L. W.) है और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

---

† प्रत्येक कारखाने के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री फूलसिंह---प्लानिंग विभाग, जिला हमीरपुर में कुल ३७ क्लर्क, २७ चपरासी, २० ग्रामसेवक और ४ ग्राम सेविकाऐं हैं। उनमें क्रमशः ३ क्लर्क, ४ चपरासी तथा १ ग्रामसेवक हरिजन हैं। ग्रामसेविकाओं में कोई हरिजन नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्लर्क और ग्रामसेवकों में हरिजनों के संरक्षण के अनुसार तादाद में उनको सर्विस में क्यों नहीं किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ये नियुक्तियां जो पहले हुई हैं वह इस संरक्षण के अनुपात में नहीं की गयी हैं। संरक्षण के जो आदेश हैं वह बाद को भेजे गये हैं और यह व्यक्ति पहले से ही नियुक्त किये गये हैं। इस आधार पर नियुक्त नहीं किये गये कि अमुक क्लास का इतना संरक्षण होगा या नहीं होगा।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में जो क्लर्क या ग्राम सेवक नियुक्त किये जायं उनमें हरिजनों को प्रिफरेंस दिया जाय ताकि उनका कोटा पूरा हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं।

बुन्देलखंड के विभिन्न जिलों में मलेरिया के रोकथाम के योजनाएं

*२८---श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुन्देलखंड में मलेरिया बहुत होता है ? अगर है, तो बुन्दलखंड के कौन-कौन जिलों के लिये मलेरिया समाप्त करने की योजनायें चल रही हैं ? अगर नहीं चल रही हैं, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---बुन्देलखंड के किसी किसी क्षेत्र में मलेरिया है, परन्तु अधिक नहीं है। १९४७ में सरकार ने झांसी जिले की ललितपुर तहसील में मलेरिया की रोकथाम की एक योजना चालू की। यह योजना १९५३ तक चलती रही, इससे वहां मलेरिया का प्रकोप कम हो गया। १९५२ में सरकार ने एक योजना जालौन में चालू की, यह भी १९५३ तक चलती रही। १९५३ में सरकार ने झांसी और जालौन की योजना खत्म कर दी और ७ जिलों में नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल योजना चालू की। इस समय सरकार एक योजना बांदा में चालू करने के लिये विचार कर रही है। बुन्देलखंड में मलेरिया की रोकथाम के लिये जरूरी दवायें बांटी जाती हैं और डी० डी० टी० का छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाता है।

श्री श्रीपति सहाय---सरकार ने यह जो मलेरिया निरोधक योजनायें चालू की हैं वह नागरिक क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह योजनायें ग्रामीण क्षेत्र में चलायी गयी थीं।

श्री श्रीपति सहाय---जिस तरह से झांसी, बांदा और जालौन में यह योजनायें चालू की गई हैं उसी तरह से हमीरपुर जिले के बारे में क्या सरकार विचार करने को तैयार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वैसे तो मलेरिया निरोध का कार्य सभी जिलों में हो है जहां भी मलेरिया पाया जाता है, किन्तु हमीरपुर के लिये कोई खास योजना अलग से अता नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

हमीरपुर जिले में जच्चा-बच्चा केन्द्र, राठ पर प्रसव काल में बच्चा अटक जाने की घटनाएं

*२९—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार को इस बात की रिपोर्ट मिली है कि राठ, जिला हमीरपुर में प्रसव-काल में बच्चा अटक जाने की घटनायें बहुत होने लगी हैं? अगर मिली हैं, तो सरकार ने उस पर क्या विचार करने की कृपा की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, जच्चा-बच्चा केन्द्र राठ पर १२ अस्वाभाविक प्रसवों की सूचना मिली है। यह अस्वाभाविक प्रसव किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि आकस्मिक होते हैं।

श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कठिन प्रसव के समय में प्रसूतिकाओं की मृत्यु होने की संभावनायें बढ़ जाती हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यह संभावना हो सकती है किन्तु गर्भवती स्त्रियों को चाहिये कि वह पहले से जच्चा-बच्चा केन्द्र में अपना नाम नोट करा लें और समय-समय पर उस केन्द्र में जाती रहें तो यह संभावना कम हो सकती है।

श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार राठ में एक लेडी डाक्टर और प्रसूतिका-गृह खोलने का विचार रखती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका उत्तर इस समय यहां नहीं दिया जा सकता लेकिन जब सारी योजना, अगली पंचवर्षीय योजना मेडिकल विभाग की बनेगी उसमें विभिन्न स्थानों के लिये विचार किया जायगा कि कहां-कहां स्त्रियों के लिये अस्पताल या प्रसूतिका-गृह बनाये जायं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं राठ में जाकर इस समस्या को पूरी तरह से जांच कर के इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्वास्थ्य मंत्री को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य मंत्री के पास बहुत से ऐसे अधिकारीगण हैं कि जिनका यह काम ही है कि वह इस प्रकार की जांच आदि करें और जहां जो बाधायें और दिक्कतें हैं उनको रफा कर दें।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह बच्चा अटकने के काण्ड स्त्रियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण ही हो रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं तो कोई विशेषज्ञ हूं नहीं, यदि माननीय सदस्य कुछ इसमें ज्ञान रखते हों तो वह जान सकते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह घटनायें न केवल राठ में बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में अधिक हो रही हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई सूचना तो है नहीं। जहां तक बीमारियों का सम्बन्ध है वह तो उत्तरोत्तर घटती ही जा रही हैं।

*३०—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बलिया)—[१९ अक्तूबर, १९५५ के किये स्थगित किया गया।]

माइक्रोफोन में खराबी की शिकायत

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के सामने लगे हुये माइक्रोफोन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उससे इस तरफ बैठे हुए लोगों को साफ़ सुनाई नही देता है। इसलिये इसका डिफ़ेक्ट दूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह आप नजूमी की हैसियत से अन्दाजा लगा रहे हैं कि शायद सुनाई नहीं देता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर श्री महवीरप्रसाद शुक्ल के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये श्री कैलाशप्रकाश द्वारा रिक्त स्थान के निर्वाचन के सम्बन्ध में कल ४ बजे तक का समय था नाम वापस लेने के लिये जिसके अन्दर तीन अध्यार्थियों ने, श्री मलखान सिंह, श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ एवं श्री देवराम ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। तो अब केवल श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ही एक अध्यार्थी रह गये। इसलिये वे निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

*खंड ८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं कल माननीय जोरावर वर्मा जी के समर्थन में खड़ा हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि सरकार जो परामर्शदात्री समिति बनाये ९ सदस्यों की, उसमें ५ गैरसरकारी और ३ औद्योगिक श्रमिकों के प्रतिनिधि और १ नियोजकों का हो। श्रीमन्, जो संशोधन कल माननीय नवल किशोर जी का मंत्री जी ने स्वीकार किया था और उसके स्वीकार करने का खास कारण यह था और माननीय सदस्यों ने जो भाषण सदन में दिये थे वे यह स्पष्ट करने के लिये हुये थे कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व ७ सदस्यों के रहने के कारण कम होता है और जब माननीय सदस्यों का दबाव पड़ा तो सरकार को मजबूर हो कर के ९ सदस्यों की परामर्शदात्री समिति बनाना स्वीकार करना पड़ा। यह संशोधन माननीय जोरावर वर्मा जी का इसीलिये उपस्थित किया गया है कि सरकार के हाथ को बांधा जाय कि सरकार नौ सदस्यों की समिति जो बनावे उसमें अवश्य ही तीन मजदूरों के प्रतिनिधि रहें। कहा जा सकता है कि सरकार के ऊपर इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये और सरकार से उम्मीद करनी चाहिये कि मजदूरों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक रखे जायंगे। श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पाबन्दी से सरकार का ही लाभ होगा और मजदूरों को भी विशेषकर संतोष होगा कि नौ सदस्यों की समिति में हमारे भी तीन प्रतिनिधि हैं। सरकार को पांच गैर सरकारी सदस्यों को रखने का अधिकार है, उस में सरकार जिसको चाहे रख सकती है। अगर मजदूरों को रखना चाहे तो उन्हें भी रख सकती है, गैर सरकारी सदस्यों में किसी विशेषज्ञ को भी रख सकती है .....

अध्यक्ष महोदय, शोर बहुत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय सदस्य आपस में बातें बहुत जोर से कर रहे हैं। कृपा करके जरा सदन में शान्ति कायम रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि माननीय जोरावर वर्मा का जो संशोधन है वह सरकार को मजबूत और मजबूर करने के लिये है। इससे उन मजदूरों के तीन प्रतिनिधि उस परामर्शदात्री समिति में रहेंगे जो कि करीब ढाई लाख की

---

†३ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
*२० सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

संख्या में हमारे प्रदेश में हैं। उनके लिये तीन मजदूर मेरे खयाल से कम हैं, लेकिन तीन तो कम से कम अवश्य ही रखे जाने चाहिये। इसीलिये यह संशोधन रखा गया है। मैं आप के जरिये से सरकार से निवेदन करूंगा कि नौ में से तीन मजदूरों के प्रतिनिधि, पांच गैर सरकारी और एक नियोजकों का प्रतिनिधि उसमें रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं क्योंकि आज यह विधेयक समाप्त होना है और कई संशोधन अभी इसमें हैं। तो दो बातें अगर माननीय सदस्य ध्यान में रखें तो यह पूरा हो जायगा और जो महत्वपूर्ण संशोधन होंगे उनके ऊपर काफी समय भी दिया जा सकेगा। वह एक तो यह बात है कि अगर एक तरह की बात किसी सदस्य ने कह दी हो और वही दूसरे सदस्य को कहना हो तो दुबारा उसको न कहा जाय और भाषण देते समय थोड़ा सा अनुशासित अपने को कर लेना चाहिये। दूसरी बात यह है कि एक जो तर्क किसी सदस्य ने उपस्थित कर दिया है उसी को फिर रखना या एक ही तर्क को बहुत सी तरह से, बहुत से ढंग से पेश करके बहुत से तरह के वाक्यों से उसको सुशोभित करने का प्रयत्न करना, इन तीन प्रकार की बातों से हम अगर बचते रहें और अपने सुझाव दे दें और अपने तर्क भी पेश कर दें तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक समय के अन्दर ही खत्म हो सकता है और माननीय सदस्य, मैं समझता हूं अवश्य सदन के कार्य के हित में इसका विचार रखेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं अपने विचार इस संशोधन के सम्बन्ध में पेश करना चाहता हूं। मैं श्री जोरावर वर्मा के संशोधन में एक संशोधन यह देना चाहता हूं कि पांच की जगह सात सदस्य गैर-सरकारी होंगे ऐसा कर दिया जाय और इस बाक़ी संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। अभी पिछले माननीय नवलकिशोर जी के एक संशोधन के सिलसिले में सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि परामर्शदात्री समिति में सात की जगह नौ प्रतिनिधि होंगे तो इस सदन के सदस्यों की जो भावना प्रकट हुई वह श्रमिकों के पक्ष में ही प्रकट हुई और सभी सदस्य इस बात पर जोर देते रहे कि श्रमिक के लिये विशेष स्थान होने चाहिये। तो जो और दो मेम्बर बढ़े, पहले श्रमिक का एक ही प्रतिनिधि था, तो यह जो दो और सदन की मांग पर मेम्बर बढ़े हैं और यह भावना प्रकट की गई कि श्रमिकों के प्रतिनिधि अधिक होने चाहिये तो वह एक के बजाय अब तीन श्रमिकों के प्रतिनिधि होने चाहिये और आशा है सरकार इसको स्वीकार कर लेगी क्योंकि जब दो बढ़ गये हैं तो अब वह पांच की जगह सात हों जायं ताकि असरकारी प्रतिनिधियों की संख्या कम न होने पावे और नियम भी यही होना चाहिए कि असरकारी सदस्य अधिक हों।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो मेरे संशोधन में संशोधन पेश किया है, अगर सरकार उसको मान ले तो मुझे उसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब वह मेरे ही संशोधन को नहीं मानेंगी कि ५ ही असरकारी उस में सदस्य हों, तो ७ को तो वह रख नहीं सकती। इसलिये उसको मानने से कोई लाभ नहीं है। कल माननीय मंत्री जी ने जब उत्तर दिया था तो यह कहा था कि माननीय नवल किशोर ने जो संशोधन रखा है उसका तात्पर्य यह था कि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, शायद वे इस बात से अधिक सहमत होंगे कि प्रतिनिधि चाहे जितने क्षेत्रों से आयें, यह हो सकता है कि वे एक ही दृष्टिकोण के हों। मेरे संशोधन का यह अर्थ था कि ३ मजदूरों के जो संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि हों, तो इसका तात्पर्य यह था कि हमारे प्रदेश में जो भिन्न-भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण हैं, या अलग-अलग जो मजदूरों के संगठन हैं, और उनके दृष्टिकोण इस समिति में उपस्थित होते तो अधिक अच्छा होता। अगर तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि उसमें एक ही प्वाइंट आफ व्यू, एक ही दृष्टिकोण के रख दिये जाते हैं तो मजदूरों के लिये वह अधिक

न्याय की बात नहीं होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें, उस विचार धारा और संशोधन से यह कहीं अच्छा है।

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं। उचित यही प्रतीत होता है कि इस विधेयक में तो एक-एक सदस्य रखा जाय और जब वह समिति बनायी जायगी, जो विचार यहां माननीय सदस्यों ने दिये हैं उसका ध्यान रखते हुये बनायी जायगी, जिससे कि प्रतिनिधित्व ठीक हो सके।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श-दात्री समिति में कम से कम ५ सदस्य असरकारी होंगे, जिनमें से ३ सदस्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा एक उनके नियोजकों (Employers) का प्रतिनिधि होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड ८ के उपखंड (२) के बाद प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं "दो" नहीं "चार" रख देना चाहता हूं, क्योंकि यह तादाद बढ़ गयी है...।

श्री अध्यक्ष—मैं अब उसमें संशोधन नहीं करने दूंगा। पहले थोड़ी सी गलती यह हो गयी थी कि एक साथ ये नहीं रखे गये। तीन रखे जा चुके थे माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन में, तो चूंकि आपका पहले आ चुका था इसलिये मैंने आपको मौका दिया है। तो अब परिवर्तन करने का मौका नहीं है। अगर करना था तो पहले वाले में करते।

श्री जगन्नाथ मल्ल—तो मैं इसको पेश नहीं करता हूं, आगे आ रहा है उसे करूंगा।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "का" और शब्द "तथा" के बीच में शब्द "और श्रमिक संगठन का एक प्रतिनिधि" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन को मान लेने पर प्रतिबन्ध की शक्ल इस प्रकार हो जायगी कि, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का और श्रमिक संगठन का एक प्रतिनिधि, तथा एक उनके नियोजकों का प्रतिनिधि अवश्य होगा।"

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को आवश्यक समझता हूं क्योंकि परामर्शदात्री समिति, प्रदेशीय स्तर की समिति होगी और मुझे यह शक है कि जो इसमें औद्योगिक श्रमिकों का एक सदस्य सरकार की तरफ से रखने की बात कही गयी है तो मुमकिन है वह अकेला सदस्य श्रमिकों की समस्याओं को समिति के सामने रखने में समर्थ न हो सके। और हम यह जानते भी हैं कि एक कहावत है कि 'एक चना भरसायें को नहीं तोड़ सकता'। तो ऐसी सूरत में मेरे इस संशोधन को मान लेने पर श्रमिकों की संख्या दो हो जायगी और कुछ काम पूरा होता दिखाई देगा। फिर मेरे इस संशोधन में एक बात और भी है कि श्रमिकों में प्रदेशीय स्तर के लोगों का मिलना असम्भव हो सकता है लेकिन जो श्रमिक संगठन हैं उनमें तो जरूर प्रदेशीय स्तर के लोग मिल सकेंगे

[श्री रामजीलाल सहायक]

और वे परामर्शदात्री समिति के सामने श्रमिकों की समस्याओं को अच्छी तरह से रख सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ७ की जगह जो ९ की संख्या बढ़ाई गई तो चाहे ७ रहें या ९ रहें या १५ रहें, अगर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ाया नहीं जाता है तो जो माननीय सदस्यों ने भाव प्रकट किये उनसे कोई सम्बन्ध रह नहीं जाता। भावनाओं को देखते हुये जो संख्या ९ बढ़ाई गयी है तो उसकी सार्थकता इसी में है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री कैलाशप्रकाश**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा के विषय में जो संशोधन हैं उनमें कई विचार धारायें उपस्थित की गयी हैं। एक तो चाहा यह जाता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो, यह भी चाहा जाता है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक हो, यह भी चाहा जाता है कि जो श्रमिकों की संस्थायें हैं उनका प्रतिनिधित्व अधिक हो, तो श्रमिकों की संस्थायें तो कई हो सकती हैं, उनमें से एक को छांटना यह भी एक काम बढ़ेगा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कोआपरेटिव सोसायटीज का प्रतिनिधित्व हो। यह भी चाहा जाता है कि जो विधान सभा है इसका भी प्रतिनिधित्व हो। ये सब विचारधारायें हैं जो माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित की गयी हैं। यह और भी पुष्टि करता है इस बात की कि जो विधेयक में है वही रखा जाय।

मेरे मित्र मौर्य जी ने यह कहा कि यह जो संख्या ७ से ९ बढ़ा दी गयी है उसका फिर क्या लाभ हुआ अगर उसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक नहीं हुआ लाभ होगा ही। विधेयक में तो इस समय यह है कि कम से कम एक श्रमिकों का और कम से कम एक नियोजकों का प्रतिनिधि हो, और वह जो संख्या बढ़ायी गयी है उसमें जो परामर्शदात्री समिति में लोग आने वाले हैं वे श्रमिकों का हित ही करने वाले हैं। अब वे कौन सी जगह के आने वाले हैं, किस क्षेत्र के आने वाले हैं, यह इस विधेयक के द्वारा नियत नहीं किया जा रहा है और यह उस वक्त होगा कि जब वह समिति बनायी जाय तो इन सब विचारों का समावेश करके जो अच्छी से अच्छी समिति बन सके वह बनायी जाय। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विधेयक में इस बात की पाबन्दी न लगा कर इसे छोड़ दें जिससे कि जितने सुझाव यहां आये हैं उन सबको सामने रख कर इस समिति का निर्माण किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन श्री रामजी लाल सहायक ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि यदि श्रमिक संगठन द्वारा हो तो वह कौन सा संगठन हो और हमारे यहां श्रमिकों के पच्चीसों संगठन हैं तो किस के द्वारा होगा, यह बड़ा मुश्किल है। इसलिये जो इसमें है यही ठीक है और यह गलत है।

श्री रामजीलाल सहायक—श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि मेरे संशोधन को माननीय मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने व्याख्यान में एक बात अवश्य कही कि जब कभी यह बनेगा तो इस प्रकार का खयाल रखा जायगा कि जिससे श्रमिक संगठनों के लोग आ सकें इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन दिया गया है, तो हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस बात को ध्यान में रख कर इसके वापसी की कार्यवाही होनी चाहिये।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहता था, मैंने कल रखा था कि खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में एक शब्द "अवश्य" है, मैं चाहता हूं कि इसको निकाल दिया जाय, क्योंकि इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है और यह रिडंडेंट है और व्यर्थ है। अगर यह नहीं रहता है तब भी मतलब पूरा हो जाता है कि एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का होगा और एक नियोजकों का होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें और इसको निकाल दें क्योंकि इसके बिना भी अर्थ पूरा हो जाता है।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में अंग्रेजी में यह शब्द शैल था इसलिये यहां इसका तर्जुमा किया गया है कि "अवश्य होगा" हमें एतराज नहीं है लेकिन इसमें शैल की सेंस आती है इसलिये इसका यह तर्जुमा किया गया है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, कल इसी टाइप का एक संशोधन आया हुआ था कि सरकार परामर्शदात्री समिति बना सकती है तो यह था कि "बना सकेगी" तो इसके ऊपर मंत्री जी ने यह कहा था कि इससे कम्पलसरी हो जायगा। शैल की सेंस यह कैरी आउट करता है तो इसको निकाल दिया जाय यही अधिक उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में से शब्द "अवश्य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(३) परामर्शदात्री समिति सभापति का चुनाव स्वयं करेगी जो बहुमत से निर्वाचित होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरा है और जो विधेयक में लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा फर्क है। संशोधन में है कि सभापति का चुनाव स्वयं परामर्शदात्री समिति करेगी और विधेयक में है कि राज्य सरकार स्वयं करेगी तो यह थोड़ा सा फर्क है। वास्तव में जो सरकार का अर्थ है वह भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि जब कमेटी सरकार की राय से बनती है और उसके द्वारा नाम निर्वाचित होना है तो सरकार जिसे चाहेगी सभापति कर सकती है लेकिन थोड़ी सी जनतंत्र प्रणाली की रक्षा हो जायगी कि सभापति को नियुक्त करने का अधिकार समिति को होगा। इसमें अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी इसको मान लेने की कृपा करेंगे क्योंकि यह अधिक उपयुक्त है और आजकल की प्रणाली के अनुकूल है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जो प्रस्ताव श्री जोरावर वर्मा ने रखा है मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहता हूं। उसमें जहां पर स्वयं आया है उसके बाद "अपने सदस्यों में से" बढ़ा दिया जाय। अब यह इस प्रकार से हो जायगा कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय: "(३) परामर्शदात्री समिति सभापति का चुनाव स्वयं अपने सदस्यों में से करेगी जो बहुमत से निर्वाचित होगा"।

इससे यह होगा कि जो नम्बर इसमें हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकेंगे, उसमें से वह चुन लेंगे। इतना मैं चाहता हूं और यह ठीक है। हमारी सरकार उस समिति को जब स्वयं ही बनायेगी और उसके सदस्यों के नाम सरकार ही नामजद करेगी तो उनको इतना अधिकार होना चाहिये कि अपनी पसन्द का अगर वे सभापति चाहें तो वह समिति उसको चुन ले। बस इतनी बात है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इसका आशय समझ नहीं पाया कि क्या विशेष आवश्यकता इसमें हुयी कि वह उस समिति का सभापति चुना जाय। यह समिति

[श्री कैलाशप्रकाश]

बनेगी और जैसा इस विधेयक में इस समय है कि सरकार की तरफ से वह नामजद होंगे तो यह उचित मालूम होता है कि जब सरकार उन सदस्यों को नामजद करे तो वह उस सभापति को भी नामजद करे। यह उचित मालूम होता है बजाय इसके कि इसमें चुनाव का सिलसिला रखा जाय ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इसका आशय समझ नहीं पाया। आशय तो इसका बिलकुल साफ है। मैं आपका ही उदाहरण लूं कि आप अध्यक्ष चुने गये। चूंकि सरकार ने प्रपोज किया तो सब ने समर्थन किया। ऐसी सीधी बात है जिसको माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये। होगा तो वही जो सरकार करेगी अगर थोड़े से सदस्यों का उसमें अस्तित्व रखा जाय तो उनका भी तो कुछ महत्व होना चाहिये और उनकी भी कुछ कीमत मंत्री जी को समझनी चाहिये। मैं, मल्ल जी ने जो संशोधन इसमें रखा है, उसके तहत में इस बात पर जोर दूंगा कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश---मैं तो कह चुका हूं कि और अब मुझे कोई नयी बात नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको संशोधित रूप में ही रख देता हूं क्योंकि वह स्वीकार कर लिया गया है।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्नरूप में रख दिया जाय---

"(३) परामर्शदात्री समिति सभापति का चुनाव स्वयं अपने सदस्यों में से करेगी जो बहुमत से निर्वाचित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) के बाद नया उपखंड (४) निम्नरूप में रख दिया जाय---

"(४) परामर्श समिति का कार्यकाल ३ वर्ष से कम न होगा।"

श्रीमन्, यदि आप इस विधेयक में इस खंड को देखेंगे तो उसमें परामर्शदात्री समिति का निर्माण जो है उसके बारे में विधेयक में जो विचार प्रकट किये गये हैं तदनुसार ९ आदमियों की यह समिति बनायी जायगी। इसके अन्दर यह नहीं दिया गया है कि इस समिति का कार्यकाल क्या होगा? लेकिन कम से कम एक तर्क को तो आप अवश्य मानेंगे और उसके अनुसार मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जिस को आप जन्म देते हैं उसको जिन्दगी भी आपदें। आप ने परामर्शदात्री समिति को जन्म दिया है तो उस को जिन्दगी भी दी जाय, बिना जिन्दगी के जन्म के कोई अर्थ नहीं हैं, जिन्दगी से ही अर्थ निकलता है और जिन्दगी के बिना किसी समाज या व्यक्ति के कोई अर्थ ही नहीं होते। मैं थोड़े में इस पर इतना ही तर्क उपस्थित करता हूं और समझता हूं कि जिन्दगी देने से ही परामर्शदात्री समिति सार्थक होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसी को जन्म देता है वही उस को जीवन भी देने की इच्छा रखता है। केवल अन्तर इतना है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह जीवन इस बिल में ही निश्चित कर दिया जाय लेकिन मैं उनका ध्यान २८ (२) के उपखंड (२) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उस में है कि धारा ८ के अधीन परामर्श-दात्री समिति का संगठन और सदस्यता के नियम बन सकते हैं। उसी वक्त नियमों में वह कार्यकाल या जीवन नियत कर दिया जायगा। इसीलिये यह मुनासिब समझा गया कि यह चीज नियमों के बनने के वक्त तक छोड़ दी जाय और यहां कोई कार्यकाल नियत न किया जाय। इसलिये जब उसको जन्म दिया जायगा तो जीवन भी प्रदान किया जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मेरे संशोधन का तात्पर्य कि परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल ३ वर्ष से कम न होगा, आगे ठीक हो जायगा। इस आश्वासन पर कि वह जन्म देने के बाद जीवन भी देना चाहते हैं लेकिन मुझे शुबहा है कि कहीं जिन्दगी छोटी न हो जाय, मैं उस का जीवन काल ३ वर्ष चाहता हूं और चूंकि जिन्दगी देने का आश्वासन मंत्री जी ने दिया है इसलिये मैं इस सुझाव के साथ कि जिन्दगी उस की लम्बी हो, अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

अनधिकृत अध्यासन में सभझे गये व्यक्ति।

९---इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा---

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हो;

(ख) यदि प्रदेशना गृहीता (allottee) होते हुये धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अध्यासन का अधिकारी न रहा हो;

(ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।

स्पष्टीकरण---केवल किराया दे देने के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि उसने गृह पर प्रदेशना गृहीता की हैसियत से कब्जा किया है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ की पंक्ति २ में शब्द "अपने" निकाल दिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, "अपने" निकाल देने से भी मेरे खयाल से भाषा ठीक रहेगी और इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ की पंक्ति २ में शब्द "अपने" निकाल दिया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (क) की पंक्ति १ में शब्द "कब्जा" और शब्द "उस" के बीच में शब्द "बिना गृह आयुक्त की आज्ञा अथवा," जोड़ दिये जायं।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, यह संशोधन मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है और इसी कारण से मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जो शब्द वह बढ़ाना चाहते हैं उन से कोई मनशा पूरी नहीं होती। यदि उस ने कब्जा गृह पर उस स्थिति में किया हो, तो यह सब बात इतने में ही आ जाती है और इन शब्दों के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा है कि माननीय सदस्य इसको वापस लेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (ग) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहने के दिन से तीन महीने व्यतीत कर चुका हो ।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के बाद इस खंड का रूप इस प्रकार हो जायगा—

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा—

(ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहने के दिन से तीन महीने व्यतीत कर चुका हो।"

श्रीमन्, जैसा कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि किन-किन परिस्थितियों में कोई भी औद्योगिक श्रमिक अपने उस मकान में रहने से अलग कर दिया जायगा उसमें से यह खंड (ग) भी है कि जिस दिन से वह श्रमिक न रहेगा उस दिन से वह उस मकान में रहने का अधिकारी नहीं रहेगा और यदि रहता है तो वह अनधिकृत समझा जायगा। जो आदमी किसी भी सर्विस में कहीं होता है उसको टाइम दिया जाता है जिससे वह अपने मकान को खाली कर सके। अभी मैंने उस दिन जनरल बहस के समय भी कहा था कि बहुत से अधिकारी और हमारे विधायकों में भी ऐसे लोग हैं जो कि कर्मचारी नहीं रहते, या सदस्य नहीं रहते उनको भी कुछ न कुछ समय दिया जाता है कि उतने दिनों के अन्दर वे अपने रहने के लिये किसी दूसरेमकान का इंतजाम कर लें। मैंने अध्यक्ष महोदय, इसीलिये तीन महीने का समय इसमें रखा है कि जहां वह सर्विस करता था जिस दिन वहां से नोटिस मिल जाय कि वह श्रमिक नहीं रहा उसके तीन महीने तक वह उस मकान में रह सकता है। इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो वह इस अवधि में अपने लिये दूसरे मकान का प्रबंध कर ले या यह भी हो सकता है कि वह दूसरे उद्योग में नौकरी कर ले और फिर वह मकान में रहने का अधिकारी हो जायगा। जैसा कि आजकल आये दिन देखा गया है, स्ट्राइक्स रहती हैं, मिल मालिक जब चाहते हैं उसी समय मजदूरों को निकाल देते हैं और ऐसा होता है कि स्ट्राइक्स होती रहती हैं और फिर दो तीन महीने के अन्दर ही मजदूरों और मिल मालिकों में समझौता हो जाता है और फिर से ऐसी सूरत में वह मजदूर इम्प्लाय हो सकता है और उसी मकान में रहने का अधिकारी हो सकता है जिससे वह निकाला जायगा। जाहिर है कि वह उस समय ऐप्लाई करेगा कि उसके रहने के लिये व्यवस्था की जाय और यह हो सकता है कि उस समय उसको रहने के लिये मकान भी न मिले। इन कारणों से मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार हो जाना चाहिये। इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि लोगों को रहने के लिये मकान मिले वह भी पूर्ण होगी। यह बिलकुल छोटा सा संशोधन है। माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उतने स्पष्ट रूप में यह यहां न हो, लेकिन उसका कुछ न कुछ विचार इस विधेयक में है। धारा ६ में तो यह कहा गया है। कि वह अनधिकृत अध्यासन में हो जायगा, जिस समय वह श्रमिक न रहे। लेकिन श्रमिक नहीं रहा उसके बाद क्या होगा। अनअथाराइज्ड हो जायगा तो क्या होगा? उसके बाद धारा २१ के अनुसार उसको नोटिस दिया जायगा और नोटिस के अनुसार वह ३० दिन के अन्दर खाली करेगा। तो इस तरह से जब वह मजदूर नहीं रहा तो उसको नोटिस मिला और नोटिस मिलने से उसे तीस दिन तो मिल ही जाते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यहां इस संशोधन के रखने की आवश्यकता नहीं है और जिस तरह से है उसी तरह से मुनासिब मालूम होता है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस धारा की ओर संकेत किया है वह इस प्रकार है "ऐसे गृह के सम्बन्ध में विधितः देय किराया तथा अन्य परिव्यय दो मास तक बकाया में रखा है, यदि धारा १६ के अधीन गृह-आयुक्त द्वारा किराये के देने की अवधि

बढ़ा न दी गयी हो," तो ऐसी परिस्थिति में जब उस व्यक्ति ने किराया न दिया हो तब ऐसा हो सकता है लेकिन इस बात का कहीं संकेत नहीं किया गया है कि अगर वह औद्योगिक श्रमिक नहीं रहेगा तो उसमें यह हो सकेगा। गृह आयुक्त उसे तुरन्त निकाल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन अपनी जगह पर उचित है और मैं इसे स्वीकार करने के लिए निवेदन करूंगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की दिक्कत को नहीं समझ पाया। जो दफा २१ है इसका ए(४) जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि वह इंडस्ट्रियल वर्कर जैसी कि इस ऐक्ट में तारीफ है, न रहे तो उसके बाद नोटिस सर्व होगा और नोटिस सर्व होने के एक महीने के अन्दर मकान खाली करना होगा और दफा ९ में यह लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल वर्कर, जैसी कि इस ऐक्ट में तारीफ है, न रहे तो निकला जा सकता है लेकिन काबिले गौर यह है कि सरकार ने पहले से यह भी स्वीकार कर लिया है कि कोई इंडस्ट्रियल वर्कर अपील फाइल करता है तो जब तक फैसला नहीं हो जाता उस समय तक इंडस्ट्रियल वर्कर समझा जायगा और जिस वक्त अपील खारिज हुई उसके बाद एक महीने का वक्त नोटिस के जरिये उसे मिलता है। इस तरह से इस ऐक्ट में मुकम्मल इन्तजाम है कि कोई ज्यादती या बेइंसाफी उसके साथ न हो। इसलिये यह जिस शक्ल में है उसी शक्ल में मंजूर होना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय मंत्री जी ने पोजीशन बहुत साफ कर दी इसलिये मुझे विश्वास है कि वर्कर के साथ ज्यादती या अन्याय नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमत से संशोधन वापस लिया गया।)

†**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (ग) के बाद निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जायं।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अगर कोई श्रमिक नियोजकों द्वारा काम से अलग कर दिया गया हो और उक्त विषय को ले कर औद्योगिक विवाद जब तक किसी न्यायालय में चलता हो तब तक उसे औद्योगिक श्रमिक समझा जायगा"।

श्रीमन्, यह जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य हैं ये सम्पूर्ण विधेयक के इस खंड ९ को व्यावहारिक रूप देना चाहते हैं जिसे अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया। माननीय मंत्री जी की यह मंशा है कि वे औद्योगिक श्रमिकों को किसी तरह से परेशान नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिये आप देखेंगे कि इस खंड में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनधिकृत अध्यासी कौन माना जायगा। इस बात की परिभाषा है। अब तो इस का उपखंड (ग) है इसमें औद्योगिक श्रमिक की परिभाषा को माना गया है उसी परिभाषा के अनुसार उसे इल्लीगल आकूपायर माना जायगा या नहीं माना जायगा तो यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य माननीय मंत्री जी की उस भावना को मजबूत कर देता है जिस को उन्हों ने अभी व्यक्त किया। तो यह संशोधन उन्हीं की सहायता के लिये है और यह विधेयक के इस खंड को और अधिक सुन्दर तथा स्पष्ट बनाने के लिए है। मुझे आशा है कि इस संशोधन में कोई विवाद नहीं होगा और माननीय मंत्री जी बिना कोई शंका उठाये हुये अपनी भावना की पूर्ति के लिए इसको स्वीकार करेंगे।

†**श्री कैलाशप्रकाश**--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है इसके विषय में माननीय मंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि सरकार यह चाहती है कि जो कोई भी मजदूर डिस्चार्ज कर दिया जाय और कहीं उसका वाद चल रहा हो, तो जब तक पहली अदालत में वाद चलता रहेगा, उस समय तक उसको निकाला न जाय। ऐसी व्यवस्था नियमों के अन्दर करने का विचार है। जो इस समय संशोधन है वह स्वीकार नहीं है। क्योंकि जब कोई वाद चलता है वह वाद एक जगह नहीं कई जगह चल सकता है। मंशा यह नहीं है कि वह जब तक आखिरी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ केसेज जाते हैं, अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाय और अनुभव ऐसा है कि उसमें वर्षों लग जाते हैं, अगर इसमें संशोधन स्वीकार कर दिया जायगा तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला न हो जायगा तब तक वह अनआथोराइज्ड आकूपायर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसमें मजदूर का भी हित है। मान लीजिये कि कोई वाद चल रहा है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कई दफा कहा भी है जो मकान दिये जा रहे हैं उनका किराया ज्यादा है, मजदूर दे नहीं सकते हैं तो जब वह काम करते हों उस दौरान में भी वह दे नहीं सकते हों और उनके लिये किराया जबरदस्त हो तो अगर वह वर्षों कार्य में न लगा रहे तो किराया देने में और भी कठिनाई होगी। इसलिये इन सब चीजों को देखते हुये यह उचित प्रतीत होता है कि जिस रूप में यह संशोधन उपस्थित किया गया है उस रूप में इसको विधेयक का भाग न बनाये बल्कि जैसा कि कहा जा चुका है कोई अगर श्रमिक निकाला जायगा और उसका वाद होगा तो पहली अदालत में जब तक वाद चलेगा उस दौरान में उसको नहीं निकाला जायगा और उसकी नियमों में व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें श्रमिकों के सम्बन्ध में कल और परसों जो मैंने भाषण सुने और आज सुना, उसको सुन कर दुख हुआ। शायद उस समय मेरे कान अच्छी तरह से नहीं सुन रहे थे या और आज़ मंत्री जी ने उसको दूसरी शक्ल में पेश किया। पहले जो मेरे कानों ने सुना था वह यह था कि उस श्रमिक का वाद जब तक चलता रहेगा, चाहे आखिरी अदालत में या अपीलेट ट्रिब्बुनल में उस समय तक वह श्रमिक समझा जायगा और नियम भी अभी तक यही है कि अगर वह श्रमिक अपीलेट ट्रिब्बुनल से भी बरी हो जाता है तो कभी कभी नहीं अधिकांश में उसको वेतन मिल जाता है उसके सारे अधिकार उसको वापस मिल जाते हैं। आप अपने न्यायालय के निर्णय को मालिकों से तो मनवायेंगे कि उसके सारे अधिकार रहें। लेकिन आपके यहां यह होगा कि नीचे की अदालत होती है कंसीलिएशन बोर्ड। वहां तीन, चार, पांच रोज में मुकदमा खत्म हो जाता है। लेकिन पांच प्रतिशत मामले भी कंसीलिएशन बोर्ड में तय नहीं होते। वह जाते हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ट्रिब्बुनल को रेफर करती है या और आगे कार्य होता है। तो अगर यह मजदूर के साथ हुआ कि वह नीचे की अदालत में, नीचे की अदालत शब्द मुझे खटक रहे हैं, अगर यह हो कि जब तक किसी न्यायालय में मामला चलता रहे, मैं तो समझता हूं कि सरकार इस तरह के कोई नियम बनाये कि इतने दिनों तक मजदूरों का केस ही न चले। इससे इंडस्ट्रियल पीस का बड़ा खतरा है। लेकिन यह यहां सवाल नहीं है। यहां इंडस्ट्रियल मजदूरों के मकानों का मामला है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा नियम बनाये कि केसेज का जल्दी फैसला हो और इस लिये मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, नारायण दत्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जैसा कि अदालतों के बारे में अवस्थी जी ने कहा, मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं लेकिन उसमें एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे मंत्री जी को भ्रम है कि मजदूर जो है वह मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में ले जायगा। ऐसा होता है कि मुकदमे एपीलेट ट्रिब्युनल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजदूर शायद ही कभी कभी मुकदमा ले जाते हों। वह तो मिल मालिक के पास पैसा है वह ही ज्यादातर जाया करते हैं। तो इस लिये मजदूर कभी कभी चले जांय तो चले जांय। अगर आपका मंशा है कि कंसिलिएशन बोर्ड में रहे तब तक तो वह मजदूर रहे, श्रमिक रहे और नहीं तो नहीं। यह जरा खटकता है क्योंकि मुकदमा कंसिलिएशन बोर्ड आदि में होता हुआ एपीलेट ट्रिब्युनल में बाद में आता है और अगर आप इस बीच में ही उसका मकान छीन लेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी।

दूसरी दलील जो उपमंत्री जी ने दी कि वह किराया देने में मजबूर है, बहुत ज्यादा किराया है और वह दे नहीं पायेगा और जब नौकरी नहीं रहेगी तो वह कहां से दे पायेगा। यह बात मेरी समझ में कुछ आई नहीं। माननीय मंत्री जी को पहले तो यहां पर किराये का जिक्र ही न करना चाहिये था। वह क्लाज अभी आया नहीं है और इसलिये उस चीज का जिक्र करना पहले से ठीक नहीं है। हो सकता है कि सदन यह चाहे कि उनसे किराया नहीं न लिया जाय। जब सदन के सामने बिल मौजूद है तो वह जिस तरह से चाहे उस क्लाज को पास कर सकता है और इसलिये मंत्री जी का यह कहना कि जब तक नौकरी पर न रहेगा तो वह किराया कहां से देगा, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। सदन यह भी तय कर सकता है कि जब तक यह नौकरी से अलग रहे तब तक वह किराया न दे और जब उस की तनख्वाह मिले तो उससे उस का किराया काट लिया जाय। अगर उस का पहले से ही यह ख्याल है कि जो चाहेंगे वही पास करा लेंगे, तो ठीक है लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। जब तक वह क्लाज अभी आया नहीं है उस का जिक्र करना उचित नहीं और इसलिये मैं चाहूंगा कि यह जो माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन है इसको वह स्वीकार कर लें। इससे काफी सफाई हो जायगी। वह इतना तो मानते ही हैं कि जब तक मुकदमा चलता रहे, वह मजदूर श्रमिक माना जायगा और कहते हैं कि हम इसको रूल में रख देंगे, लेकिन जब आप इससे सहमत है तो इस सदन का अख्तियार आप अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं। जब सदन कहता है कि इसको कानून में रख दो तो आप कहते हैं कि हम इसको रूल में रख देंगे। जब आप इससे सहमत हैं तो इसको सदन में ही कानून में आने दीजिये और इसलिये मैं चाहता हूं कि हठधर्मी छोड़ कर वह जरा इसके ऊपर निगाह डालें और सोचें कि ऐसा करने से मजदूरों का हित होगा। अगर इसको आप ने माना तो मजदूरों का बड़ा नुक्सान हो जायगा। इसलिये मैं आप से कहूंगा कि अगर यह सरकार समझती है कि हम मजदूरों के हितैषी हैं तो उसे इस संशोधन को मान लेना चाहिये और अगर वह मजदूरों की हितैषी नहीं है, मनमानी करना चाहती है तो जो चाहे करे। मुझे और कुछ कहना नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन की भावना से सहमत हूं, किन्तु उनके संशोधन के कुछ शब्दों में संशोधन चाहता हूं, क्योंकि उसमें शब्द हैं "किसी न्यायालय"। किसी न्यायालय का अर्थ तो यह भी हो सकता है कि इंडिस्ट्रियल ट्रिब्युनल से फैसला हो जाय और उसके बाद वह इंटरिम इंजेक्शन मांगने के लिये चला जाय, स्टे आर्डर मांगने के लिए चला जाय। तो मैं चाहता हूं कि वह इसमें यह संशोधन स्वीकार कर लें कि जब तक उसका वाद औद्योगिक न्यायालय में रहेगा तब तक वह श्रमिक माना जायगा। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि उनका मंशा भी सिद्ध हो जायगा और शायद मंत्री जी भी इसको स्वीकार कर लें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय तिवारी जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने उसूल की बात मान ली लेकिन आधा उसूल उन्होंने माना। उनका कहना यह है कि जब तक पहला वाद चलता रहेगा तब तक तो वह उसको श्रमिक मान लेंगे कानून के द्वारा, तो उसके बाद जैसा और साथियों ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि न्यायसंगत यह है कि जब तक उसके केस का फाइनल डिस्पोजल न हो जाय तब तक उसको औद्योगिक श्रमिक माना जाय। जब उन्होंने इस सिद्धांत को मान लिया तो मैं इसमें कोई विशेष बात नहीं देखता कि कानून के अन्दर इसको रखा जाय या विधेयक के अन्दर रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत को मान लेने के बाद वह इसको मान लेंगे कि जब तक फाइनल डिस्पोजल न हो जाय तब तक वह मजदूर रहे। मुझे आशा है कि वह इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—मैं माननीय नारायण दत्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ गलतफहमी डालने की कोशिश की, लेकिन माननीय अवस्थी जी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाने की कोशिश की लेकिन उसे वह पूर्ण न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक फैसला चलता रहेगा तो इतनी लम्बी अवधि तक के लिये मजदूर किराया देने में असमर्थ होगा। लेकिन मजदूर के लिये कम्पलसरी तो है नहीं, अगर वह देखेगा कि वह किराया नहीं दे सकता तो वह जिस समय चाहे मकान खाली कर सकता है। तो माननीय मंत्री जी अगर सचमुच में मजदूरों की दयनीय दशा से प्रेरित हैं तो वह इस संशोधन को मान लेने की कृपा करें। यह तो उसकी इच्छा पर है कि अगर वह देखता है कि वह किराया दे सकेगा तो वह उसे अक्यूपाई किये रहेगा और अगर देखता है कि किराया नहीं दे सकेगा तो उसका त्याग भी कर सकता है। माननीय नवल किशोर जी ने यह बात कही कि यह पूर्ण संशोधन अपने स्थान पर पूरा सही है और माननीय देवदत्त जी ने जिस बात को कहा है वह ठीक नहीं कही जा सकती। उन्होंने तो एक तरह से माननीय मंत्री जी का ही समर्थन किया है जो कि बहुत उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)**—अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय विधान के अनुसार प्रत्येक आदमी को लिबर्टी और अधिकार मिला हुआ है अपने देश में और इस प्रतिबन्ध से यह होगा कि जब केस चलता रहेगा किसी मजदूर के ऊपर तो कम से कम वह सकूनी के साथ अपने उस घर में रह सकता है, कोई मिल मालिक उसे निकाल नहीं सकता। लेकिन मान लीजिये कि मुकदमे के दौरान में आपने उसे निकाल दिया और दूसरे दिन डिग्री हो गयी उसकी तब तो उस मकान में तो जगह नहीं रही और फिर बाद में मिल मालिक न रखे तो वह फिर परेशान होगा। इस तरह उसे उसका उस मकान में रहने का हक बना रहता है। मुकदमे के बाद देखा जायगा। तो जो तिवारी जी ने रखा है कि जब तक मुकदमा चलता रहे तब तक श्रमिक वह समझा जाय, यह बहुत ही उचित है और मैं समझता हूं कि इसे मान लिया जाय।

***श्री नारायण दत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं उन सब माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन के पर्याय को और अर्थ को समझने का कष्ट किया और इसकी भावना का और इसके शब्दों का समर्थन किया। माननीय देवदत्त जी ने जो शाब्दिक संशोधन रखा है वह महत्व का तो "अवश्य है लेकिन उसे जरा स्वीकृत करने में मुझे केवल एक ही बात मालूम पड़ती है और वह यह कि आम तौर से औद्योगिक न्यायालयों के अलावा दूसरे किसी न्यायालय में मजदूर के मामले बहुत ही कम जाते हैं। कभी शायद साल में दो या तीन मामले ऐसे आते हैं जो औद्योगिक न्यायालय के अलावा किसी कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तो शायद ही कभी बात पैदा हो और बहुत ही कोई अस्वाभाविक मामला हुआ और उसको भी फेडरेशन या यूनियन ले गयी, तो वह शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाय। जिसमें कोई सिद्धान्त का मामला निहित होता है, वही सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब किसी सिद्धांत का, फंडामेंटल ला का मामला इन्वाल्व होता है, तभी उसे ले जाया जाता है और शायद माननीय मंत्री जी भी यह नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा मजदूर निकाला जाय जिसमें कि कोई ला प्वाइंट इन्वाल्व हो, ऐसा वह भी नहीं चाहेंगे। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस हाउस की एक मत से जो राय प्रगट हुयी है उसकी ओर कुछ ध्यान देने की कृपा करेंगे। अभी शब्दावली में इसकी गुंजाइश है, इसको और ठीक ढंग से लिखा जाना चाहिये। तो हम लोग मिलकर, मल्ल जी हैं, अवस्थी जी हैं, सब लोग फिर से ठीक रूप में कर लेंगे। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो इस पर विचार अभी स्थगित कर लें और लंच टाइम में इस पर विचार करके हम इसके शब्दों को ठीक कर लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ रहा था कि जिस बात पर इस वक्त बहस हो रही है, जब हम दफा २ के क्लाज (ई) पर बहस कर रहे थे उस वक्त जहां पर कि इंडस्ट्रियल वर्कर की तारीफ की गयी है उस वक्त भी इसी तौर से हाउस के सामने बहस हुयी थी और मैंने इत्मीनान दिलाया था कि यह मंशा नहीं है कि जब तक वह वर्कर है किसी फैक्टरी में उसी वक्त तक वह वर्कर समझा जाय और जिस दिन अलग हो, वह मकान से बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया जाय और मैंने इत्मीनान दिलाया था कि सरकार को खुद खयाल है कि बेजा तौर पर किसी के ऊपर कोई ज्यादती न हो जिस से कि किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी किस्म की जहमत हो। वही बात एक दूसरे रूप में इस वक्त फिर उठायी गयी है। मैं इस सिलसिले में जो पहली बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह खयाल करना कि माननीय सदस्य या और कोई शख्स वर्कर के इंटरेस्ट और उसकी भलाई का ज्यादा ख्वाहिशमंद है और सरकार कम है, यह खयाल गलत है। हम उसी कदर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जितना कि कोई माननीय सदस्य और हमारे उनके किसी तरह से इंटरेस्ट में क्लैश नहीं है।

सवाल यहां पर कानून बनाने का है। मुश्किल यह पड़ेगी कि अगर इस किस्म के अल्फाज रख दिये जायं जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने तजवीज किये हैं, या कोई इसके अदल-बदल के अल्फाज ऐक्ट में रख दें तो बहुत सी दिक्कत पैदा होने का इमकान है। सवाल यह है कि कौन-कौन सी अदालतें हैं जिनको अदालत माना जाय? किस स्टेज तक मामला जाय, जब तक कि वह अपील समझा जाय। और अन्देशा यह है कि यहां पर रख देने से बहुत से लोग जो यह समझते होंगे कि हमारा कोई हक नहीं है, वह अब यह सोचेंगे कि अगर हमको कोई रहने के लिये मकान मिल जाय तो यह बहुत ही अच्छा है, चाहे खुद जानते हों कि हमारा मामला खारिज हो जायगा। तो बिला किसी हक के भी लोग काबिज रहेंगे। रेंट एविक्शन ऐक्ट वगैरह कानून बने हैं, कुछ हक हैं टिनेंट्स के और वह यह जानकर कि बिल आखिर तो हमको निकालना ही है, कम से कम जितना और रह सकें उतना ही अच्छा है और ५–५, ६–६ साल तक अदालत में मामला दायर करके रुके रहते हैं और बाद में जब निकलते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा है कि अब निकले, इतने दिनों के बाद। तो जहां तक कि वर्कर्स के इंटेरेस्ट का ताल्लुक है उसका हमको पूरे तौर से अन्देशा है। तो जब रूल्स हम बनायेंगे उसमें यह सब होगा कि आया जो कंसिलिएशन बोर्ड है या जो फर्स्ट लेबर ट्रिब्युनल है, या अपीलेट ट्रीब्यूनल है उसमें क्या हक होगा और सूरत क्या होगी। यह भी हो सकता है कि कंसिलिएशन बोर्ड लेबरट्रीब्यूनल के खिलाफ फैसला करे। लेबर ट्रीब्यूनल मुआफिक करे और अपील में जाय तो अपीलेट में दूसरी सूरत पैदा हो जाया। तो इसके मुताल्लिक कोई कैटेगोरिकल या डेफिनिट रूल्स ऐक्ट में बना देना मुनासिब नहीं होगा। इसके तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद रूल्स में इसका इन्तजाम किया जायगा कि जब तक कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वर्कर जिसके मुताल्लिक यह ख्याल है कि यह गलत तौर से निकाला गया है और इसको रहना चाहिये और इसका हक है तो उसको रहने दिया जायगा। बरखिलाफ इसके कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसके मुताल्लिक यह ख्याल है कि अब इसको जगह नहीं मिलनी चाहिये या और कोई ठिकाना इसको मिल गया या और किसी वजह से अलग हो गया है, उसके लिये यह मुनासिब होगा कि वह अलग किया जाय और वह दूसरी जगह जाय। तो यह भी ख्याल रखना है कि यह मकान बिल आखिर वर्कर्स के लिये हैं, काम करने वालों के लिये हैं। अगर उनमें ऐसे लोग जमा हो जायंगे जो कि वर्कर्स नहीं हैं तो और वर्कर्स को ही नुकसान पहुंचेगा। इसमें हम किसी गैरवर्कर को तो जाकर फंसायेंगे नहीं। तो यह जो कमरे भरे रह जायगे या ऐसे लोग जोकि फजूल मुकदमा लड़ रहे हैं और उनके ऊपर काबिज कई बरस तक रहेंगे, तो दूसरे वर्कर्स को नुकसान पहुंचेगा।

तो मैं उम्मीद करता हूं कि नारायण दत्त जी समझेंगे कि यह मामला इतना साफ और स्पष्ट नहीं है जितना कि वह समझते हैं या यह कि किसी वर्कर से हमको हमदर्दी नहीं है इस वजह से हम इन्कार कर रहे हैं कि उनकी तरमीम न मानें बल्कि इसमें बहुत सी कानूनी दिक्कतें और बाधायें हैं जिनकी वजह से हम नहीं मान सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि इन नियमों में हम इसकी गुंजाइश कर देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो नियम बनेंगे इस सम्बन्ध में, क्या वे हाउस के सामने आयेंगे ताकि वह देख सके कि उनमें क्या-क्या किया गया है ।

श्री सैयद अली जहीर---बहरहाल अगर हाउस में लाने के लिये कोई कानून में इन्तजाम हो गया है और अगर हुक्म हो गया है तो आयेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो भी माननीय सदस्य उनको मुख्तलिफ तरीके से हाउस के सामने ला सकते हैं और उन पर बहस कर सकते हैं, उनके बारे में सवाल कर सकते हैं। वह कोई छिपी हुयी चीज नहीं होगी । बहुत तरीके हैं जिनसे उनको हाउस के सामने लाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (ग) के बाद निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अगर कोई श्रमिक नियोजकों द्वारा काम से अलग कर दिया गया हो और उक्त विषय को लेकर औद्योगिक विवाद जब तक किसी न्यायालय में चलता हो तब तक उसे औद्योगिक श्रमिक समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

प्रदेशना के लिये प्रार्थना पत्र ।

१०---गृहों की प्रदेशना के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार (form) में दिया जायगा जो नियत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

गृहों की प्रदेशना ।

११---गृह आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

अध्यासन की शर्तें ।

१२---(१) किसी व्यक्ति द्वारा गृह का अध्यासन उस व्यक्ति द्वारा सर्वदा उन शर्तों के पालन के अधीन होगा जो ऐसे गृह के अध्यासन के सम्बन्ध में नियत की जायं अथवा जिन्हें गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित करें ।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, गृह आयुक्त अध्यासी को नोटिस देकर और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त (cancel) कर सकता है जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हों । प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायगी ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "उस व्यक्ति द्वारा" निकाल दिये जायं, पंक्ति २ में शब्द "पालन के" निकाल दिये जायं और शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "रहेगा" रख दिया जाय ।

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, यह एक ट्रांसलेशन की बात है। इन चारों में जो शब्द दिये गये हैं मैं समझता हूं उससे यह धारा ठीक होगी और उसके पश्चात् यदि कोई उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जायगी तो वह तो आपको भी ठीक करने का अधिकार है। यह क्योंकि ट्रांसलेशन की बात है, मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्त १ में शब्द "उस व्यक्ति द्वारा" निकाल दिये जायं, पंक्ति २ में शब्द "पालन के" निकाल दिये जायं और शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "रहेगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

संशोधन का केवल इतना तात्पर्य है कि जो शर्तें सरकार नियत करे उन्हीं के अधीन उस व्यक्ति पर प्रतिबन्ध रखा जाय। यह नहीं कि जो गृहायुक्त समय-समय पर बनाता रहे, उनके अधीन न हो, बल्कि सरकार जो शर्तें नियत करे उनका गृहायुक्त पालन करेगा तो सरकार द्वारा जो शर्तें नियत हों तो यह "और" लगाने से स्पष्ट होगा, "अथवा" लगाने से नहीं होगा और यह होगा कि सरकार नियत करे या गृह आयुक्त बनाता रहे। इसलिये यह होना चाहिये कि गृह आयुक्त केवल सरकार द्वारा नियत शर्तों का पालन करे।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है कारण यह है कि इसमें "अथवा" रखा गया है। कुछ शर्तें पहले तय कर दी जायंगी वह सरकार के द्वारा हों, या गृह आयुक्त के द्वारा हों या नियमों के द्वारा तो उसमें आवश्यकता पड़ सकती है कि उनको बदला जाय, उनको बढ़ाया जाय या निकाला जाय। ऐसी व्यवस्था में "और" शब्द का होना उचित नहीं है और मतलब यह है कि वह शर्तें हैं और इसके अतिरिक्त यह शर्तें हैं इसलिये शब्द "अथवा" ही उचित प्रतीत होता है और यह शब्द "और" का ट्रांसलेशन है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यही था और मैं चाहता था कि शब्द "और" ही रहे ताकि उनको अधिकार नहीं रहे लेकिन माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि गृहायुक्त की शर्तें ही रहें समय-समय जो वह बनाता रहे तो यह अधिकार बहुत होता है लेकिन मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "अथवा" से शब्द "करें" तक निकाल दिये जायं।

इसका तात्पर्य यह होगा कि जो भी अध्यासन की शर्तें हैं वह एक दफा निश्चित हो जायं और उनको समय-समय पर गृहायुक्त की इच्छानुसार न बदला जा सके, ऐसा प्राविजन नहीं रहना चाहिये क्योंकि आखिर एक कांट्रेक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा दफा १४ के मुताबिक और जब एक ऐग्रीमेन्ट होगा तो एक पार्टी को यह अधिकार न देना चाहिये कि जब चाहे शर्त बदल दे क्योंकि आगे चलकर उसे यह भी अधिकार है कि स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्तों के उल्लंघन करने पर गृहायुक्त अध्यासी को निकाल सकता है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल इकतरफा होगा। कांट्रेक्ट का कुछ तो सम्मान होना चाहिये। जो कुछ सरकार करेगी वह ठीक ही करेगी यह मान भी लें तो भी सरकार क्या करेगी वह तो नीचे वाले करेंगे। जरा भी तकलीफ हुयी तो वह शर्त बदल देने की सिफारिश करेंगे। यह कानून के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। एक कांट्रेक्ट हो मकान के अध्यासन का, फिर इसके बाद एक पार्टी जब चाहे शर्तें बदल दे और फिर उनके स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लंघन पर वही पार्टी दूसरी को नोटिस देकर निकाल बाहर करे और

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

इसके आगे यह भी कि चाहे तो उसका प्रासीक्यूशन भी कर दे तो इस तरह की पावर्स लेना किसी भी सिद्धांत से संगत नहीं मालूम होता है। अगर किसी ऐग्रीमेंट की शर्तों में परिवर्तन करना है तो वह तो बकायदा एक फार्म होगा, एक राइट होगा जो कानून के मश्विरे से तैयार होगा, तब होना चाहिये। इसके विपरीत मनमानी परिवर्तन कन्ट्रेक्ट का उपहास होगा जिससे काफी परेशानी अध्यासी को हो सकती है। ऐसी चीज कानून में नहीं होनी चाहिये। जब मजदूरों को उनमें रहने का अधिकार दिया गया है तो इसके बदले में उनके सिविल राइट्स का अपहरण न किया जाय। मैं समझता हूं अगर ऐसा होता है तो जिस उद्देश्य से यह बिल बनाया गया है यह उसके प्रतिकूल पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "पर" तथा शब्द "सूचित" के बीच में शब्द "नियत विधि द्वारा" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मेरे इस छोटे से संशोधन का मतलब यह है कि गृह आयुक्त को मौका न मिले। सरकार इसके लिये विधि बनायेगी। उस विधि के अनुसार ही यह काम होगा। तो फिर वह आयुक्त आवश्यकता पड़ने पर किस बात की सूचना सरकार को देगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह संशोधन यहां पर रख दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह संशोधन पेश किया है। इसके रहते हुये जो कठिनाई होगी उसकी तरफ मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनके संशोधन का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ऐग्रीमेंट होगा और जिस ऐग्रीमेन्ट के मुताबिक मकान दिया जायगा, तो जब दोनों पार्टीज में ऐग्रीमेन्ट एक दफा हो गया तो गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित क्या करता रहेगा? जो सरकार नियम बनायेगी तो उस नियम के अधीन ही मकान अलाट होंगे और जो अग्रीमेंट होगा वह दोनों पार्टीज की राय से होगा। तो फिर यह चीज अपनी जगह पर गलत बैठती है कि गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित करेगा और यह असंगत चीज निकाल दी जाय तो सरकार की इससे कोई हानि न होगी और इसको निकालने से एक सुन्दर चीज हो जायगी जो कि लीगल भी होगी। मैं तो निवेदन करूंगा कि यह तो इल्लीगल चीज है और कानून के खिलाफ है। जब तक किसी चीज को दूसरी पार्टी न माने तब तक सूचित करने से उस पर पाबन्दी कैसे हो सकती है। शर्तें पहले होती हैं और दोनों पार्टी तय करती हैं, इसलिये बीच में ही अपनी तरफ से वह कोई चीज एन्फोर्स नहीं कर सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको इसमें से निकाल देना चाहिये और इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह दोनों संशोधन एक गलतफहमी पर पेश किये गये हैं। जहां तक कि शरायत का ताल्लुक है कि किन शरायत पर मजदूर मकानों में रह सकेंगे। उसके लिये दफा २८ (३) में लिखा है कि प्रार्थना-पत्र का आकार तथा आवास की प्रदेशना की रीति और उसके अध्यासन की शर्तें जो होंगी उनकी व्यवस्था की जा सकती है। तो इन तमाम चीजों का प्राविजन पहले से रूल्स में हो जायगा और बावजूद इन प्राविजन्स के दफा १२ यह है कि जो शर्तें एलाटमेंट के वक्त तय की जायं और जो बाद में हाउसिंग कमिश्नर वक्तन फवक्तन उन को बतलाता रहे। यह इस लिये रखा गया है कि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ जगहों पर मजदूर मकान लिये होंगे और मुख्तलिफ सूरतें बीच में उनके रहने के मुताल्लिक पैदा हो सकती हैं, कुछ दिनों बाद कुछ और सूरत पैदा हो सकती है। कोई चाहे कि वहां न रहे या किसी को और कोई दिक्कत हो कि जिस वजह से हटने या हटाने की जरूरत हो या कोई सूरत ऐसी आ जाय कि किसी मखसूस जगह पर किसी खास जगह के मजदूर रखे जायेंगे और उनकी जगह कोई और भेजे जायेंगे। यह मैंने ऐसी कुछ बातें बतायी कि इस तरह की कुछ मुमकिन सूरतें पैदा हो सकती हैं। ऐसी सूरतों में ही हाउसिंग

कमिश्नर बतला देगा और उसके वह पाबन्द होंगे। यह भी जाहिर है कि हाउसिंग कमिश्नर सरकार का मुलाजिम होगा, वह कोई खुद मुख्तार या तानाशाह न होगा कि वह कोई भी काम सरकार की मर्जी के खिलाफ करे या वह मुआहिदे या रूल्स के खिलाफ जायगा यह मेरे ख्याल से बदगुमानी की बात है और कोई वजह नहीं है कि हाउसिंग कमिश्नर की तरफ से बदगुमानी की कोई ऐसी बात हो। कुछ सूरतें ऐसी हो सकती हैं और सूरत हाल बदल सकती है और किसी खास जगह पर कुछ नयी बातें पैदा हो सकती हैं जिनके लिये पहले से रूल्स में प्राविजन न होगा, उनके मुताल्लिक हाउसिंग कमिश्नर को अधिकार है कि अगर वह इन्टीमेट कर देगा तो वह चीज लागू हो जायगी और मजदूरों पर उसकी पाबन्दी होगी। इसी वजह से यह रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि इतनी तफसील से समझाने के बाद माननीय सदस्य अपने संशोधन पर इसरार न करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह मैं जरा भी नहीं समझा। मेरा तो अभी तक यही ख्याल है कि वह जो यह बात कहते हैं कि हाउसिंग कमिश्नर ऐसा नहीं होगा जो लेबरर्स पर जोर जबरदस्ती करे। यह ठीक है पर यह ख्याल कि सब बातों के लिये गवर्नमेंट ही आज्ञा दिया करेगी, मैं समझता हूं कि यह किसी हद तक ठीक नहीं है। होगा यह कि जो वहां के छोटे-छोटे इंस्पेक्टर्स होंगे उन्हीं की सिफारिशों पर आयुक्त शर्तों को इम्पोज करेगा। हर जगह वह तो इन्क्वायरी करने जायगा नहीं और इसलिये मैं समझता हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। अगर यही समझ लिया गया है कि "State can do no wrong, therefore the Government can do no wrong, theerefore the Housing Commissioner can do no wrong and therefore all his subordinates can do no wrong" तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन हम जिस शासन पद्धति में रह रहे हैं उस की आइडियालोजी के बिल्कुल विपरीत है। यदि किसी दूसरी आइडियालोजी का परिचायक है। फिर भी यदि वह समझते हैं कि मजदूरों के हितों का संरक्षण अपने नियमों में कर देंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वर लाल—मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती। माननीय सदस्य की जो मंशा है वह प्रतीत होता है गलतफहमी पर। बिल में यह कहा गया है कि वह सूचित करेगा। तो सूचित करने का कोई न कोई तरीका तो होगा ही। किसी नियत विधि से रख देने से क्या विशेष फर्क पड़ जायगा यह मैं नहीं समझ पाया। मुझे यह शब्द निरर्थक से मालूम पड़ते हैं, इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंद १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "पर" तथा शब्द "सूचित" के बीच में शब्द "नियत विधि द्वारा" रख दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) के स्थान पर नया उपखंड (२) निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(२) गृह आयुक्त अध्यासी को नोटिस देकर और उसके स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हो निरस्त (cancel) कर सकता है यदि अध्यासी—

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

(क) ३ मास तक का किराया तथा अन्य परिव्यय बाक़ी रक्खा है यदि धारा १६ के अधीन गृह आयुक्त द्वारा किराया देने की अवधि बढ़ा न दी गई हो, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, अथवा

(ग) अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट शर्त को उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायगी।"

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण लंच के बाद जारी रक्खेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जिस प्रकार इसमें खंड १२ (२) दिया गया है, वह कुछ स्पष्ट सा नहीं है और हम समझते हैं कि यह बिल्कुल साफ-साफ निर्धारित करना चाहिये कि किन-किन अवस्थाओं में किसी का अलाटमेंट कैंसिल हो सकता है। इसमें बहुत वेग सा दे दिया गया है। अगर मैं उसको पढ़ दूं तो साफ हो जायगा। "समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, गृह आयुक्त अध्यासी को नोटिस देकर और उस के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार कर के तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त कर सकता है जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हों। प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिप उस व्यक्ति पर तामील की जायगी।" तो श्रीमन्, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किन-किन दशाओं में वह कैंसिल करेगा। वह वैसे ही वेग रख दिया गया है। मेरा जो संशोधन है उस में यह बिल्कुल साफ-साफ़ कह दिया है कि अगर इन चीजों का उल्लंघन किया गया उसको अलाटमेंट कैंसिल हो सकता है यानी अगर्चे वह तीन मास तक किराया या बक़ाया रक़म को अदा नहीं करता है या अगर तीन मास के बाद भी गृह आयुक्त ने कोई अवधि बढ़ाई है उस अवधि के भीतर अदा नहीं करता है तो उस का अलाटमेंट कैंसिल होना चाहिये अथवा अपना गृह पूर्णतया अंशतः किसी को शिकमी पर उठा देता है या किसी स्पष्ट शर्त का उल्लंघन करता है, अगर्चे वह ऐसा करता है तो उस का अलाटमेंट कैंसिल होना जाहिये। यह बहुत साफ है अगर मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। अगर आप वेग रख देंगे तो उस के गृह आयुक्त के अधिकार की सीमा बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता इस तरह के अख्तियार उस को देकर उस के अधकार की सीमा बढ़ायी जाय, बल्कि एक सीमा रख दी जाय कि इन इन शर्तों में उसका अलाटमेंट कैंसिल कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत सीधासादा संशोधन है। माननीय मंत्री जी उस को मंजूर करेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अधिष्ठाता महोदय, संशोधन तो सीधासादा प्रतीत होता नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता था। इसमें दो तीन संशोधन ऐसे हैं जिनमें कि सिर्फ भाषा का हेरफेर है। तात्पर्य जो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का है वही माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी के संशोधन का है, वही मेरे संशोधन का है। समय बहुत बच जायगा...

अधिष्ठाता—अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिये, इसी संशोधन पर।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मेरा मतलब यह था कि जैसा अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे , जो एक ही तरह के संशोधन हैं, महज भाषा का हेरफेर है, जवाब सब का एक ही होगा। मैं कहता हूं कि अमुक शर्त का अगर उल्लंघन करे। उन्होंने तीन कारण दे दिये हैं । बात एक ही है। तो समय बच जायगा अगर सब संशोधन एक साथ लेकर विचार हो जाय।

श्री कैलाश प्रकाश—यह जो संशोधन दिया गया है और आगे जो इस धारा में और भी संशोधन हैं उन सब में आशय यह है कि कुछ शर्तें निश्चित कर दी जायं। इस विधेयक में लिख दिया जाय और यदि उनका पालन न करे तो उस का एलाटमेंट कैंसिल किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां जो शर्तें दी जा रही हैं वह आगे धारा २१ में भी आती हैं। कोई और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक दफा कोई मकान एलाट करने के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस हो कि उस एलाटमेंट को कैंसिल कर दिया जाय। श्रीमन् इन सब बातों का उल्लेख यहां कठिन है, क्योंकि बहुत जगहों का यह मामला है और बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं । यदि इस धारा में पूरे प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो कोई ऐसा असवर उनके अतिरिक्त नहीं रह सकता है कि उसके एलाटमेंट को कैंसिल कर दिया जा सके। मैं श्रीमन्, वैसे ही कहता हूं कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है , उस में मान लीजिये कि कोई एक मजदूर है और उसको एक मकान एलाट कर दिया गया। दुर्भाग्य से उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि उसका वहां रहना जो और लोग वहां रहते हैं उनके हित में नहीं है और यह आवश्यक समझा जाता है कि वह वहां न रहे तो इस परिस्थिति में यदि किसी को भी वहां अधिकार न हो, हाउसिंग कमिश्नर को अधिकार न हो तो दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिये जो धारा जिस रूप में इस समय है वह ठीक मालूम पड़ती है। श्रीमन्, पूरा एक स्वच्छंद अधिकार तो इसमें दिया नहीं जा रहा है ; बात स्पष्ट है कि उसको नोटिस दिया जायगा। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिया जायगा। उस पर विचार किया जायगा। और विचार करने के पश्चात् ही उसके एलाटमेंट का आर्डर कैंसिल किया जा सकता है।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, यदि यह आशंका हो कि किसी समय यह गृह आयुक्त या जो भी अधिकारी हो वह स्वेच्छा से काम कर सकता है तो जैसा माननीय सदस्य देखेंगे जहां तक इस धारा का संबंध है, धारा २२ में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस धारा के अन्तर्गत अगर कोई कार्यवाही होगी तो उस को १५ दिन के अन्दर राज्य सरकार के पास अपील करने का अधिकार है, और राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि १५ दिन की अवधि से यह अधिक हो जाय और वह उचित समझे तो वह उस अपील को स्वीकार कर ले।

इन सब चीजों के होते हुये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे कि इसमें और अधिक बंधन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से समय के अनुसार अगर किसी समय इस बात की आवश्यकता पड़ी कि अलाटमेंट को कैन्सिल किया जा सके , उस को कैन्सिल कर दिया जाय, वर्ना विधेयक में उन सब चीजों की सूची देना कि जिन-जिन शर्तों के अन्तर्गत उनको हटना होगा वह मैं समझता हूं बहुत कठिन है और वह यहां देने की जरूरत नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे और इस धारा को इसी रूप में पास करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जहां तक मेरे संशोधन का सवाल है माननीय मंत्री जी को जितना भी मैंने बताया है कि इन वजूहात से वह हटाया जायगा उससे आप को कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप ने उस का विरोध नहीं किया और ठीक भी मानेंगे क्योंकि इन हालतों में उसका अलाटमेंट कैन्सिल किया जा सकता है। खाली एक वजह आप ने बतायी कि कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाय और उस की ऐक्जाम्पिल देते हुये आप ने बताया कि किसी को ऐसी बीमारी हो जाय, जिसके लिये उस को हटाना जरूरी है तो ऐसी बीमारी हो सकती है । प्लेग, कालरा या इस किस्म की जो और बीमारियां होती हैं। तो होगा क्या कि किसी को कालरा हुआ है तो गृह आयुक्त नोटिस देगा कि मकान खाली

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

कर दो फिर वह उसका लिखकर जवाब देगा, जवाब देने के बाद उस पर विचार होगा, फिर आर्डर होगा। तब तक पता नहीं उस कालरा वाले मरीज की क्या हालत हो जायगी और १५ दिन तक अपील का अख्तियार भी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बीमारी की वजह से कौन सा ऐसा कारण पैदा होगा, मान लीजिये अगर टी० बी० हो गई तो वह मिल में काम नहीं कर सकेगा और जब मिल में काम नहीं कर सकेगा तो वह मजदूर रह नहीं जायगा, वैसे ही उसको मकान से हटना पड़ेगा। तो जहां तक बीमारी की दलील है यह मेरी समझ में नहीं आयी। और कोई विशेष परिस्थिति मंत्री जी बताते नहीं कि कौन विशेष परिस्थिति होगी। हां एक हो सकती है.....।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—हड़ताल वाली हो सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह ठीक है जिसने हड़ताल की है उन सब का एलाटमेंट कैन्सिल करे। मैं माननीय अवस्थी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस से सहमत होंगे कि यह बीमारी बहुत खराब बीमारी है या दूसरी चीज जो हो सकती है वह है गृह आयुक्त का विम कि अब परिस्थिति पैदा हो गई कि अब हम हटावेंगे ही तो मैं नहीं समझा। अगर्चे मंत्री जी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बताने की कृपा करें कि इस तरह की विशेष परिस्थिति हो जायगी तो फिर क्या होगा? तो मैं सोचूं कि वापस लेना चाहिये या नहीं। हां उस परिस्थिति को भी हम एड कर दें कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा किया जायगा, अगरचे वह आवे ठीक-ठीक सामने। तो रहा जो वापस लेने की बात तो वह तो निवेदन इधर से भी होता है कि मन्जूर कर लें और उधर से होता है कि वापस ले लें लेकिन होता एक नहीं। तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में फिर निवेदन करूंगा कि आप इसको मंजूर कर लें, मुझे वापस करने को न कहा जाय।

अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी को कुछ और कहना है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं कुछ और कहना नहीं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) के स्थान पर नया उपखंड (२) निम्नरूप में रख दिया जाय–

"(२) गृह आयुक्त अध्यासी को नोटिस देकर और उसके स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार कर के तथा कारण अभिलिखित कर के उस प्रदेशना को जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हो निरस्त (cancel) कर सकता है यदि अध्यासी–

(क) ३ मास तक का किराया तथा अन्य परिव्यय बाक़ी रक्खा है यदि धारा १६ के अधीन गृह आयुक्त द्वारा किराया देने की अवधि बढ़ा न दी गई हो, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, अथवा

(ग) अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट शर्त को उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "अध्यासी को" के बाद शब्द "नियत कारणों पर ही" जोड़ दिया जाय। छपने में इनवर्टेड कामा "पर ही" के बाद होना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन के मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि संशोधन का आशय केवल यही है कि जो कारण नियत किये जायं उन्हीं कारणों पर ही नोटिस दे कर के किसी औद्योगिक श्रमिक की प्रदेशना को निरस्त किया जाय। जब तक कोई नियत कारण न हो तो फिर इसका स्पष्ट यह अर्थ होगा कि जो गृह आयुक्त हैं वह अपनी इच्छानुसार जो भी चाहे कारण नोटिस में देकर उसकी प्रदेशना को निरस्त कर दे। सरकार एक बार सोच कर के वह सब कारण नियत कर दे और जब उन नियत शर्तों का उल्लंघन करे तभी वह उससे हटाया जा सके और उस में नियत कारण देने के लिये तो सरकार को काफी समय है कि वह सोच कर के जब नियम बनायेगी तब उन कारण को लिखेगी। अब चाहे उस में जैसा अवस्थी जी ने कहा कि चाहे तो यह लिख दे कि हड़ताल करेगा तो निकाल बाहर किया जायगा, या यह लिख दे कि अमुक-अमुक फेडरेशन या श्रमिक संगठन का सदस्य होगा तो निकाल बाहर किया जायगा जो भी वह उचित समझे लिख सकती है। तो जो भी कारण हो सकते हैं वह अगर पहले से मालूम रहें तो श्रमिक भी सावधान रहे कि इन बातों को करेंगे तो निकाल बाहर किये जायेंगे। अब वह अनजान में कोई ऐसी बात करता जो अधिकारी के लिये रुचिकर नहीं होती तो नोटिस दे दी गई कि निकल जाओ और फिर उस में कोई चूं तक नहीं होने वाली है। उस में न तो कोई अपील होगी न कोई सुनवाई हो सकती है। आगे श्रीमन्, देखेंगे कि सारा न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है वह खत्म कर दिया गया है, वह बेचारा कहीं अपनी सुनवाई के लिये दरख्वास्त भी नहीं कर सकता है। इसलिये नियत कारण स्पष्ट कर देना चाहिये। मैं तो क्या बताऊं वह सरकार के लीगल एडवाइजर जो कुछ एक बार विधेयक में लिख दें फिर उसमें शायद सिर्फ होगा के बजाय होगी कर देने के और अपना की जगह अपनी कर देने के और कोई संशोधन स्वीकार होने वाला नहीं है। वह तो लफ्जी संशोधन जो हो जाय उस के अलावा जरा भी कहीं नियत कारण वगैरह भी जोड़ा जाय तो मानों कोई पहाड़ टूट पड़ा, कहीं विधेयक ऐसा न हो जाय या कोई ऐसी बात न हो जाय कि सरकार की सारी मंशा रद्द हो जाय, इस तरह की बात हो जाती है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या कानूनी मशविरा देने वाले वह जो कुछ लिख दें वही ठीक है और उस में जो लिखा है उसके सिवा कोई संशोधन हो ही नहीं सकता, माननीय मंत्री महोदय उन कारणों को स्पष्ट कर देंगे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से विधेयक में कोई खराबी होने वाली नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय द्वारका प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं, गोकि इसका आशय वही है जो कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का था, लेकिन इसमें यह आपत्ति नहीं हो सकती, जैसा कि मंत्री जी ने की कि हम सब शर्तें इस बिल में नहीं डाल सके। नियत कारणों का मतलब यह है कि जो रूल्स में प्रोवाइडेड होंगे इसमें इतनी बचत हो जायगी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर किसी अध्यासी को मकान से नहीं निकाला जा सकेगा, कुछ खास या विशेष परिस्थितियों में ही वह मकान से निकाला जा सकेगा जो नियत कर दी जायंगी। मैं समझता हूं कि यही मुनासिब बात होगी। जैसा यह बिल है, इसमें सब को समान दृष्टि से देखा गया है। चाहे कोई एक प्लग की जगह दो प्लग लगा ले, या छप्पर डाल ले या दीवार उठा ले, सभी जुर्मों के लिये एक ही सजा है कि घर से निकाल कर बाहर किया जाय। यह तो ऐसा ही होगा कि हम इंडियन पेनल कोड में दफा ३२४, ३२५, ३०२, ३०४ सब के लिये एक ही सजा रख दें, उनमें कोई भेद ही न रखें। मैं समझता हूं समदृष्टि की यह पराकाष्टा हो जायगी। इस वजह से कुछ कारण निश्चित हो जाने चाहिये कि जो रूल्स में कर दिये जायं। ताकि अध्यासी यह समझ सके कि अमुक शर्तों का वह उल्लंघन करेगा तो निकाल बाहर किया जायगा।

दूसरी चीज यह है कि अगर महज इस रिपोर्ट पर कि किसी ने घर पर एक टट्टी बांध ली है, जो कि ऐग्रीमेंट के खिलाफ़ है, उस को नोटिस दे दिया जाय, एजेक्टमेंट का, मैं

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

समझता हूं कि न्यायसंगत किसी तरह से नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के मान लेने में कोई एतराज पैदा नहीं हो सकता, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले कहा था। वह रूल्स में प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसा कि और बातें कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय चतुर्वेदी जी का जो संशोधन है ....

अधिष्ठाता--माननीय चतुर्वेदी जी का नहीं है, श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी का है।

श्री कैलाशप्रकाश--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी का जो संशोधन, जिसका उन्होंने समर्थन किया है, वह मुझे स्वीकार नहीं है। माननीय चतुर्वेदी जी की बात से मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनका सम्भवतः यह विचार है कि यदि कोई मकान में रहने वाला किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा, चाहे एक बल्ब के बजाय दो बल्ब लगावे, उस के उल्लंघन करने के बाद उसको सिवाय एजेक्ट करने के और उसका कुछ नहीं हो सकता, एजेक्ट करना ही पड़ेगा गृह-आयुक्त को। मेरे ख्याल से यह बात सही नहीं है। इसमें तो गृह-आयुक्त उसको नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद उसका स्पष्टीकरण लेता है और उसके पश्चात् अगर वह यह समझता है कि इनको कैंसिल किया जाय तो कैंसिल करेगा। लेकिन मान लीजिये कि उसने एक बल्ब के बजाय दो बल्ब लगा लिये तो या कोई शर्त जो लिखी गयी थी उस में से किसी का उल्लंघन किया तो इस धारा के ही अनुसार उस पर कार्यवाही हो ऐसा नहीं है। मैं उनका ध्यान धारा २१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके (३) में लिखा है—

"अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट अथवा" अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है।"

इसमें उनका विचार यह है कि सिवाय इसके कि वह निकाला जाय और कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। इसी का उपखंड (३) देखने का कष्ट करें। उसमें लिखा है—

"यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) अथवा (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गई हो, नोटिस की तामीली के दिनांक से एक मास के भीतर अथवा उस बढ़ी हुई अवधि के भीतर जिसकी गृह-आयुक्त अनुज्ञा दे गृह-आयुक्त को बकाया किराया अथवा अन्य परिव्यय दे दे अथवा अपने द्वारा उल्लंघन की हुई शर्तों का पालन और अनुपालन गृह-आयुक्त के संतोष के अनुसार करे, तो गृह-आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गयी अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है....."

इसमें यदि कोई किसी शर्त का उल्लंघन करता है और उस उल्लंघन का करना गृह आयुक्त के विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है तो उसके लिये गुंजायश है कि वह उससे कहे कि आप इस शर्त का पालन इस तरीके से कर दीजिये और एलाटमेंट कैंसिल न करें। तो यह जो विचार मेरे माननीय मित्र चतुर्वेदी जी का था वह सही नहीं है। मेरा पुनः यह निवेदन है कि इस चीज को इतना बन्धन करने की कोई विशेष आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। वह कहते हैं कि रूल्स में नियत कर दीजिये। मान लीजिये रूल्स नियत करने वाली राज्य सरकार हो। यहां इस बात का अन्देशा हो सकता है कि अगर इसको ऐसा कर दिया गया तो गृह-आयुक्त चाहे कुछ कर सकता है। इसलिये मैं पुनः उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं

कि यह एक धारा ऐसी है जिसमें कि गृह-आयुक्त अगर कोई कार्यवाही करे तो राज्य सरकार के पास उस की अपील आ सकेगी। यह भी बात कही गयी थी, मेरे खयाल से मेरे मित्र मौर्य जी ने कही थी कि उस की कोई अपील नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगली धारा में अदालतों में जाने के लिये कुछ चीजें रखी गयी हैं किन्तु अपील है, इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील है। इसलिये इस स्पष्टीकरण के पश्चात् मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अब इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं समझेंगे और इसे वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं जानता था कि माननीय मन्त्री महोदय ने पहले से ही क्रास मार्क लगा रखा था इस संशोधन पर वरना इसे प्रस्तुत कर के इस सदन का इतना समय न लेता। लेकिन चूंकि विचार विनिमय हुआ और उन्होंने कुछ जवाब भी दिया इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही थी उसका मुझे समाधानकारक कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया। यह दूसरी बात है कि धारा २१ में मकान खाली कराने के लिये कुछ कारण दिये हुये हों लेकिन यह धारा १२ की उपधारा २ में जो प्रदेशना को निरस्त करने के लिये पूर्ण अधिकार गृह-आयुक्त को दिया गया है उसके सम्बन्ध में यह संशोधन था और उस में लिखा है।

> "समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, गृह आयुक्त अध्यासी को नोटिस दे कर उस के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार कर के तथा कारण अभिलिखित कर के उस प्रदेशना को निरस्त कर सकता है ....."

तो इस में तो बड़े वाइड पावर्स हैं। केवल धारा २१ तक ही अगर सीमित रहना होता तो कोई आपत्ति नहीं होती और यहां भी कह दिया गया होता कि धारा २१ में जो कारण दिये गये हैं और उन पर नोटिस दे कर प्रदेशना निरस्त कर दे लेकिन यह बात नहीं है। बात यह है कि बिलकुल उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है और यह कहना कि क्या गृह-आयुक्त एक बल्ब की जगह दो बल्ब लगाने पर प्रदेशना को निरस्त कर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गृह आयुक्त बहुत ऊंचा अफसर होगा। फिर तो इस सारे कानून के बनाने और सदन का समय लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सारा अधिकार गृह-आयुक्त को ही दे दिया जाता और वही जिसे चाहता रखता जिसे चाहता निकाल देता। इस कानून के जरिये यह किया गया कि उसको किसी न्यायालय में जाने का हक़ नहीं होगा और यहां तक कि उस को सजा दी जायगी यदि गृह-आयुक्त की मर्जी के खिलाफ़ कोई बात होगी। गृह-आयुक्त की मर्जी छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारियों की मर्जी हो जाती है। मैं गृह-आयुक्त के खिलाफ़ तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो सरकारी कर्मचारी उस के मातहत होते हैं, उनकी नाराजगी हो जायगी। इसमें बड़ी दिक्कतें होगी लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने निश्चय ही कर लिया है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है तो मजबूरी है और मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "नोटिस दे कर" तथा शब्द "और" के बीच में शब्द "कि उस के द्वारा अध्यासन की अमुक शर्तों का उल्लंघन किया गया है" रख दिये जायं।

इसमें यह है कि "समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए गृह-आयुक्त अध्यासी को नोटिस दे कर", मैं कहता हूं कि अध्यासन की अमुक शर्तों का

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

उल्लंघन हुआ है, ऐसा नोटिस दे कर और उस के स्पष्टीकरण पर ऐसा होना चाहिये यानी उसको यह बतलाया जाना चाहिये कि किस शर्त का उल्लंघन हुआ है, यह नोटिस में साफ होना चाहिये

अधिष्ठाता—नोटिस देने का तो मतलब यही होगा कि उस में वह लिखेगा कि तुमने यह उल्लंघन किया है, यह कंडीशन ऐग्रीमेंट की ब्रेक हो गई।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—नोटिस के माने तो यह भी हो सकते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ऐग्रीमेंट हैं उनका आपने उल्लंघन किया है। मैं कहता हूं कि ऐसा नोटिस बिल्कुल गोल होगी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। नोटिस स्पेसिफिक होना चाहिये कि फलां-फलां शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यही मेरा आशय इस संशोधन को रखने में था यह मैं समझता हूं कि चार्जेज स्पेसिफिक होने चाहिये, जनरल और वेग नहीं होने चाहियें।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात और कह दूं कि मैंने पहले यह नहीं कहा था कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अध्यासो इजेक्ट कर ही दिया जायगा। लेकिन मेरा मतलब यह था कि इस बिल में किसी शर्त के उल्लंघन होने पर सिवाय इजेक्टमेंट के और कोई पैनाल्टी है ही नहीं।

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, है।

अधिष्ठाता—आप जब जवाब दें तब बतला दें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतला दें तो मुझे सुविधा होगी।

अधिष्ठाता—यह आप अपना भाषण समाप्त कर लें तब।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मुझे सुविधा होगी, अधिष्ठाता महोदय, वह मुझे बतला दें कि अगर किसी ने किसी शर्त का उल्लंघन किया है तो सिवाय इजेक्टमेंट के और कोई चीज हो तो उस हालत में मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है, मैं समझता हूं कि सब बातें शब्दों में साफ-साफ तो आया नहीं करतीं। किन्तु जो शब्द इस समय इस धारा में लिखे हुये हैं कि वह नोटिस देगा तो वह नोटिस निकलेगा, उसका स्पष्टीकरण देगा और उस पर विचार करेगा और उसमें कारण भी देगा कि क्यों वह कैंसिल करेगा। यह बात इनहिरेन्ट है। इसलिये इस विषय में मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

लेकिन एक शंका जो हमारे माननीय मित्र को हुई उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा २१ की उपधारा (३) में ७, ८ वीं लाइन में लिखा हुआ है कि "अगर वह चाहें तो उन शर्तों को पालन करने को कह दें" इसको अनधिकृत न समझें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मेरे संशोधन का यह मतलब नहीं है। मैंने तो इतनी बात कही कि जो नोटिस दिया जाय वह साफ होना चाहिये। इसी वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा कि मैंने निवेदन किया यह संशोधन मुझको स्वीकार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---वापस तो इसको लेना ही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल हार्मलेस है। इससे उस नोटिस का स्पष्टीकरण होता है। लेकिन मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि---

खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "अभिलिखित कर के" तथा शब्द "उस" के बीच में शब्द "धारा २३ के अन्तर्गत हर्जा अवधारित कर निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा करने की आज्ञा दे सकता है अथवा" रख दिये जायं।

मैंने जो पहले आपत्ति उठायी थी कि इस बिल के अन्दर यह दोष है कि इसमें किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिये सिवाय इजेक्टमेंट के और कोई चारा नहीं है। उसी दोष को दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन दिया है। उस में अगर छोटी मोटी शर्त का उलंघन हो तो उस में डैमेज के लिये मांग की जा सकती है। उस पर जुर्माना किया जा सकता है यह बात इसमें पहले नहीं थी इसलिये मैंने इसके लिये यह संशोधन दिया है कि हमेशा दो ही सूरत नहीं रहनी चाहिये यानी या तो उसको इजेक्ट किया जाय या कोई सजा ही नहीं हो। इनके बीच का तीसरा रास्ता है। साधारण शर्त के उल्लंघन होने पर कुछ फाइन किया जा सकता है, निकाला ही क्यों जाय। यह डिटरेन्ट होगा। अभी आयुक्त के पास छोटी-मोटी सजा देने के लिये पावर नहीं है। इस बिल के अन्दर इसका प्राविजन नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सवाल है इसमें कुछ ग़लतफहमी शायद हमारे दोस्त को हुई है क्योंकि इस धारा २३ की उपधारा में यह है कि अगर वे नाजायज तरीके से किसी घर में रहता हो तो उस के ऊपर हर्जा लगाया जा सकता है। तो यहां कोई सवाल नहीं है। यहां पर तो यह है कि अगर एलाटमेंट हो गया हो तो वह उसका एलाटमेंट कैंसिल हो जायगा। जब उस का अलाटमेंट हुआ ही नहीं तो यहां पर यह प्रश्न पैदा नहीं होता हर्जा वसूल करने का जहां तक सवाल है वह खंड २३ में आ जाता है, इसलिये वह हर्जे की बात सोचते हैं तो वह भी यहां ठीक नहीं बैठती। रहा उनका यह कहना कि इस बिल में छोटी सजा कोई नहीं है तो माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया लेकिन मैं बता दूं कि इसमें छोटी सजा भी है, जहां १,००० रुपया तक जुर्माने की व्यवस्था है तो वह १ रुपया जुर्माना भी हो सकता है, ऐसा आगे आप देखेंगे। इसलिये यह संशोधन कुछ फिट इन नहीं करता और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे और आगे चाहें तो वह इस को ला सकते हैं।

श्री कैलाश प्रकाश---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझा कि हमारे मित्र श्री शम्भू नाथ जी चतुर्वेदी को अब भी किस तरह से आशंका है? वह कहते हैं माफ करने या निकालने का अलावा कोई और चारा नहीं है। आप सेक्शन १२ का ध्यान न रखें उस में यह है कि वह चाहेगा तो कैन्सिल कर देगा, लेकिन अगर आप सेक्शन २१ में देखें तो जैसा कि वह कहते हैं कि अगर कोई छोटी सी शर्त तोड़ दे तो २१ (क) में है कि अगर वह कोई शर्त तोड़ देता है तो यह जरूरी नहीं है कि उस का एलाटमेंट ही कैंसिल किया जाय बल्कि २१ के ही सबसेक्शन (३) में कहा गया है कि अथवा अपने द्वारा उल्लंघन की हुई शर्तों का पालन और अनुपालन गृह आयुक्त के संतोष के अनुसार करे। मानलीजिये किसी ने शर्त तोड़ी और किसी ने २ बल्ब लगा लिये तो गृह आयुक्त कह सकता है कि उनको हटाओ या कम करो, वह अगर ऐसा कर देता है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं और मुनासिब भी नहीं है कि कैंसिल किया जाय। इसी तरह से दूसरी जगह छोटी सजा का प्राविजन

[श्री कैलाश प्रकाश]

है। इसलिये जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है, हालांकि उन्होंने जो सजा की बात कही वह ऐसी बात नहीं है कि एक रुपया जुरमाने की दूसरी जगह प्राविजन है वह नहीं है। इन कारणों से मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र इस को वापस ले लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आपत्ति माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने की वह, अगर हमारे संशोधन को जो २३ खंड पर है देख लेते तो वह उनको न होती। आखिर जो संशोधन भेजे जाते हैं वह सारे बिल को ही देख कर भेजे जाते हैं और वह देखें कि आगे जो मेरा संशोधन है उसके अनुसार यह असंगत नहीं है। रही माननीय मंत्री जी की बात तो मेरी समझ में बैठती नहीं। शायद मेरी समझ ही टेढ़ी है। पेनाल्टी तो बिल में एक ही है। कि अध्यासी निकाला जा सकता है। उसने जो अनधिकृत कार्य किया है उसको दूर करवाना, तो केवल डिफ़ेक्ट को ही रेक्टीफाई करना हुआ। मान लीजिये कि किसी ने दीवार उठा ली, आपने उसको तुड़वा दिया लेकिन इतने दिनों जो उसने बेजा काम किया और उसको बनाये रखा उसके लिये उसको कोई सजा नहीं दी गई। मैंने आगे खंड २३ में जो संशोधन दिया है उसका भी आशय यही है कि जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया हो उनसे भी डैमेज क्लेम किया जा सके। ताकि छोटी-मोटी शर्तों का उल्लंघन हो तो उसके लिये छोटी-मोटी पेनाल्टी भी हो सकती है और हमेशा गृह आयुक्त के लिये लाजिमी न हो कि या तो उसे एजेक्ट करे और या उस एजेक्टमेंट नोटिस को वापस ले ले और कुछ न करे। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो मेरे जितने संशोधन हैं सब स्वीकृत होने चाहिये लेकिन अब भी यदि माननीय मंत्री जी कहते हैं तो मुझे वापस लेना ही है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—एप्वाइंट आफ आर्डर सर। कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे सदस्य के विचारों को मानसिक दबाव देकर यदि रोकना चाहें तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है या नहीं ?

(हंसी)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—पहले इसके कि मैं खंड १३ लूं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा था कि माननीय उपमंत्री जी ने जो हाउसिंग कमेटी की रिपोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है उस रिपोर्ट की सारी कापी उनको मिलनी चाहिये। मेरा खयाल है कि उनका यह कन्टेनशन बिल्कुल सही है। यदि थोड़ा सा पढ़ दिया जायगा तो उनको सारी रिपोर्ट समझने में दिक्कत होगी और उनके प्रति अन्याय होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सारी रिपोर्ट की कापी उन्हें दे दें।

खंड १३

१३—इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी (Shall not be called in question) तथा इस अधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी अधिकार के अनुसार किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा (Injunction) जारी नहीं कर सकेगा।	न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का बाधित होना।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अधिष्ठाता महोदय, खंड १३ इस प्रकार है—

"१३---इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अथवा गृह-आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी (Shall not be called in question) तथा इस अधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी अधिकार के अनुसार किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा (Injunction) जारी नहीं कर सकेगा ।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार से किसी व्यक्ति को न्यायालय में जाने से या कोई भी इंजस्टिस किसी के प्रति हो तो उसके लिये जस्टिस सीक करने का रास्ता बन्द करना कहां तक उचित है इस पर आप स्वयं विचार करें। कहां तो मान्यता यह थी कि एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग किया जाय, न्यायालय पर एक्जिक्यूटिव का कोई असर न पड़ सके और हर व्यक्ति को जस्टिस मिलने का रास्ता खुला रहे। कहां अब यह नयी प्रणाली कानून बनाने की जो कुछ एक्जिक्यूटिव करे उसके खिलाफ कोई न्यायालय में जाने ही न पाये। तो मैं देख रहा हूं कि धीरे-धीरे शासन की तरफ से इस प्रकार के कानून दिन पर दिन बनते जा रहे हैं कि शासन के जो अधिकारी हैं वे जो भी और जिस तरह से जनता पर शासन करें उसके विरुद्ध उन्हें न्यायालय में जाने का हक न हो। अपील तक रोकने की बात होती तो एक बात थी लेकिन बिल्कुल न्यायालय का रास्ता बन्द कर देना यह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े अन्याय की बात है। हमारे प्रजातंत्र देश में हर मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि जहां भी वह महसूस करे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है वह अदालत में जा कर न्याय की याचना कर सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब आपने देखा उसके साथ एक मकान के एलाटमेंट का ऐग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के बावजूद भी उसे ऐसी शर्तों के पालन के लिये बाध्य किया जाता है जो कि एग्रीमेंट में नहीं है। इसके अलावा उसे नोटिस दे कर उसके एलाटमेंट को रद्द किया जा सकता है जिसके कारणों का पता नहीं है। अगर गृह-आयुक्त यह समझे कि वह व्यक्ति ८ बजे के बजाय ९ बजे अपने घर में आता है तो नोटिस दे दे कि तुमको ८ बजे तक वापस आना चाहिये था तुम ९ बजे अपने मकान में क्यों आये, तुम्हारा एलाटमेंट कैंसिल किया जाता है। इस लिये कोई भी रुकावट इस कानून में नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोई भी गृह-आयुक्त इस प्रकार का नोटिस देगा लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कानून जो बनता है उसके अन्दर कोई न कोई नियम अवश्य होते हैं जिनके मातहत सरकारी कर्मचारी अमलदरामद करते हैं। यह नहीं कि उनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अधिकार दे दिया जाय, मनमाने ढंग से कि अपनी इच्छानुसार जब चाहें नोटिस दे कर उनका एलाटमेंट निरस्त कर दें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे कि धारा २७ (१) के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध और अथवा तदन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो ६ मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दिये जा सकते हैं। धारा १३ के अनुसार किसी शख्स पर अगर किसी नियम के उल्लंघन करने पर ६ मास की सजा या १ हजार जुर्माना हो और कोई भी आदेश हो और उसके पालन करने में वह आपत्ति करता है, उसे कोई शिकायत हो उसके बारे में तो वह किसी न्यायालय में नहीं जा सकता, इसके लिये रास्त बन्द है। सजा दिलाने के लिये रास्ता खुला है, जुर्माना करने के लिये रास्ता खुला है लेकिन अगर वह समझता है कि मेरे ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, कोई ज्यादती की जा रही है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता। कानन बना है जिसके अनुसार प्रदेशना होगी, जिसके अनुसार उसे हर्जा होगा, उसे मकान से निकाला जायगा, जिनके अनुसार उसे नोटिस दी जायगी। अगर उन कानूनों की पाबन्दी न हो, सरकारी कर्मचारी कानूनों का उल्लंघन करें तो फिर न्यायालय में नहीं जा सकेगा। उसे उन सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा जो सरकारी कर्मचारी देंगे। पालन न करने पर सख्त से सख्त सजा हो जायगी। मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कि यह कानून की मंशा कि किसी भी व्यक्ति को चाहे औद्योगिक श्रमिक हो या कोई भी व्यक्ति हो उसको न्यायालय का रास्ता बन्द करनें में, सरकार कौन सा लाभ समझ रही है ? आप उसे मकान से निकालना चाहते हैं। आप प्रदेशना को निरस्त करते हैं, अगर कानून के खिलाफ कोई बात की जायगी तभी तो वह कोर्ट में जायगा, कानून के अन्दर जितनी बातें सरकारी कर्मचारी करेंगे, उसे किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना पैसा बरबाद करेगा। न्यायालय भी जब कोई उचित कारण होंगे तभी उनकी सहायता करेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि न्यायालय का रास्ता बन्द करना नितांत अनुचित है। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है कि हम हर कानून में न्यायालय में जाने का रास्ता और अपील में जाने का रास्ता इस तरह से रोकते रहें। आप देखेंगे, इसमें यह है कि कोई न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकेगा। इस प्रकार का अधिकार न्यायालय को हो ही नहीं ? मैं समझता हूं कि यह नितान्त अनुचित है। सदन इस पर गौर करे कि यह क्या इस प्रकार न्यायालय का रास्ता बन्द करना उचित है। मैं समझता हूं कि जो स्वतंत्रता प्रेमी हैं, हर माननीय सदस्य को निस्संकोच इस धारा का विरोध करना चाहिये और मौलिक अधिकार किसी का छीना नहीं जाना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा भी संशोधन इसी प्रकार का है। मैं श्री मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और अपना भी संशोधन जोरदार शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह खंड १३ सदन के सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं। "इस अधिनियम ....."

अधिष्ठाता---यह आपका कोई संशोधन नहीं है। आप खंड १३ पर बोलना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री रामेश्वर लाल---संशोधन भी है मेरा।

अधिष्ठाता---क्या संशोधन है आप का ?

श्री रामेश्वर लाल---खंड १३ निकाल दिया जाय।

अधिष्ठाता---यह कोई संशोधन नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि जब मैं खंड १३ पुट कर रहा हूं उसके पहले आप को बोलने का मौका देता हूं। बस इतना ही।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, मैं पढ़ना चाहता था इसलिये कि कुछ खास पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं।

अधिष्ठाता---आप पढ़ सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल---लेकिन अब मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। श्रीमन्, अगर इस खंड पर आप ध्यान दे से देख तो इसमें जो विशेष बातें हैं वह गौरतलब हैं इस सदन के। सबसे पहली बात यह है कि इस अधिनियम के इस खंड द्वारा मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घात होने जा रपा है। दूसरी बात यह कि न्यायालय के अधिकारों का ह्रास होने जा रहा है और इस सदन की मर्यादा का भी ह्रास होने जा रहा है क्योंकि इस सदन ने ही न्यायालय को अधिकार दिये होंगे और उन अधिकारों का ह्रास इस कानून के स्वीकृत हो जाने के बाद होगा। तो मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के इस खंड को हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, जब आम बहस इस पर हुयी थी तो मैंने इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहा था कि व्यक्ति स्वातंत्र को प्रजातंत्र हुकूमत में एक विशिष्ट स्थान दे चुके हैं उसका किसी भी मूल्य पर अब हम ह्रास न होने देंगे। यहां हम देख रहे हैं, हालांकि मैं चर्चा करूं इस विधेयक के बहुत से उपखंडों का तो यह उचित नहीं होगा, किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार यह उचित समझती है कि एक आदमी जिसके अधिकारों का ह्रास हो रहा है वह सरकार के पास अपील

करे, यह उचित है लेकिन न्यायालयों के पास न जाय, यह अनुचित है। यही हमारे इस उपखंड का मतलब है। सरकार ने खंड २१(१) के द्वारा यह नियम बनाया है और उसे आगे चल कर हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को अपील करने की कोई बात हो तो वह २१ (१) के अनुसार राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है लेकिन वह न्यायालय में नहीं जा सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों राज्य सरकार यह समझती है कि उसके पास अपील करना उचित है और न्यायालयों में उनका जाना अनुचित है? यह प्रश्न है जो मैं आपके द्वारा इस सदन से और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस अपील के अधिकार को अपने ही पास इसलिये रखना चाहती है कि उसे डर है कि यह करोड़ों की लागत पर बनी हुयी, लाखों की आमदनी की यह संस्था जो किसी आयुक्त या व्यक्ति के हाथ में जा रही है उसमें यदि किसी के साथ कोई नादानी हुयी तो उसका भंडाफोड़ न्यायालयों में होगा। इसलिये सरकार उचित समझती है कि उसकी अपील उसके ही पास आये और न्यायालयों में न जाय। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें और मैं कहता हूं कि आपको चाहिये कि जो अधिकार आपने एक व्यक्ति को उसकी स्वाधीनता के लिये, स्वतंत्रता के लिये दिये हैं, उनकी रक्षा और उनकी मर्यादा के लिये, उसके प्रतिपादन होने में आप सहायक बनें और उसको सहारा दें। और उन न्यायालयों को जो अधिकार आपने दिये हैं उनको आप सीमित न करें। यह तो वही मनोवृत्ति है कि जो दुनिया के अधिनायक वादी राष्ट्रों और अधिनायकों में होती है।

श्रीमन्, हम जितने भी विधेयक देखते हैं उन सब में ज्यादातर हम पावर को सेंट्रलाइज करते चले जाते हैं और यह फासिस्ट मनोवृत्ति है और फासिस्ट मनोवृत्तिवादी जर्मनी और हिटलर का नतीजा १९३६ से ४५ तक क्या हुआ है इसको हमने देखा है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहूंगा कि जनतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पर ताकत को केन्द्री करण की तरफ न ले जाते हुये, जनता में, जैसा कि नियम है वह विकेन्द्रीयकरण की तरफ ले जायं। श्रीमन्, यह कहा जा सकता है कि बहुत छोटी बात है, जैसा कि माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि सीमित दायरे में, सीमित काम के लिये, सीमित विधेयक है। यह भाषा है जिसे मंत्री जी ने रट लिया है। मैं आपसे और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप सीमित समझते हैं इस सीमित परिभाषा और सीमित अधिनियम के अन्दर आप जो असीमित ताकत लेने जा रहे हैं वह आप पर और आपके राज्य की नियत पर एक कुठाराघात करेगी। तो इसलिये मैं जोरदार शब्दों में यह अपील करता हूं माननीय मंत्री जी से कि कम से कम जिस तरह से वह यह दावा करते हैं जैसा कि अमूमन सुना जाता है कि यह प्रान्त अग्रगण्य रहा है अन्य प्रान्तों से बहुत से मामलों में, मैं यह कहूंगा कि यहां भी वह इसको प्राथमिकता देंगे और इस विधेयक से इस खंड १३ को निकाल कर इसकी आवश्यकता को देखते हुये, यश के भागी बनेंगे।

*श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मौर्य जी की इस अपील के बाद कि सदन के जितने स्वतंत्रताप्रेमी हैं वे इस खंड १३ को निकालने में उनकी सहायता करें और माननीय रामेश्वर लाल जी के इस फतवे के बाद कि अगर यह न निकाला गया तो यह फासिस्टवाद का, अधिनायक बाद का एक प्रतीक होगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी दिक्कत पड़ती है किसी व्यक्ति को एक सही बात कहने के लिये जब कि सही बात कहने के बजाय भावनाओं के ऊपर कोई व्यक्ति अपील करना चाहता हो। मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं, आपके द्वारा उन्होंने हम लोगों से कुछ बातें पूछी थी कि क्या उन्हें मौजूदा अदालतों का अनुभव है? माननीय अधिष्ठाता महोदय क्या उन्होंने इस चीज को देखा है कि बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेशीय सरकार भूमि सुधारों में शायद इस देश में सबसे आगे रही और जितना भूमि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश शुक्ल]

सुधार उसने किया है, यदि वे सब के सब लागू हो जाते तो आज किसानों का बहुत कुछ संकट दूर हो गया होता, लेकिन इन अदालतों के टैम्पोरेरी और परमानेंट इंजंक्शन और कानून की पेचीदगियों और उसमें काम करने वाले बाहर और अन्दर के दलालों के कर्त्तव्यों की वजह से आज काश्तकारों को कोई लाभ नहीं हो सका उन सुधारों का।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या यह अपनी जगह पर बात सच नहीं है कि अगर किसी चीज को खत्म करने की मंशा किसी व्यक्ति की हो जाती है और उसे यदि अदालतों में जाने का रास्ता रहता है तो फिर वह चीज नहीं हो सकती है। मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं, मौर्य जी से, अगर आदालतों में जाने का यह रास्ता खुलता है तो फिर यदि कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि हमें इस घर से नहीं निकलना है तो उन्हें कौन निकाल सकता है, बीसों वर्ष तो रास्ता बताया जा सकता है लेबर कमिश्नर को और सरकार को और किसी तरीके से चाहे जितना भी कसूर करने वाला क्यों न हो जब तक वह निश्चय न कर ले कि ठीक है इस घर से निकलेंगे, तब तक उसे कोई नहीं निकाल सकता। कानून के अन्दर इतनी गुंजाइश है। तो मैं आपके द्वारा श्रीमन्, उनसे यह बात कहना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों को माननीय रामेश्वर लाल जी के शब्दों में कह रहा हूं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये, जिनको कि बड़े सिद्धांत की बातें कहा जाता है। कौन नहीं मानता है वैयक्तिक स्वतंत्रता को, कौन नहीं चाहता कि न्यायालयों में जाने की सब को सुविधा रहे? लेकिन क्या यह स्थान है और यह कि यदि विरोधी दल की तरफ से माननीय रामेश्वर लाल जी यह कहें कि सरकार की यह फासिस्ट टेंडेंसी है तो जिस तरीके से, जिम्मेदारी से कोई विरोध किया जाता है सरकार का करीब-करीब उससे कुछ बराबर ही, हां, कुछ थोड़ा कम ज्यादा सरकारों का रुख हुआ करता है अगर बहुत जिम्मेदाराना विरोधी दल अन्दर या बाहर रहता है तो बहुत तरीके की चीजें बहुत उसको सिद्धांत की चीजें सरकारों से भी मिलती हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारी में कुछ बहुत दूर जा करके कार्य बाहर किये जाते हैं तो उसके लिये उसके बचाव के लिये रास्ते भी निकाले जाते हैं। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझा और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस धारा को तो वह कभी निकालने की बात सोचें न। यह वह जान है जो सारे कानून को प्रचलित करेगी और जो भी यह चाहते हैं कि घरों के प्रबंध में अव्यवस्था हो, वह तमाम मनोवृत्तियां जो चाहती हैं कि अव्यवस्था हो और उच्छृंखलता समाज में बढ़े वही मनोवृत्तियां इस धारा को निकालने के लिये जोरदार शब्दों में समर्थन करेंगी। इसलिये मैं आपके द्वारा उन तमाम विचारों से जो सदन के अन्दर हों जो कि समाज के अन्दर एक व्यवस्था कायम करना चाहते हों, जो कि सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिये सहायता करना चाहें जो कि मजदूरों को आनन्द से रहने के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं, उन तमाम ऐसी मनोवृत्तियों को आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वे इस धारा को इस कानून के अन्दर रखने के लिये प्रयत्नशील रहें और जो भी इस धारा को निकालने की बात करता है वह श्रमिकों का हित नहीं करता। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस धारा १३ को एक सिद्धान्तहीन धारा मानता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि मत, मत-पेटिका और न्यायालय यह तीन प्रजातन्त्र की इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियों के रूप में होती हैं और यह एक शरीर का निर्माण करती हैं। मत और मत-पेटिका एक्जीक्यूटिव का निर्माण करती हैं और न्यायालय में उसका निराकरण होता है। यदि स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाय कि मत और मत-पेटिका ही केवल रहेंगी, न्यायालय नहीं रहेगा तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। पर गंगा-जमुनी भाषा का प्रयोग करके मैं नहीं जानता यह कौन सा सिद्धान्त बनेगा, जिसके ऊपर चल करके हम आगे अपने किसी सिद्धान्त को स्थिर रख सकेंगे। मैं ऐसी भाषा को अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने नहीं लाना चाहता, जिसके लिए आगे चलकर हमारी आगे की पीढ़ियां हमारे ऊपर अंगुली का निर्देशन करें। धारा १३ को

भाषा मर्यादित की जा सकती थी। मैं समझता हूं कि शैशव की डेमोक्रेसी भी होती है। डेमोक्रेसी का शैशव काल भी होता है उसमें कार्यकारिणी को एग्जीक्यूटिव को कुछ अधिकार अपने पास रखने पड़ते हैं। पर उसमें हम अपनी भाषा मर्यादित रख सकते हैं। मैं अधिष्ठाता महोदय, लॉ डिपार्टमेन्ट के ऊपर कोई एस्पर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए अपमान की बात है और यदि हमारे अन्दर कोई सिद्धान्त को सामने रखने की बात है यदि हमारे अन्दर कोई स्वतंत्रता के प्रति आदर है तो धारा १३ को मर्यादित रूप में रखकर उसकी भाषा को मर्यादित करके ही आगे चलना चाहिये। डैमेजेज की धाराओं के अन्दर अपील की व्याख्या अवश्य की गई है, लेकिन इसके अन्तर्गत तो हमारे सभी रास्ते बन्द कर दिये गए हैं। इससे कितने अर्थ के अनर्थ होंगे। कितना अधिकार दे दिया गया है ? इसका परिणाम क्या सरकार को प्राप्त होगा ? मैं जानता हूं हमारी इस सुशील सरकार को जब नतीजे का ज्ञान प्राप्त होता है, परिणाम का ज्ञान होता है तो फिर वह संशोधन के रूप में उसे लाया करती है। पर यदि वह पहले ही विचार कर ले तो ऐसी धारा का निर्माण ही न हो जिससे आगे फिर संशोधन लाना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय--श्रीमान, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का जिसमें कि उन्होंने तेरहवीं धारा को निकालने का संशोधन रखा है समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, उधर के माननीय सदस्यों का भाषण जिसमें माननीय रामलखन मिश्र जी प्रमुख हैं सुनने को मिला और मैं समझता हूं कि माननीय रामलखन शुक्ल जी के भाषण के बाद यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह धारा लोकतन्त्र की हत्या करने वाली धारा है। श्रीमन्, आदत होती है बहुत से माननीय सदस्यों की दूसरों के ऊपर आक्षेप करने की। माननीय रामनरेश शुक्ल जी इस काम के लिए कोई नये नहीं हैं। इस सदन में तो आज तक का यही इतिहास है। सरकार जो भी बिल लाये, जो भी धारा आये चाहे वह जनता के पक्ष में हो या न हो, लोकतन्त्र का रास्ता बतलाने वाली हो या न हो, उससे प्रदेश की जनता का कुछ लाभ हो या न हो, लेकिन उस धारा का उस विधेयक का समर्थन आंख मूंदकर करना है।

श्रीमन्, जब यह कहा जाय कि अदालतें बड़ी खराब हैं तो माननीय रामनरेश जी कहेंगे कि अदालतें बड़ी अच्छी हैं और जब मांग होती है कि अदालतों को अधिकार मिलना चाहिये न्याय करने का, तो माननीय रामनरेश जी कहेंगे कि बिल्कुल खराब हैं अदालतें, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिये। जो ही बात सरकार कहेगी उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो जायंगे श्रीमान जी। अदालतें खराब हों चाहें अच्छी हों कोई मैजिस्ट्रेट जज खराब हो चाहे अच्छा हो बहस य नहीं है। संशोधन यह है कि यह जो धारा है वह धारा यह कहती है कि गृह आयुक्त का फैसला जो हो राज्य सरकार का जो भी फैसला हो उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। श्रीमन्, एक अदना गंवार किसान से भी देहात में जाकर पूछा जाय कि तुम्हें सजा हो गयी, क्या तुम अपील करना पंसद करते हो या नहीं। श्रीमन्, अगर उसके पास शक्ति होगी अपील करने की तो वह यही कहेगा कि मैं जरा अपने दुःख दर्द की कहानी ऊपर की अदालत में सुनाना चाहता हूं और उस दबाये हुए आदमी को, मजदूर को सरकार इस विधेयक के जरिये अगर यह आदेश दे कि वह अपील नहीं कर सकता है और माननीय रामनरेश शुक्ल जी उसका समर्थन करें तो फिर क्या कहा जाय कि लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाली सरकार है और लोकतंत्र के हामी माननीय रामनरेश शुक्ल जी हैं, श्रीमन्, उस सरकार को जो लोकतंत्र के ऊपर चलने वाली कहे और श्री रामनरेश शुक्ल दम भरें उस सरकार की क्या गति होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि माननीय रामलखन मिश्र ने जो उदगार प्रकट किये हैं, वैसे उद्गार उधर के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों के हैं। मैं आपके जरिये न्याय मंत्री

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो न्याय का पद मिला हुआ है उसको मिश्चिय न करें। बहुत महत्व का पद है और इंगलैण्ड में जिसने शिक्षा पायी हो वह मंत्री जब जनता को, मजदूरों को ऐसे अधिकारों से वंचित करे तो तरस आता है उसके नाम, पद और शिक्षा पर।

अधिष्ठाता—मैं माननीय उपमंत्री जी से कहूंगा कि जरा रामसुन्दर पांडेय जी के भाषण की ओर ध्यान दें।

राम सुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इस सदन की परिपाटी यह होती चली जा रही है कि जनता के हकों को छीनें और जनता के हकों को छीन कर के किसी उच्च कर्मचारी के हाथों में या सरकार के हाथों में सुपुर्द करना और इस तरह की परिपाटी इस देश में बढ़ती गयी तो श्रीमन्, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। मैं समझता हूं इस प्रदेश की सरकार को चिन्ता इसकी जरा सी भी नहीं है इससे लोकतंत्र का जो रास्ता है सही माने में मानवी तो वह खराब होगा और उसका फल यह होगा कि लोग लोकतंत्र के रास्ते से विमुख होकर अधिनायकवाद की ओर बढ़ेंगे अहिंसा को छोड़ कर हिंसा की ओर बढ़ेंगे और मेरा ख्याल है कि सरकार को जरा सी भी परेशानी महसूस नहीं होती। उसका कारण यह है कि इस वक्त जो विशाल बहुमत इस सदन में है। उसी का कारण है कि मतवाला होकर वह ऐसे ऐसे विधेयकों को और धाराओं को लाती है। इसका नतीजा प्रदेश में बहुत बुरा होगा और वह इससे ऐसी पार्टियों और ऐसे लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जो ऐसे कानूनों का उल्लंघन करें और उल्लंघन करने के बाद सरकार यह दोषारोपण करती है कि लोग कानूनों को अपने हाथ में लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को ही पहले ऐसे कानूनों को पास करने के लिये मजबूर नहीं होना चाहिये। ऐसे आयुक्तों के हाथ में अधिकार सुपुर्द करके यह कह देना कि सजा में लोग अपील न करें तो मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज हो गयी कि जैसे सांप को जो विषधर होता है उसे कोई सुघनी सूंघाकर के उसके क्रोध को, रोकता है या डसने को रोकता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा वक्त होता है कि सांप डस देता है और वह विषधर मर जाता है।

श्रीमन्, इस सदन के माननीय शिवनारायण जी, रामलखन मिश्र जी और बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो इस धारा का बहुत विरोध करते हैं और मैं उन लोगों को तहे-दिल से धन्यावाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जब कुछ धाराओं का उधर के बैठने वाले लोग भी विरोध करने लगेंगे तो हो सकता है कि सरकार ठीक रास्ते पर आ जाय और अगर वह इससे ठीक रास्ते पर नहीं आयेगी तो जनता जो बाहर बैठी हुई है वह डट कर मुकाबिला करेगी और सरकार को मजबूर होकर इन धाराओं को हटाना पड़ेगा। श्रीमन्, बहुत सी धारायें और बहुत से विधेयक इस प्रदेश में बने हैं, जिनको सरकार को मजबूर होकर बदलना पड़ा है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जब उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जोरदार शब्दों में विरोध करते हैं तो अच्छा होगा कि वह इस धारा को निकाल दें। इससे सदन की मर्यादा बढ़ेगी और यही नहीं जो हजारों रुपया खर्च होने वाला है वह भी बच जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—(अधिष्ठाता द्वारा स्वशासन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, प्रस्तावक महोदय का भाषण होना चाहिये था तब मंत्री जी का भाषण होना चाहिये था।

अधिष्ठाता---वह कोई बात नहीं है कोई संशोधन नहीं है ।

श्री सैयद अली जहीर---महोदय, जहां तक दफा १३ का ताल्लुक है । इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि जो अहकामात इसके मातहत जारी होंगे अदालत में उनके खिलाफ कोई चाराजूई नहीं की जा सकेगी । गालिबन सब माननीय सदस्य जानते होंगे कि अदालती कार्यवाहियां जो चलती हैं खास कर इस तरह के मामलात में उनमें इतनी तूल फैल जाती है और इतनी परेशानी हो जाती है कि जिसकी वजह से बजाय इसके कि कोई नतीजा निकले आखिर में दोनों फरीक परेशान होकर खत्म हो जाते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि लोगों को कोई हक नहीं है, लेकिन महज देर करने के लिये वे अदालत में जाते हैं और उनका नतीजा आखिर में यही होता है जैसा कहा गया है कि जो मुकदमा जीतता है वह तो बिल्कुल ही हार जाता है और जो हारता है वह खत्म हो जाता है । ऐसी सूरत में ऐसे बहुत से कानून बन रहे हैं और यह कोशिश की जा रही है कि या तो मामले आपस में तय हो जाया करें या और किसी ऐसे तरीके से तय हो जाया करें, जिससे ज्यादा मुकदमेबाजी का मौका न मिले । पंचायतें इसीलिये देहातों में कायम की गयी हैं । उसका नतीजा यह है कि बहुत से झगड़े जो पहले जमाने में अगर अदालत में जाते थे तो बड़ी तबाही व बर्बादी होती थी, लेकिन अब उनका फैसला पंचायतें कर देती हैं और उनके फैसले के खिलाफ अपील वगैरह या इस किस्म की इजाजत फरीक को नहीं दी जाती है । बहरहाल जहां तक निगरानी का ताल्लुक है वह हक अपील का नहीं है । वह तो यह है कि अगर कोई बात बईयन तौर पर खिलाफ कानून की जाय तो वह जा सकता है, लेकिन यह पंचायत की बात है वहां आपस में बैठकर मामले तय कर दिये जायं । इसी तरह से बहुत से मामले मजदूरों और मालिकों के हैं तो उसके लिये अदालत में जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आरबीट्रेशन के जरिये से मामले तय कर दिये जायंगे । यह चीज आमतौर से जरूरी समझी गई है इसलिये लोगों को तबाही और बरबादी से बचाने के लिये यह किया गया है ।

आजकल मुकदमों की तादाद बावजूद बहुत रोकथाम के, बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारी अदालत उनका किसी तरह से वक्त पर फैसला नहीं कर पाती है । नतीजा यह होता है कि वर्षों तक मामले पड़े रहते हैं और तय नहीं होते । चुनांचे यह मुनासिब समझा गया कि ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल बना दी जाय जिसके जरिये से एक बड़ा आला अफसर बैठकर इन मामलों को देख ले और उसके फैसले के बाद अगर किसी को बेइत्मीनानी हो तो उसको अख्तियार होगा कि वह सरकार को उसके खिलाफ उजरात पेश करें । चुनांचे गवर्नमेन्ट उसको देखकर आखिरी फैसला कर देगी, यह सूरत रखी गई है । मेराख्याल यह है कि आखिर में आप इस पर गौर करेंगे तो समझ जायंगे कि यह चीज मजदूरों के ही हित में है । अगर उनको मौका दिया जाय कि वह छोटे-छोटे मामलों में अदालत में जायं और वहां से हुक्म लाने के लिये वकीलों पर खर्चा करें और तरह-तरह के इखराजात करें तो इसका नतीजा यह होगा कि फायदा कम होगा और उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी । लिहाजा इस दरवाजे को बन्द करने की कोशिश की गई है ।

मुझे यकीन है कि एक तरफ तो सरकार जनता की नुमायन्दा है और वर्कर्स के हित के लिये काम कर रही है और उन्हीं के फायदे के लिये यह कानून बनाया जा रहा है तो यह समझना कि हाउसिंग कमिश्नर या गवर्नमेन्ट ऐसे फैसले करेगी कि जो उनके हित में नहीं होंगे, यह मेरा खयाल है कि नामुनासिब होगा । फैसले जो होंगे वह तो उनके फायदे के लिये होंगे । अगर बजाहिर किसी के खिलाफ फैसला होगा तो इसलिये कि किसी दूसरे मजदूर का हक बजाय उस मजदूर के जो एतराज कर रहा है, उससे बेहतर होगा और उसकी जगह वह जायगा । जैसा कि मैंने एक और तकरीर के सिलसिले में कहा था कि इनमें बहरहाल मजदूर ही रखे जायंगे । लेकिन सवाल यह होगा कि कौन

[श्री सैयद अली जहीर]

ज्यादा मुस्तहक है, जो किराया अदा नहीं करता है या दिक्कत या परेशानी पैदा करता है और दूसरा मजदूर जो उससे बेहतर है और मुआहिदे को पूरे तौर से मानता है और उस पर कायम है और जो उसके जिम्मे बकाया है वह अदा करता रहता है तो यकीनन कोई वजह नहीं होगी कि उससे हाउस कमिश्नर मुखालिफ हो, लेकिन ऐसे मजदूर जो फसाद झगड़ा पैदा करने के लिये या अपने जिम्मे बकाया को अदा नहीं करेगा तो जरूर उसका हक खत्म होगा। ऐसी सूरत में अगर एक दरवाजा और खोल दिया जायगा तो बजाय इसके कि उनके हकूक महफूज हों, उनकी तबाही और बरबादी का रास्ता निकल जायगा। यह उनके हित में है, उनके फायदे के लिये है। जब यह ऐक्ट चलने लगेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि इससे मजदूरों को फायदा पहुंचता है, नुक्सान नहीं पहुंचता है। मैं अर्ज करूंगा कि हाउस इस एतराज को वापस ले लेगा ताकि मजदूरों का फायदा हो।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

अनुबन्ध-पत्र का निष्पादन। १४—प्रत्येक गृह का अध्यासी ऐसे आकार में अनुबन्ध-पत्र (agreement) निष्पादित करेगा जो नियत किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

किराये की दरें और अदायगी के दिनांक। १५—प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रदेशना प्राप्त हो, किराया तथा अन्य परिव्यय (charges) उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे, जिन्हें गृह आयुक्त निश्चित करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ की पंक्ति २ में से शब्द "तथा उन दिनांकों पर" निकाल दिये जायं। धारा १५ में यह है कि "प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जिसे प्रदेशना प्राप्त हो, किराया तथा अन्य परिव्यय उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे, जिन्हें गृह आयुक्त निश्चित करें।" तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा १६ में वह किराया वसूल किया जायगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि वह महीने की दसवीं तारीख तक देय होंगे तो फिर यहां पर इस बात के लिखने की क्या जरूरत है कि उन दिनांकों पर देय होंगे जिनको गृह आयुक्त निश्चित करे। यह बात तो बिल्कुल विपरीत सी हो जाती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि "उन दिनांकों पर" शब्दों को यहां से निकाल दिया जाय, क्योंकि वह आगे की धारा १६ में दिया हुआ है।

श्री कैलाश प्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस संशोधन को सुनकर जरा आश्चर्य हुआ। १६ में यह कहा गया है कि १० तारीख तक देय होंगे। जब १० तारीख निश्चित देय के लिये है तो उससे पहले कोई दिनांक निश्चित नहीं हो सकता है। केवल सुविधा के लिये यह धारा है। बहुत से मजदूरों को यह कह दिया गया कि यह लोग ११ तारीख को देंगे, १२ को देंगे और १३ को देंगे तो इसमें क्या असुविधा होगी मैं इसको जान नहीं पाया। जो दिनांक यहां पर निश्चित किया गया है उससे तो पहले हो नहीं सकता है। उसके बाद की तारीख होगी और इसमें वही रास्ता सुविधा का है। इसलिये मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मालूम होता है माननीय मंत्री जी ने धारा १६ के प्रतिबन्ध को नहीं देखा । उसमें यह दिया हुआ है कि प्रतिबन्ध यह है कि गृह आयुक्त उन आदेशों के आधीन जिन्हें राज्य सरकार प्रचारित करें समय-समय पर किराया तथा अन्य परिव्ययों के देने के दिनांक बढ़ा सकता है । यह वह पढ़ने की कृपा करते तो इसको समझ जाते । लेकिन फिर भी मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रामेश्वर लाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १५ की पंक्ति ३ के शब्द "निश्चित करे" से पहले शब्द "परामर्शदात्री समिति की राय से" रख दिये जायं। अब इस तरह से हो जायगा कि "जिन्हें गृह-आयुक्त परामर्शदात्री समिति की राय से निश्चित करे ।"

श्रीमन्, परामर्शदात्री समिति के निर्माण की कल्पना और निर्माण की व्यवस्था इस विधेयक में है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उसके कर्त्तव्य क्या होंगे । मैं यह चाहता हूं कि मजदूरों का किराया देने का दिन जब आयुक्त तय करने बैठे तो परामर्शदात्री समिति जो कि सरकार के नामजद लोगों की ही होगी उसकी राय ले ली जाय । मैं यह समझता हूं कि परामर्शदात्री समिति परामर्श देने के लिये बनी है । उसकी आवश्यकता को सरकार ने महसूस किया है । इस समिति के जिम्मेदार लोग सरकार द्वारा नामजद होंगे । जिसमें मजदूर और मिलमालिकों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । मजदूरों के प्रतिनिधि, यह माननीय सदस्य जानते हैं कि मजदूरों के हित का ख्याल रख सकेंगे । तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दलील देने की आवश्यकता नहीं है और माननीय मंत्री जी इस को स्वीकार करेंगे और वह मल्ल जी के इस कथन को गलत साबित करेंगे कि मंत्री जी कोई भी संशोधन जो उपस्थित किया जाता है स्वीकार नहीं करते हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक परामर्शदात्री समिति की सलाह का सम्बन्ध है उसमें तो पहले ही नियत कर दिया गया है कि सरकार नियत करे या गृह-आयुक्त नियत करे । रही किराए की बात, मैं इस विषय में सदन के सम्मुख थोड़ी सी बात स्पष्ट करना चाहता हूं और वह यह कि यह तो सरकार की भी इच्छा है कि मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि सरकार किसी तरह से भी इस बात में कम नहीं है, मजदूरों के साथ सहानुभूति रखने में जिस तरह से कि और माननीय सदस्य हैं । किराए के विषय में हमारे कुछ लिमिटेशन्स और कठिनाई हैं और वह यह कि यह पैसा केन्द्रीय सरकार से आता है और २,७०० रुपए में एक क्वार्टर बनता है उसमें से आधा तो अनुदान मिलता है और आधा भारत सरकार का है जो ऋण के रूप में है और वापस करना होगा, उस ऋण की ब्याज की दर साढ़े ४ प्रतिशत है वह २ किस्तों में अदा करना पड़ेगा ।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता, लेकिन हमें वह ऋण अदा करना है उसका मेनटेनेन्स है और कुछ टैक्सेज हैं तो सब मिलकर डेढ़ परसेंट से भी ९४ रुपया ८ आना आता है । अगर हम को साढ़े १३ रुपए की किस्त देनी होती है तो वह ८६ रुपया ६ आने के करीब आता है । अगर हम २,७०० रुपये पर केवल सूद लगायें जो हमें देना पड़ता है केवल साढ़े ४ प्रतिशत का तो वह भी २१६ के करीब आता है जिस से १८ रुपया मासिक किराया होता है । इसको भी हम छोड़ दें और १,३५० पर साढ़े ४ प्रतिशत लगावें और ९४ रुपया ८ आना वह जोड़ें जो टैक्सेज का आता है तब भी किराया करीब-करीब १३ रुपया आयेगा, १२ रुपया १५ आना होता है और जो किराया केन्द्रीय सरकार ने नियत किया है वह समझते हैं कि स्टैन्डर्ड किराया है, वह

[श्री कैलाश प्रकाश]

कहते हैं कि सब चीजों और परिस्थिति को सामने रखते हुए दस रुपया किराया है। मैंने इस बात को यहां इसलिए स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के संशोधन हैं, यह सब स्थिति मैंने सदस्यों के सामने रख दी है। मैं समझता हूं कि यह सदन इस पर विचार करेगा। जैसे किसी समय भी इस सदन को अधिकार है कि मजदूरों को कोई भी सहूलियत किराये के बारे में पहुंचा सके, लेकिन देखना यह है कि हमारी जो जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के प्रति है वह पूरी हो सके सरकार मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिये हर समय तैयार है और उसमें उसको कोई कठिनाई न होगी। हम चाहते हैं कि कम से कम किराए में अच्छे से अच्छे मकान हमारे मजदूरों को मिलें, लेकिन हमारी जो मजबूरियां हैं उनके अन्दर ही काम हो सकता है किसी से रुपया लिया जाता है तो उसको वापस करने और सूद अदा करने का भी ख्याल किया जाता है। इतने स्पष्टीकरण के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस खंड को इसी रूप में रखेंगे और जो संशोधन आगे आवेंगे उनको पेश करते समय भी इस बात का विचार रखेंगे। केवल सूद के मानने से और टैक्सेज लगाने के बावजूद भी १३ रुपया किराया आता है दस रुपया यदि किराया वसूल किया जाय तो भी ३ रुपया मासिक सरकार को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी धारा १५ के लिये सरकार की तरफ से जो विचार व्यक्त किये गये हैं मैं उनका विरोध करने के लिये तो नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन एक बात तो बहुत साफ है। उनका कहना सही है कि यह रुपया उनको आधा कर्ज में मिला हुआ है और आधा सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार से मिला हुआ है। यह भी सही है कि इस आधे रुपये यानी साढ़े १३ सौ रुपये को भी पचीस-तीस वर्षों में अदा करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मकान सरकार ने उन लोगों के लिये बनवाये हैं जो साधन सम्पन्न हैं या उनके लिये बनवाये हैं जिनको वास्तव में मकानों की आवश्यकता है। अगर सैद्धांतिक रूप में यह तय हो जाय कि हमने यह मकान बनवाये हैं किराया लेने के लिये तो इसमें जिनको आवश्यकता हो, वह आयें और न हो तो उन्हीं गन्दी कोठरियों में रहें जिनको हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनमें आग लगा दो। यही नहीं, अभी गत वर्ष जब कि वह कानपुर पधारे थे तब भी उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अभी तक वह गंदी बस्तियां हटाई नहीं गईं और अगर मैं कोई ऐसी बदतमीजी कर दूं तो लोग बुरा न मानें कि उन हातों को आग लगा दूं और उनकी इस डांट का नतीजा यह हुआ कि ५ हाते उखाड़ दिये गये और वहां के लोगों को ले जा कर इन्हीं मकानों में ठहराया गया था। प्रश्न उठता है कि क्या इसी किराये में? उत्तर है नहीं, इस किराये में नहीं, बल्कि यह कहा गया कि जो किराया तुम यहां देते थे वह तुम दो। शेष किराया डेवलपमेंट बोर्ड पूरा करेगी। इस शर्त पर उन लोगों को वहां से ले जाकर बसाया गया। वास्तव में यह कार्य सरकार का सराहनीय है, लेकिन इस बात की आवश्यकता थी कि जिधर हम लोगों की निगाह थी उनकी पूर्ति हुई लेकिन जो चीज देखनी है वह यह है कि यह अधिनियम न बना होता तो शायद इस चीज को हमको मौका न मिलता, लेकिन अब अधिनियम बन रहा है और एक चीज को निश्चित करने जा रहे हैं, इसलिये कुछ सुझाव इस बारे में देने हैं।

मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो रुपया आप को दिया उसके लिये उन्होंने बम्बई और कलकत्ता इन दो जगहों के लिये कर के रेट्स फिक्स किये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्रीय सरकार की किताब है। इसमें यह है कि बम्बई और कलकत्ता में दस रुपया सिंगिल क्वार्टर और १३ रुपये दो रूम के क्वार्टर का। लेकिन उसी के साथ माउटसाइड बम्बई और कलकत्ता के लिये १० रुपये और १३ रुपये रखे हैं। मालूम होता है कि जिन महाशय ने यह रेट्स तय किये हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के मिनिमम वेजेज

का पता नहीं था और अगर मैं यह कहूं कि यह उनको मालूम नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां मजदूरों का मिनिमम वेज मय महंगाई भत्ते के २६ रुपया रखा है, अगर उनको यह मालूम होता तो शायद बदक़िस्मत उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता और किराया कुछ कम हो जाता, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था और जब उन्हें मालूम नहीं था तब इस सदन का कर्त्तव्य हो जाता है कि इन एग्रीमेंट करने वालों का ध्यान आकर्षित करें कि जो समझौता आपने प्रान्तीय सरकार के साथ किया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। और वह संशोधन यह कि इस दर को वह कुछ कम करें। कम करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि तीस वर्ष के बजाय कुछ आगे बढ़ा दें। यह भी एक तरीका हो सकता है कि इसमें कुछ केटेगरीज कर दी जायं। जैसा कि मैंने पिछले दिन अपने भाषण में बताया था—हालांकि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और इसलिये मैं उन आकड़ों को पेश करना नहीं चाहता, लेकिन वे आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन मकानों में जो इस समय तक रहने वाले हैं उनका अधिकांश वेतन, अधिकांश नहीं बल्कि २/३ लोगों का वेतन १०० रुपये से अधिक है। १०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले मजदूर को इतना किराया देने में दिक्क़त जरूर होती है। लेकिन वह किसी न किसी तरह से अपने खर्चों को कम करके इतना किराया दे सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, जो मजदूर इन गन्दे हातों में रह कर एक रुपया १४ आने या २ रुपये या ढाई रुपये किराया देकर रहते थे। अब आपने उसे १२ रुपये और १४ रुपये पर कर दिया, १० रुपये किराया और बाक़ी बिजली का किराया क्योंकि सब सम्मिलित मामला है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अधिक है, जो लोग साधन सम्पन्न हैं वे रेडियो भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं और स्टोव भी जलाते हैं, लेकिन जो साधनसम्पन्न नहीं है वे रेडियो, पंखा या स्टोव का फायदा नहीं उठा पाते, केवल बत्ती का ही लाभ उठाते हैं। ऐसी दशा में चूंकि वे लोग साथ में हैं उन्हें भी उसका किराया देना पड़ता है। ऐसी हालत में मेरे अपने कुछ सुझाव हैं और वह यह कि जिन लोगों का १०० रुपया से अधिक वेतन है उनसे आप लें १२ रु० और जिनका वेतन १०० रुपये से कम ८० रुपये तक है उनसे आप लें १० रु० और जिनका ८० रु० से कम ६० रुपया तक है उनसे आप लें ८ रु० और जिनका ६० रुपये से कम है उनसे आप लें ६ रु० किराया और यह उसी समय तक लें जब तक कि केन्द्रीय सरकार के पास इस सदन की आवाज न पहुंचे और कोई दूसरा एग्रीमेंट न हो जाय। अगर नहीं होता है तब तो हमारे सामने दिक्क़त है और हमें कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा और हम चाहेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वे इधर ध्यान दें और केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें, लेकिन जब तक यह नहीं होता है चूंकि यह हमारे अधिकार सीमा के बाहर हैं उस समय तक मैं चाहता हूं इस हिसाब से आप इस रुपये को वितरित करें कि अन्त तक अधिक से अधिक मजदूर उसका फ़ायदा उठायें और आप के किराये की जो रकम है उसमें भी आप को कोई दिक्क़त न पड़े। मुझे आश्चर्य है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने बार-बार इस बात का विश्वास दिलाया कि हम इस सदन के सदस्यों से ज्यादा मजदूरों के हितैषी हैं—मैंने नहीं कहा और न सदन के लोग यह समझते हैं कि यह सरकार और सरकार का मंत्रिमंडल हम लोगों से मजदूरों का ज्यादा हितैषी नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि उस हितैषिता का कोई परिचय होना चाहिये और वह परिचय यही है ....

(इस समय ४ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कि आपने अगर इसमें हमारी सहायता की तो आप विश्वास रक्खें, सैकड़ों उन आदमियों का जो टी० बी० के मरीज हैं, सैकड़ों उन खानदानों को जो आप के लिये कलंक का टीका है, सैकड़ों उन मकानों से जो गन्दे हैं मजदूरों को निकाल कर उनकी रक्षा कर सकेंगे, उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकेंगे। मैं आपके द्वारा फिर प्रार्थना करूंगा कि यदि मेरा यह सुझाव आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन ३४–क का है रामेश्वरलाल जी का, उसमें कहीं यह बात नहीं है कि किराया क्या हो। उसमें तो दरों की बाबत है जब गृह-आयुक्त निश्चित करे तो उस समय परामर्शदात्री समिति से राय ले। यह संशोधन रामेश्वरलाल जी का है। लेकिन भाषण हो रहा है किराये के बारे में।

श्री अध्यक्ष—यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं समझ रहा था कि सूर्यप्रसाद जी अवस्थी यह सुझाव स्वतंत्ररूप से दे रहे थे, ऐसा मुझको लगा।

*श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से मैं श्री रामेश्वरलाल जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं और अपने उपमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा इस सदन में कि केन्द्रीय सरकार ने कर्ज दिया है, उस कर्ज की अदायगी में दस रुपये और साढ़े तेरह रुपया उन्होंने मकानों का किराया रखा है। लेकिन उपमंत्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन नहीं दिया कि जब वह कर्ज अदा हो जायगा तब उन किरायों की दरों में कमी कर देंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि ज्यों ज्यों किराया पटता जायगा त्यों-त्यों उनका किराया कम होता जायगा। यह होगा डेमोक्रेसी पर सही अमल, गरीबों की हमदर्दी और जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि न्याय मंत्री बहुत हमदर्द हैं, सदस्यों से ज्यादा तो मैं चाहता हूं न्याय मंत्री इस बात का एश्योरेंस दें कि जब उनके किराये की अदायगी हो जायगी .....

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन से विपरीत पड़ता है।

श्री शिवनारायण—उपमंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से कर्ज लिया है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कुछ भी कहा है, सवाल तो यह है कि संशोधन आपके सामने है। संशोधन में यह है कि परामर्शदात्री समिति से सलाह करे। आप इस पर बोलिये कि सलाह करे या न करे।

श्री शिवनारायण—रामेश्वरलाल जी ने जो कहा कि हाउसिंग कमिश्नर समिति से सलाह लें, मैं उसका समर्थन करता हूं। आशा है कि सरकार उसे स्वीकार करेगी।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। कल मैंने इसी प्रकार का जो संशोधन रखा था यह उसका एक अंग है। मैं यह चाहता था कि जितने मामले इस विधेयक से संबंधित हों, सब पर परामर्शदात्री समिति से सलाह ली जाय। उन्होंने सब के लिये न रख कर सिर्फ इस बात के लिये संशोधन रखा है कि जो दरें लगायी जायं उसमें गृह-आयुक्त परामर्शदात्री समिति से अवश्य सम्मति लें। जैसा कि अभी माननीय अवस्थी जी के भाषण से पता चला ऐसे ही प्रतिनिधि उस परामर्शदात्री समिति में जाकर गृह-आयुक्त को सलाह दे सकते हैं कि किस प्रकार किराये की दर होनी चाहिये। गृह-आयुक्त बड़ी तनख्वाह पाने वाला मजदूरों की परिस्थिति को नहीं समझ सकता है। इसलिये मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—हमारे इस संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह एक अनोखा भाषण था। मैंने तो सीधा सादा संशोधन रखा है कि परामर्शदात्री समिति से दर और दिनांक तय करने के लिये परामर्श ली जाय। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह केन्द्रीय सरकार ने कितना दिया और प्रान्तीय सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितना देगी, उसमें कितना किराया और सूद पड़ेगा, यह सब बताया गया। फिर भी मैंने इसका नतीजा लगाया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि चूंकि जो मकान २७ सौ रुपये में बनता है उस मकान का किराया सूद लेकर साढ़े तेरह रुपये से कम नहीं बैठता या दस रुपये से कम नहीं बैठता। अगर परामर्शदात्री समिति को यह अधिकार हो जाता है कि परामर्शदात्री समिति दर को कम कर दे, तो घाटा लग जायगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परामर्शदात्री समिति है क्या। यह परामर्शदात्री समिति आप ही बना रहे हैं। गृह-आयुक्त आप कर रहे हैं, सभापति आप बनायेंगे, परामर्शदात्री समिति की नामजदगी आप करेंगे। मैं यह समझता हूं कि बुद्धिमत्तापूर्ण तथ्यों पर ही आपकी नामजदगी आधारित होगी और आप उचित ही लोगों को नामजद करेंगे, वह अधिकार आप के हाथ में दिया गया है तो आप भले आदमियों को ही नामजद करेंगे तो क्यों अविश्वास करते हैं कि वह अच्छा काम नहीं करेंगे? वह राज्य सरकार के प्रतिनिष्ठा रखेंगे। हम लोगों को इसमें भी आशंका थी। इसीलिये हमने बहुत से संशोधन रखे थे, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किये। तो जो आज परामर्शदात्री समिति है वह आपके द्वारा नामजद होगी। फिर आप उन पर क्यों भरोसा नहीं करते? मैं यह समझता हूं कि आपको भरोसा करना चाहिये। अगर आप परामर्शदात्री समिति को दर और दिनांक तय करने का अधिकार नहीं देते हैं तो परामर्शदात्री समिति की आवश्यकता कहां है? मैं आप के द्वारा सदन से श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दर, दिनांक आदि यह कमेटी न तय करेगी तो क्या यह तय करेगी कि उसको छः महीने की सजा दे दो, उसकी कुर्की करा दो, यह अनधिकृत अध्यासी है उसको निकाल दो और इसको बैठा दो। अगर आप का यह मंशा है तो मैं कहूंगा कि इस परामर्शदात्री समिति की भ्रूण-हत्या ही कर दीजिये। इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप का यह मंशा है कि यह परामर्शदात्री समिति मजदूरों की अच्छाई के लिये बन रही है तो मैं आप से कहूंगा कि किराया, दर और दिनांक आदि निश्चित करने में उसकी सलाह अवश्य ली जाय। कहीं मजदूर १० तारीख को तनख्वाह पाता है, कहीं १५ तारीख को तनख्वाह पाता है, इसकी जानकारी आयुक्त को उतनी नहीं हो सकती जितनी कि उस कमेटी में रहने वाले मजदूरों के प्रतिनिधियों को और इम्पलायर्स के प्रतिनिधियों को होगी। आप को सुविधा होगी यही सोच कर मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और इस को देख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह परामर्शदात्री समिति एक भूलभुलैया है। कहने के लिये यह समिति परामर्श देने वाली समिति बन रही है, वर्ना वास्तव में आप सारी ताकत आयुक्त में ही केन्द्रित कर रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि झगड़ा काहे का है। दफा ८ मंजूर हो चुकी है। उसमें यह है कि जो तमाम मामले इस कानून के मातहत होंगे, जो कुछ आयुक्त को करना होगा, वह सब हाउसिंग कमिश्नर उसको सलाह के लिये दे देगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तमाम मामलात नहीं लिखा है।

श्री सैयद अली जहीर—इसमें है :—

"to advise on matters relating to administration of this Act."

यानी इस कानून को लागू करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन में जिन बातों की जरूरत है उसको वह उनके हवाले कर सकता है। तो इस सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि महज एक दफा में लिख दिया जाय कि यह मामला जरूर जायगा तो इसके माने यह होंगे कि जो बकिया इससे अहम मामले हैं उनके लिये लेजिस्लेचर की कोई दिलचस्पी नहीं है, वह जायें या न जायें। मैं तो समझता हूं कि यह चूंकि जरूरी मामला है कि क्या किराया मुकर्रर

[श्री सैयद अली जहीर]

किया जाय, उसकी वसूलियाबी का क्या तरीका हो, किस तारीख को उनसे किराया वसूल किया जाय, वगैरह वगैरह ? इस किस्म की जितनी बातें हैं उन सब को इस समिति के हवाले किया जायगा और उस पर उनका मशविरा होगा। यह क्यों पहले से समझ लिया जाता है कि चूंकि जरूरी मामला है इसलिये इस पर मशविरा नहीं लिया जायगा। समझना तो यह चाहिये कि यह जरूरी चीज होगी और इसलिये इस पर एडवाइजरी कमेटी की राय जरूर ली जायगी और उनसे पूछा जायगा कि इस पर उनकी क्या सलाह है। तो जो होगा वह मशविरे से तय होगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह कमेटी तो सरकार की नामजद की हुई होगी और इसमें सभी होंगे, लेकिन ज्यादातर उस में अफसर होंगे, लेबर मिनिस्टर होंगे, हाउसिंग कमिश्नर होगा, वगैरह-वगैरह और इस तरह से और लोग भी उस में होंगे, तो वह एक ऐसी कमेटी होगी कि जिसमें तमाम जरूरी बातें जो इस ऐक्ट के मुताल्लिक़ हैं वह सब उनके हवाले की जायंगी। यहां पर यह लिख देने से यह होगा कि औरों के लिये यह चीज जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूर उनके हवाले कर दी जाय। लेकिन मंशा यह नहीं है। मंशा यह है कि जितनी भी जरूरी बातें हों वह सब उनको मुताला की जायं। तो मेरे ख्याल में इसमें लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। वह हमने उसी में कर दिया है कि सब जरूरी मामले जायंगे और अगर कोई ऐसी जरूरी बात न जाय तो उसके लिये माननीय सदस्य सरकार की तवज्जेह दिला सकते हैं और कह सकते हैं कि यह मामला भी जाना चाहिये, यह क्यों नहीं गया ? या कोई बदगुमानी हो जाय तो उस को दुरुस्त किया जा सकता है और इस लिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं जो हाउस का मंशा है वह जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि इस दफ़ा में यह तरमीम की जाय और इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी तरमीम को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ की पंक्ति ३ के शब्द "निश्चित करें" के पहले शब्द "परामर्शदात्री समिति की राय से" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इस विधेयक के जो खंड हैं उनके ऊपर संशोधन काफ़ी रह गये और आज करीब १२ बजने में १० मिनट थे तब काम शुरू हुआ, तो १० मिनट और अधिक मिले। लेकिन तब भी जितना समय दिया था उस के हिसाब से वह ५ बजे खत्म होना संभव था। ५ बज कर २५ मिनट पर उसे खत्म होना था तो अगर १० मिनट जो अधिक मिल गये हैं वे निकाल भी दें तो सवा ५ बजे खत्म होना चाहिये। तो यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि ५ बजे खत्म हो जाय तो समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है और यदि वह चाहते हैं कि १५ मिनट और बैठा जायगा तो १५ मिनट के लिये प्रस्ताव आना चाहिये, पहली बात तो यह है।

दूसरे इसके लिये अगर सवा ५ बजे का समय तय होता है तो मैं ४·४५ पर बाकी संशोधनों को रख दूंगा, एक-एक कर के मतदान के लिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, चूंकि जो सदन ने पास किया था कि इसमें साढ़े तीन दिन लगेंगे। तो आधा घंटा जो है हमको असेम्बली में मिलना चाहिये। लेकिन ठीक है हम बैठने के लिये तैयार हैं और सदन को यह भी अख्तियार है कि उसको बदल सकता है, अपनी राय को। तो यह देखते हुए कि अभी तो आधा भी नहीं हुआ मेरा यह सुझाव, बल्कि प्रस्ताव है कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—समय की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले तो सदन को इस पर राजी होना चाहिये कि वह इससे अधिक समय देगा, यानी अगर सर्व-सम्मति हो तो सदन को पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर किसी एक को भी आपत्ति होगी तो इस सदन का पूर्व निश्चय बदला नहीं जायगा। किसी को आपत्ति है इस विषय में ?

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, आप ने कहा था कि सवा ५ बजे तक बैठेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सवा ५ बजे ही इसको खत्म किया जाय, क्योंकि हमको और भी काम हैं।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में सवा ५ बजे केबिनट भी है।

श्री अध्यक्ष—इसे तो सवा ५ बजे खत्म होना है। तो जो समय बढ़ाने का प्रश्न है उसके लिये प्रस्ताव आ जाना चाहिये यदि माननीय-सदस्य अगर चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाय ?

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सवा ५ बजे तक आज बैठे।

श्री अध्यक्ष—किसी को आपत्ति तो नहीं ?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

तो मैं ४.४५ पर संशोधनों को एक-एक कर के लूंगा तब तक जितना हो जाय उस पर विचार जारी रहेगा।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा हो जाय कि खंड १५ पर जो अमेंडमेंट चल रहे हैं इनमें १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत की बात है। तो अगर इस सब को एक साथ ले लिया जाय तो अच्छा हो और जिनको जो कुछ कहना हो कहें।

श्री अध्यक्ष—मैं देख लूंगा। इस पर थोड़ा-थोड़ा बोलें। जो माननीय सदस्य कई दफ़ा बोल चुके हैं वह अगर कृपा कर के बैठे रहें तो अच्छा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जैसा आप का सुझाव है, मैं भी सोचता हूं कि १० प्रतिशत कर दूं। तो मेरा संशोधन इस प्रकार हो जायगा :

खंड १५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराये की दर उस व्यक्ति के मासिक वेतन की पूरी रकम के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

श्रीमन्, इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और इसमें सब से बड़ा तर्क जो है वह यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को भी १० प्रतिशत अपनी तनख्वाह का देना होता है, तो मैं समझता हूं कि हम एक निश्चित दर तय कर दें, तो सुन्दर होगा और वह मजदूर जो कम तन-ख्वाह पाता है उससे भी उतना ही लिया जाय। और जो ज्यादा पाता है उस से भी उतना ही लिया जाय, यह कुछ अच्छा नहीं दीखता। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे। शायद माननीय मंत्री जी कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपत्ति करेगी तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्राविंश्यल गवर्नमेंट में तो दस परसेंट वाला कानून है। तो अगर अपने ही कायदे का सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राविंश्यल गवर्नमेंट विरोध करती है तो यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन माननीय मंत्री जी मान लें।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला जो संशोधन पेश हुआ था उस पर इसी कारण समय बचाने के लिये मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये थे। जहां तक इसका संबंध है इस विधेयक के द्वारा हम किराया तय करें, वह तो मुझे उचित मालूम होता नहीं और उस का कारण मैं बता भी चुका हूं। हां, यह मैं पहले भी कह चुका हूं और पुनः यह आश्वासन दे सकता हूं कि किराया कम करने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए प्रदेशीय सरकार आप के सुझाव के द्वारा जहां तक कोई काम कर सकती है वह करने के लिये तैयार रहेगी और इसलिये इस अधिनियम में कोई दर निश्चित नहीं की जा रही है कि क्या किराया हम लेंगे। वह दर सदा खुली रहेगी और जैसा यह सुझाव दिया है माननीय अवस्थी जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं उस के लिये, उन्होंने जो कुछ सुझाव दिये हैं, उन सब सुझावों पर विचार किया जायगा और विचार करने के बाद किस तरह से मजदूरों को सुविधा हो सके, उसमें हम जितना अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं, पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराये की दर उस व्यक्ति के मासिक वेतन की पूरी रक़म के १० प्रतिशत से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १५ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय यह संशोधन उपस्थित करता हूं —

"परन्तु ३० वर्ष निरन्तर किराया देने के बाद कोई किराया देय नहीं होगा और उस गृह का स्वामित्व उस व्यक्ति या उस के उत्तराधिकारी के हक में हो जायगा, जिसने ३० वर्ष तक नियत किराये का धन अदा किया है।"

श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि यह जो मकान श्रमिकों के लिये बने हैं उसमें से प्रत्येक गृह की लागत.....

श्री अध्यक्ष—यह देखिये तो, यह आप स्वामित्व वगैरह इसमें कहां से ले आये? मैं समझता हूं कि इसमें वैधानिक आपत्ति होगी। यह इसमें जुड़ता नहीं है। यह तो दर के सम्बन्ध में है। मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव—यदि अध्यक्ष महोदय को इस 'स्वामित्व' शब्द से आपत्ति है तो मैं उसे इस रूप में उपस्थित करने को प्रस्तुत हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—खंड १५-क के रूप में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हां, नये खंड के रूप में आ सकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं इसे इस तरह.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इसमें वैधानिक आपत्ति है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६--सब किराया तथा अन्य परिव्यय नक़दी में वसूल किये जायेंगे और प्रत्येक अनुगामी मास (following month) की दसवीं तारीख तक देय होंगे : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-आयुक्त उन आदेशों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार प्रचारित करे, समय-समय पर किराया तथा अन्य परिव्ययों के देने का दिनांक बढ़ा सकता है।

किराया तथा अन्य परिव्यय देने का ढंग।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं। इसमें कई एक ही तरह के संशोधन हैं। वह यह है--

"खंड १६ की पंक्ति २ के शब्द 'दसवीं' के स्थान पर शब्द 'पंद्रहवीं' रख दिया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि "सब किराया तथा अन्य परिव्यय नकदी में वसूल किये जायेंगे और प्रत्येक अनुगामी मास की दसवीं तारीख तक देय होंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना है कि मजदूरों के जो वेतन हैं वे १० तारीख तक उनको नहीं मिल पाते। बहुत जगह पर तो मैंने देखा है कि फैक्टरियों में तीन-तीन, चार-चार महीने तक वेतन बाकी रहता है और उनसे कहा जा रहा है कि १० तारीख जो आगामी मास की है उस तक वह अदा कर दें, यह मुझे असंभव मालूम होता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि १५ तारीख, बजाय १० तारीख के, रख दिया जाय। १० तारीख तक तो उनको तनख्वाह मिलती है। इसलिये १५ तारीख करने से १५ तक वह देने में आसानी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--यह जो बिल में १० तारीख लिखी है, इससे बड़ी कठिनाई हो जायगी। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर मिल मालिक को अख्तियार है कि १० तारीख तक उनको तनख्वाह को दे, क्योंकि हर एक मिल में एक हजार और उससे भी ऊपर मजदूर काम करते हैं तो १० तारीख तक उनको तनख्वाह मिलेगी। १० तारीख को तनख्वाह पायेगा तो ५ बजे उसकी छुट्टी होगी। तो वह कैसे वक्त से अदा कर पायेगा? इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाश प्रकाश--आप क्या चाहते हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं चाहता हूं कि १० के स्थान पर १५ रख दिया जाय।

श्री कैलाश प्रकाश--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों के हित की बात मुझे मालूम होती है। इस वजह से मैं इसको स्वीकार करता हूं। १५ तारीख रहे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ की पंक्ति २ के शब्द "दसवीं" के स्थान पर शब्द "पंद्रहवीं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७--देय दिनांक पर अथवा गृह-आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई अवधि में न दिया गया किराया, तथा अन्य परिव्यय बकाया समझा जायगा।

किराया तथा अन्य परिव्ययों की बकाया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८

गृह में दाखिले का अधिकार । १८—गृह आयुक्त, उप-गृह-आयुक्त, सहायक गृह आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह में, जिसमें दाखिल होना वह आवश्यक समझे, यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है ।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड १८ की पंक्ति ४ के शब्द 'यथोचित सहायकों के साथ सभी' निकाल दिये जायं ।"

यदि मेरा यह संशोधन मान लिया जाय तो यह धारा इस प्रकार हो जायगी :

"गृह-आयुक्त, उप-गृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह में, जिसमें दाखिल होना वह आवश्यक समझे, उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है ।"

श्रीमन्, मैं समय की बचत की दृष्टि में रखते हुये सिर्फ यह माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि "यथोचित सहायकों के साथ सभी" इसका क्या तात्पर्य है । मैं यह समझता हूं कि "यथोचित सहायकों" में संख्या भी हो सकती है, उपयुक्तता भी हो सकती है, तो फिर किसी घर में अगर किसी खास काम के लिये जाना पड़े ही आयुक्त को तो वहां उसके सहायक जायेंगे ही और जायेंगे तो बाहर रह जायं । मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने माननीय रामसुभग वर्मा के संशोधन को बड़े ढंग से विचार करके स्वीकार किया है, उसी प्रकार इसको भी स्वीकार करेंगे । इससे इस खंड की मंशा पर कोई आघात नहीं पहुंचता है । इससे "सभी उचित बेला" के बजाय "उचित बेला" हो जायगा जो ठीक भी है ? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार करने में कुछ कठिनाई हो रही है, क्योंकि गृह आयुक्त या उप-गृह-आयुक्त जायं तो वे अपने साथ कुछ असिस्टेंट्स ले जायं, इसमें कुछ आपत्ति होनी नहीं चाहिये और "सभी उचित बेला" तो "all reasonable hours" का ट्रांसलेशन है । इसलिये इसमें माननीय सदस्य को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं वापस लेने में, जैसी कि माननीय मंत्री जी ने मुझे सीख दी है, असमर्थ हूं । मैं यह समझता हूं कि मेरा संशोधन मान लेने से जो अंतिम शब्द "उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है" बहुत ठीक हो जायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी की सीख का अनादर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बड़ा ही उपयुक्त है, इसलिये मैं इसे वापस लेने से मजबूर हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ४ के शब्द "यथोचित सहायकों के साथ सभी" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सहायकों के साथ" के बाद शब्द "रात्रि को छोड़कर" रख दिय जायं ।

"सभी उचित बेलाओं" से स्पष्ट नहीं होता और "रात्रि को छोड़ कर" रख देने से यह स्पष्ट हो जाता हैं । इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं ।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवकीनन्दन विभव जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत यदि किसी आयुक्त को किसी घर में प्रवेश करने की बात हुयी तो वह सिर्फ यह देखने के लिये कि उसका रखरखाव कैसा हो रहा है, किसी अनधिकृत अध्यासी द्वारा वहां क्या कार्यवाही की जा रही है । इसलिये तो वह जायगा नहीं कि वह कोई दफा ३९५ या ३०२ का मुल्जिम है । मैं समझता हूं कि एक बहुत ही साधारण काम के लिये आयुक्त को वहां जाना पड़ेगा । तो फिर रात्रि में जाने का क्या तात्पर्य है । और सरकार के सामने रात्रि में जाने के कारण बहुत से ऐसे अवसर आयेंगे कि उसमें बहुत से वावैले खड़े हो सकते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय विभव जी का संशोधन बहुत ही उपयुक्त है और माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सभी उचित बेलाओं" के स्थान पर शब्द "सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य नियत रीति से सूचना देकर" रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, विभव जी का संशोधन है कि रात्रि को छोड़ कर, तो उसमें रात्रि को फिर डिफाइन करना पड़ेगा । ज्यादातर ऐसा होता है कानूनों में जहां प्रवेश करने की बात होती है वहां पर यह स्पष्ट होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आपका जो संशोधन है उसका अर्थ यह हो गया कि सिर्फ रात्रि में ही वह घरों में जाय, क्योंकि सभी उचित बेलाओं के स्थान पर यह रखा जा रहा है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं रख रहा हूं, पहले सूर्योदय होगा और फिर सूर्यास्त होगा इस तरह से इसका आशय पूरा हो जाता है और नियत रीति जोड़ देते हैं तो जो कायदा सरकार नियत कर रही है तो उसके अनुसार वह प्रवेश करे जैसी कि सरकार बना दे । सरकार दिन में प्रवेश करे, क्योंकि रात्रि में भले मानुष प्रवेश नहीं करते हैं । इसीलिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सभी उचित" के स्थान पर "निश्चित" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं केवल इतना ही माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शब्द माननीय मौर्य जी ने बाद में प्रयुक्त किये हैं वही शब्द सभी विधेयकों में प्रयुक्त किये गये हैं बम्बई में, मदरास में और यू० पी० में भी । इसलिये अगर सरकार इसको स्वीकार कर ले तो उचित ही होगा ।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब संशोधनों के दो भाग हैं एक तो यह कि समय निश्चित कर दिया जाय । मेरा विचार यह है कि सभी माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं वह सिर्फ एक शब्द में आ जाती हैं और वह है "रीजनेबिल आवर्स" तो इसमें रात्रि नहीं आती है तो इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय आदि सभी का समावेश है । अब रही सूचना देने की बात तो मान्यवर, सूचना देने में तो बहुत किस्से आते हैं, किसको और कैसे दी

[श्री कैलाश प्रकाश]

जायगी वह मिलेगा या नहीं। वाकई बात यह है कि जब कमिश्नर जायगा तो वह कहेगा ही कि वह अन्दर जाना चाहता है तो सूचना हो जायगी वरना दिक्कत होगी और नोटिस वगैरा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि धारा जिस शक्ल में है वही मुनासिब है।

श्री देवकीनन्दन विभव—मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि अगर इसमें "सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य नियत रीति से सूचना देकर" रख दिये जायं और उचित बेला से स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में नियम बनायें और उसमें यदि इस तरह की कोई चीज आ जाय तो मैं इसको वापस लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि रीजनेबिल आवर्स में रात्रि नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सहायकों के साथ" के बाद शब्द "रात्रि को छोड़कर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सभी उचित" के स्थान पर शब्द "निश्चित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में--८,
विपक्ष में--६३।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ४ में शब्द "सभी उचित बेलाओं" के स्थान पर शब्द "सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य नियत रीति से सूचना देकर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

किराया इत्यादि के बकाया की वसूली।

१९--यदि किराये या अन्य परिव्ययों की वह बकाया जिसके लिये मांग की नोटिस तामील हो चुकी हो, गृह-आयुक्त के पास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के पास तामीली के ३० दिन अथवा ऐसी बढ़ायी हुयी अवधि के भीतर, जिसकी वह अनुज्ञा दे, नहीं दी जाती है तो ऐसे बकाया, वसूली के व्यय सहित, मालगुजारी की भांति वसूल की जा सकेगी और उनको अदा करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति सम्बद्ध गृह का अनधिकृत अध्यासी समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ की पंक्ति १ में शब्द "परिव्ययों" और शब्द "वह" के बीच में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ की पंक्ति १ में शब्द "मांग" तथा पंक्ति २ में शब्द "नोटिस" के बीच में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय और शब्द तामील

हो" और शब्द "हो" के बीच में शब्द "चुकी" के स्थान पर शब्द "चुका" रख दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द "तामीली" के स्थान पर शब्द "नोटिस की तामील" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कि खंड १९ की पंक्ति ३ में अंक "३०" के स्थान पर अंक "६०" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ की पंक्ति ४ में शब्द "ऐसी" के स्थान पर शब्द "ऐसा" रख दिया जाय और पंक्ति ५ में शब्द "मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा ।" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:--

"परन्तु यदि वह किसी दैवी आपत्ति जैसे (अस्वस्थ या पारिवारिक मृत्यु) से पीड़ित में हो तो मालगुजारी की ही भांति स्थगित या छूट पर माफी जो भी उचित हो की जा सकेगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

वेतन से किराया की कटौती ।

२०--(१) किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, कोई व्यक्ति गृह-आयुक्त के साथ ऐसा अनुबन्ध-पत्र निष्पन्न कर सकता है, जिसके अनुसार नियोजक, जिसके अधीन वह नियुक्त हो, उसको देय वेतन अथवा मजदूरी में ऐसी धनराशि जो अनुबंध-पत्र में निर्दिष्ट हो, काट सके और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि प्रदिष्ट गृहादि (premises) के किराये तथा अन्य परिव्ययों की भरपाई के रूप में गृह-आयुक्त को दे सके ।

ऐसे अनुबन्ध-पत्र के निष्पादन होने पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में किसी बात के होते हुये भी, गृह-आयुक्त द्वारा मांग-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती के लिये लिख कर कहे जाने पर नियोजक श्रमिक के वेतन अथवा मजदूरी में से वह धनराशि काट लेगा और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि को गृह आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अदा करेगा और इस मांग-पत्र के विपरीत अदा की हुयी किसी धनराशि के लिये नियोजक उत्तरदायी (liable) होगा ।

(२) यदि इस सम्बन्ध में नोटिस की तामीली के ३० दिन के भीतर नियोजक गृह-आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कटौती की हुयी धनराशि न दे अथवा श्रमिक को उक्त उपधारा के अधीन मांग-पत्र के विपरीत कोई भी धनराशि दे तो वह कटौती की हुयी या इस प्रकार श्रमिक को दी हुयी धनराशि वसूली के सब व्यय सहित उससे मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"२०---गृह का किराया उस औद्योगिक कारखाने पर नियोजक द्वारा देय होगा जिस कारखाने में गृह अध्यासी काम करता हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त अध्यासी के वेतन से नियोजक किराया नहीं काट सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में---८,
विपक्ष में---५१, ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (१) के दूसरे परिच्छेद की पंक्ति ३ में शब्द "लिखकर कहे जाने" के स्थान पर शब्द "लिखित नोटिस देने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "तामीली" के स्थान पर शब्द "तामील" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में अंक "३०" के स्थान पर अंक "६०" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

गृहादि से बेदखली।

२१---(१) यदि गृह आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि---

(क) किसी गृह के अध्यासन के लिये अधिकारी व्यक्ति ने:---

(१) ऐसे गृह के सम्बन्ध में विधितः देय किराया तथा अन्य परिव्यय दो मास तक बकाया में रखा है, यदि धारा १६ के अधीन गृह-आयुक्त द्वारा किराये के देने की अवधि बढ़ा न दी गयी हो, अथवा

(२) पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, अथवा

(३) अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है, अथवा

(४) वह इस अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो गृहादि के अनधिकृत अध्यासन में हो, तो गृह-आयुक्त उस समय प्रचलित किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुये भी,

(१) डाक द्वारा, अथवा

(२) उस गृह के सदर दरवाजे अथवा अन्य किसी प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकवा कर, अथवा

(३) अन्य ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस को तामील करके ऐसे व्यक्ति को तथा उस व्यक्ति को जो सम्पूर्ण गृह अथवा उसके किसी भाग के अध्यासन में हों, नोटिस की तामीली से एक मास के भीतर खाली करने की आज्ञा दे सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दी हुयी आज्ञा का पालन करने में कोई व्यक्ति असफल रहे अथवा पालन करने से इन्कार करे तो गृह आयुक्त उस गृह से उस को बेदखली की आज्ञा दे सकता है और उस गृह पर कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये उतने बल प्रयोग का अधिकार दे सकता है जो आवश्यक हो। आज्ञा की एक प्रतिलिपि उक्त व्यक्ति पर तामील की जायगी।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) अथवा (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गयी हो, नोटिस की तामीली के दिनांक से एक मास के भीतर अथवा उस बढ़ी हुयी अवधि के भीतर जिसकी गृह-आयुक्त अनुज्ञा दे, गृह-आयुक्त को बकाया किराया अथवा अन्य परिव्यय दे दे अथवा अपने द्वारा उल्लंघन की हुयी शर्तों का पालन और अनुपालन गृह-आयुक्त के संतोष के अनुसार करे, तो गृह आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गयी अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है और तत्पश्चात् वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों के अनुसार अध्यासीन रहेगा, जिनके अन्तर्गत व नोटिस की तामीली से ठीक पूर्व अध्यासीन था।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "कोई व्यक्ति जो गृहादि के अनधिकृत अध्यासन में हो" के स्थान पर शब्द "कोई व्यक्ति गृहादि के अनधिकृत अध्यासन में है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "किसी" और शब्द "बात" के बीच में शब्द "भी" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) के भाग (ख) के उपभाग (३) की पंक्ति ३ में शब्द "तामीली" के स्थान पर शब्द "तामील" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (३) को निम्न रूप में रख दिया जाय---

"धारा १२ के अन्तर्गत जिसकी प्रदेशना निरस्त कर दी गयी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "तामीली" के स्थान पर "तामील" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ के खंड उपखंड (३) की पंक्ति ८ में शब्द "उन्हीं शर्तों" और शब्द "के अनुसार" के बीच वाक्यखंड "जिनके अन्तर्गत वह नोटिस की तामील से ठीक पूर्व अध्यासीन था अथवा अन्य ऐसी शर्तों और निबन्धों, जिन्हें गृह आयुक्त आरोपित करे" रख दिये जाये और खंड के अन्त के शब्द "जिनके अन्तर्गत वह नोटिस की तामीली से ठीक पूर्व अध्यासीन था" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शिवनारायण---मेरा प्रस्ताव यह है कि आप बैठे-बैठे पढ़ दें । बार बार उठना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है ।

खंड २२

अपील का अधिकार ।

२२---(१) धारा १२ अथवा धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन गृह आयुक्त की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त धाराओं के अधीन आज्ञा की तामील से १५ दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उक्त १५ दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे संतोष हो कि प्रार्थी पर्याप्त कारणवश निश्चित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार गृह आयुक्त से आख्या प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे और राज्य की यह आज्ञा अंतिम होगी ।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो राज्य सरकार उस आज्ञा का निष्पादन (enforcement), जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, उस अवधि के लिये और उन शर्तों पर रोक सकती है जिन्हें वह उचित समझे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (१) में शब्द "धारा १२ अथवा धारा २१ की उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "धारा १२ की उपधारा (२) अथवा धारा २१ की उपधारा (२)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २३

हर्जे की वसूली के अधिकार ।

२३---(१) जब कोई व्यक्ति किसी गृह के अनधिकृत अध्यासन में हो तो गृह आयुक्त ऐसे गृह के उपभोग और अध्यासन के लिये ऐसा हर्जा (damages) नियत रीति से अवधारित कर सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे और उस व्यक्ति पर डाक द्वारा अथवा अन्य रीति से नोटिस तामील कर के आज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति नोटिस में निर्विष्ट अवधि के भीतर हर्जा अदा करे ।

(२) यदि कोई व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा देने से इनकार करे अथवा देने में असमर्थ रहे तो हर्जा मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा ।

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको हर्जा देने की आज्ञा दी गई हो, अपने दायित्व के प्रतिवाद में (to contest his liability) क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) न्यायालय में बाद (suit) प्रस्तुत करने से रोक सके---

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के अधीन धनराशि वसूल नहीं की जा चुकी हो तो ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहले उक्त व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि गृह-आयुक्त के पास जमा कर देगा और जमा की हुई धनराशि न्यायालय की आज्ञा के अधीन जमा रहेगी ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ को निम्न रूप में रख दिया जाय---

"(१) जब कोई व्यक्ति किसी गृह के अनधिकृत अध्यासन में हो अथवा अध्यासन की शर्तों के विपरीति उपभोग कर रहा हो तो गृह आयुक्त ऐसे अध्यासन तथा उपभोग के लिए नियत रीति से हर्जा अवधारित कर सकता है जो उस गृह के एक साल के किराये से अधिक नहीं होगा और उस व्यक्ति पर डाक द्वारा अथवा अन्य रीति से नोटिस तामील करके आज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा अदा करे ।

(२) ऐसा व्यक्ति जिसको हर्जा देने की आज्ञा दी गयी हो अपने दायित्व के प्रतिवाद में नोटिस प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहले उक्त व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि का १/३ भाग गृह-आयुक्त के पास जमा कर देगा और जमा की हुई धनराशि न्यायालय की आज्ञा से जमा रहेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में हर्जा किराये की दर के दूने से अधिक न होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" से शब्द "रहे" तक निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, एक मिनट में मैं जानकारी करवाना चाहता हूं यह जो उपखंड (३) है यह खंड १३ के विरुद्ध है क्योंकि खंड १३ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि कहीं सवाल होगा ही नहीं और इसमें सिर्फ एक धारा का जिक्र किया गया है पूरे विधेयक का जिक्र नहीं किया गया है, "उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको हर्जा देने की आज्ञा दी गयी हो, अपने दायित्व के प्रतिवाद में क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से रोक सके ।" इसमें केवल इसी उपधारा का जिक्र है जब कि खंड १३ में यह लिखा है, "इस अधिनियम द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा अथवा गृह-आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।" तो यह उपखंड ३ खंड १३ के विरोध में जाता है। तो इसलिये या तो इसकी शब्दावली बदली जाय कि "इस विधेयक में किसी धारा के रहते हुए भी" या तो इसमें यह किया जाय और नहीं तो यह अवैधानिक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--(न्याय मंत्री से) आप विचार कर लें। मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं सुनूंगा। आप उनके आक्षेप को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

अधिनियम के अधीन देय धनराशियों की वसूली।

२४--(१) इस अधिनियम के अधीन देय सभी धनराशियों की वसूली मालगुजारी की बकाया की भांति की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी सभी धनराशियां राज्य सरकार के नाम सरकारी खजाने में अथवा इम्पीरियल बैंक में, जैसा भी नियत किया जाय, जमा की जायंगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

अपराधों की अवेक्षा।

२५--जब तक कि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो कोई न्यायालय गृह-आयुक्त के अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी कर्मचारी (official) के अभियोग-पत्र (complaint) अथवा उनसे प्राप्त सूचना के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध की अवेक्षा (cognizance) नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ की पंक्ति ४ के आरम्भ का शब्द "की" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

इस अधिनियम के अधीन दिये गये कार्यों की रक्षा।

२६--इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ की पंक्ति १ में शब्द "अधिनियम" के पश्चात् के शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ की पंक्ति ४ में शब्द "नहीं" के पहले शब्द "बिना राज्य सरकार की आज्ञा से" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर १०, ५ मिनट ज्यादा लग जायं तो समय बढ़ा देना ठीक होगा। (सब के हां कहने पर) सब की राय है कि समय बढ़ा दिया जाय इसलिये जरूरत पड़ने से समय बढ़ा दिया जायगा।

खंड २७

२७—(१) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्ध और अथवा तदन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो ६ मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दिये जा सकते हैं। दण्ड

(२) किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी विधिक अधिकार के प्रयोग में बाधा डालता है दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"२७—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बने उपबन्धों एवं नियमों का उल्लंघन करेगा ५० रुपया तक जुर्माना का भागी होगा जो किस्तों में उससे वसूल होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किस्त ३ रुपये से अधिक किसी भी हालत में न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के अंक "६" के स्थान पर अंक "३" रख दिया जाय, तथा

खंड २७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय, तथा

खंड २७ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २८

नियम बनाने का अधिकार ।

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(१) गृह-आयुक्त के कर्त्तव्य और कृत्य;

(२) धारा ८ के अधीन परामर्श समिति का संगठन और सदस्यता;

(३) प्रार्थना-पत्र का आकार तथा आवास की प्रदेशना की रीति और उसके अध्यासन की शर्तें ;

(४) आकार और रीति जिसमें धारा २२ के अधीन अपील प्रस्तुत की जायगी;

(५) धारा २२ के अधीन अपीलों में देय शुल्क यदि कोई हो;

(६) धारा १४ और २० में अभिविष्ट अनुबंध-पत्र का आकार;

(७) धारा १२ या धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन आज्ञा की तामील की रीति;

(८) किराया तथा अन्य परिव्यय दिये जाने का ढंग;

(९) धारा २३ में अभिविष्ट हर्जे का आवधारण;

(१०) गृहों की देख रेख और मरम्मत;

(११) वे बिषय जो नियत किये जाने वाले हैं या नियत किये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) के भाग (७) में शब्द "धारा १२ या धारा २१ की उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "धारा १२ की उपधारा (२) अथवा धारा २१ की उपधारा (२)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—खंड २८ में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का एक संशोधन आया है । वह इस प्रकार है:

"खंड २८ के अन्त में एक नया उपखंड (३) निम्नरूप में रख दिया जाय— (३) प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन बने सभी नियम विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जायंगे तथा ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगे, जिन्हें कि विधान मंडल आवश्यकतानुसार स्वीकृत करे।"

श्री कैलाश प्रकाश—स्वीकार नहीं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के अन्त में एक नया उपखंड (३) निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(३) प्रकाशन के पश्चात इस अधिनियम के अधीन बने सभी नियम विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जायंगे तथा ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगे, जिन्हें कि विधान मंडल आवश्यकतानुसार स्वीकृत करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होगा जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गृह बनाये गये हैं और इसके पश्चात् भी बनाये जायेंगे;

और यह आवश्यक है कि ऐसे गृहों के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए प्राधिकारी की व्यवस्था की जाय और उसे संस्थापित किया जाय,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ सितम्बर, १९५५।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में होने वाले मुख्य कार्यों की सूची

कृषि—

१—खोदे गये कम्पोस्ट पिट्स की संख्या	१६९
२—खाद जो बांटी गई	३,३१६ मन
३—बीजों का वितरण	१४,०६० मन
४—बांटे गये औजारों की संख्या	३९
५—क्षेत्र जहां फलदार पेड़ लगाये गये	१ १।२ एकड़
६—क्षेत्र जहां तरकारियाँ बोई गयीं	५ एकड़

पशु-पालन—

१—अच्छी नस्ल के बैल जो बांटे गये	५
२—जानवर जिनका इलाज किया गया	६०५
३—बधिया किए गये बैलों की संख्या	१४४
४—पशु जिन के टीके लगाये गये	१२,५९४

सहयोग—

१—इस समय तक खोली गई नई मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाईटियों की संख्या	९

सिंचाई—

१—बनाए गए मैसोनरी कुओं की संख्या	३१
२—मैसोनरी कुएं जिनकी मरम्मत की गई	३४
३—लगाए गए ट्यूबवेलों की संख्या	३
४—नया खेत जिसमें सिंचाई का इन्तजाम किया गया	१,१५५

यातायात—

१—बनाई गई कच्ची सड़कें	२२ मील ७ फर्लांग
२—बनाई गई पक्की सड़क	३ फर्लांग
३—कच्ची सड़क जिसकी मरम्मत की गई	२४ मील १ फर्लांग
४—बनाई गई पुलियों की संख्या	३५

शिक्षा व सामाजिक शिक्षा—

१—खोले गए स्कूलों की संख्या	१
२—बालिगों की शिक्षा के लिये खोले गये केन्द्रों की संख्या ..	२३

३—बालिग जिन्हें शिक्षा दी गई ..	..	..	५७०
४—खोले गये मनोरंजन केन्द्रों की संख्या	..	..	९

स्वास्थ व ग्रामीण सफाई—

१—बनाए गए सोकेट पिटों की संख्या	..	..	७
२—बनाई गई नालियां ..	..	..	५,९५० गज
३—नए बनाए गए पीने के पानी के कुओं की संख्या	..	..	१४
४—पानी पीने के कुएं की मरम्मत की गई	..	..	३३
५—व्यक्ति जिन के टीके लगाये गये	..	..	५,३७२
६—ग्राम जिन में मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई		..	७६

ऊपर दिये कामों के अलावा मई सन् १९५५ में किसानों का एक दल (फोरम) बनाया गया जिसके सदस्यों की संख्या १०५ तक पहुंच चुकी है। रुई की उन्नति के प्रोग्राम की भी प्रगति संतोषजनक है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ख

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, अल्मोड़ा के कार्यालय के कर्मचारी

पद का नाम	संख्या	वेतन क्रम
१—स्टेनोग्राफर	.. १	७५—४—९५—५—१५०
२—हेड क्लर्क	.. १	८०—५—१००—६—१३०
३—एकाउन्टेन्ट कम रिकर्डकीपर	.. १	६०—३—९०—४—११०
४—रुटीन क्लर्क	.. १	६०—३—९०—४—११०
५—चपरासी	.. १	२७—१/२—३२
६—चौकीदार	.. १	,,
७—सह संचालक के अर्दली	.. २	,,

डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ इंडस्ट्रीज (ऊल) अल्मोड़ा के कार्यालय के कर्मचारी

१—हेड क्लर्क	.. १	१००—८—१४०—१०—१७०
२—एकाउन्टेन्ट	.. १	८०—५—१००—६—१३०
३—असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट	.. १	६०—३—९०—४—११०
४—रुटीन क्लर्क	.. २	,,
५—टाइपिस्ट	.. १	,,
६—स्टोर कीपर	.. १	६०—४—८०—४—१००.
७—चपरासी	.. ४	२७—१/२—३२.
८—चौकीदार	.. १	,,

इन्डो टिबेटियन बोर्डर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ इन्डस्ट्रीज, अल्मोड़ा, के कार्यालय के कर्मचारी

१—हेड क्लर्क	.. १	१००—८—१४०—१०—१७०
२—एकाउन्टेन्ट	.. १	८०—५—१००—६—१३०
३—रुटीन क्लर्क	.. २	६०—३—९०—४—११०
४—टाइपिस्ट	.. २	,,

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

अलीगढ़ जिले में सरकार गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित सहायता कर रही है—

१—अलीगढ़ के ताला उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने एक कारखाना खोला है। इस पर सालाना व्यय लगभग १६,२०० रुपये विकास हेतु तथा १५,००० रुपया व्यावसायिक कार्यों के लिये होता है।

२—क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत सरकार लगभग १२,५०० रूपया व्यय करती है। इसमें उच्च स्तर के तालों का निरीक्षण तथा ताला उद्योग को सुचारु रुप से चलाने के निमित्त सरकारी ताला विशेषज्ञों द्वारा उचित एडवाइज प्रदान की जाती है।

३—अलीगढ़ जिले में ३५ करघा कोआपरेटिव प्रारम्भिक समितियां कार्य कर रही हैं। करघा योजना के अन्तर्गत इन समितियों को निम्नलिखित प्रकार से सहायता दी जाती है:

अ—वर्किंग कैपिटल के लिये ऋण दे कर

ब—उत्पादन तथा विक्रय को सबसिडी प्रदान करके

स—वस्त्र विक्रय पर छूट देकर

द—विक्रय भंडारों के रूप में

ह—रंगने के भवनों के रुप में

इन समितियों पर १९५४–५५ में ५८,२५६ रु० ७ आ० ३ पा० पया व्यय किया गया। इस वर्ष में अभी तक ८,३१७ रू० ६ आ० ९ पा० व्यय किया गया है।

४—अलीगढ़ जिले में सरकार ने कुंवर पुर ग्राम में एक चमड़ा पकाने (टेनरी) का केन्द्र खोला है। इस केन्द्र पर स्थापित की गई सहकारी समिति को २०,००० रुपये का अनुदान तथा १०,००० रुपये का ऋण सहायता के रूप में १९५४–५५ में दिया गया।

५—औद्योगिक शिक्षा के योजना के अन्तर्गत हाथरस, जिला अलीगढ़, में एक चाकू प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है जिस पर लगभग ६,००० रुपया प्रति वर्ष व्यय किया जाता है।

६—ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत १,००० रुपये का अनुदान १९५४–५५ में साल्ट पीटर उद्योग के लिये दिया गया था। इस वर्ष में ५,००० रुपया ऋण दरी उद्योग के लिये देना स्वीकार किया गया है।

७—खादी योजना के अन्तर्गत कुमारी कुटीर विद्यालय, अलीगढ़ को ४ करघे खरीदने के लिये १९५४–५५ में ४०० रुपये का अनुदान दिया गया था। इस वर्ष ५० चरखे बिना मूल के दिये जा रहे हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ९० एल० ए० १९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा